—: सम्पादक :—
डा० हारून रशीद सिद्दीक़ी
— सहायक —
मु० ग़ुफ़रान नदवी
मु० सरवर फारूक़ी नदवी
मु० हसन अन्सारी
हबीबुल्लाह आज़मी

कार्यालय

मासिक सच्चा राही !

मजलिसे सहाफत व नशरियात
पो० बॉ० नं० 93
टैगोर मार्ग, नदवतुल उलमा, लखनऊ
फोन : 2741235
फैक्स : 2787310

e-mail :
nadwa@sancharnet.in

सहयोग राशि

एक प्रति	रु० 9/—
वार्षिक	रु० 100/—
विशेष वार्षिक	रु० 500/—
विदेशों में (वार्षिक)	25 यूएस डालर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें :

"सच्चा राही"

पता : सेक्रेटरी मजलिसे सहाफ़त

व नशरियात नदवतुल उलमा,

लखनऊ—226007

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ़्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात, टैगोर मार्ग नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।

हिन्दी मासिक

सच्चा राही

सामाजिक एवं साहित्यिक

लखनऊ

सितम्बर, 2005 वर्ष 4 अंक 7

कुर्आनिक सन्देश

और जो न जानो उस के पीछे मत पड़ो बेशक तुम से तुम्हारे कान तुम्हारी आंख तुम्हारे दिल हर एक के इस्तिअ़माल के बारे में पूछा जाएगा।

(बनी इस्राईल : ३६)

अगर इस गोले में लाल निशान है तो आपका वार्षिक चन्दा समाप्त हो चुका है। कृपया अपना वार्षिक चन्दा जल्द भेजिए।

H.I.Computer.Institute - 9335214913

विषय एक नज़र में

- फूंकों से यह चिराग़ ..... — सम्पादकीय 3
- कुर्आन की शिक्षा — मौलाना मु० उवैस नदवी (रह०) 5
- प्यारे नबी की प्यारी बातें — अमतुल्लाह तस्नीम 6
- हिन्दोस्तानी मुसलमान एक नज़र में — मौलाना सय्यद अबुल ह़सन अ़ली ह़सनी 8
- ह़ज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) का अख्लाक — अ़ल्लामा शिबली नोमानी 13
- मौलाना अ़ली मियां के एक बयान का एक इक्तिबास 13
- हज़रत उमर रज़ि० — मौ० अ़ब्दुस्सलाम क़िदवई 16
- मधुमेह का सरल उपचार — डा० अजय शर्मा 18
- रस्मैं दीन नहीं — हैदर अली नदवी 19
- ग़ज़ल — डा० एम०नसीम आज़मी 20
- ग़ैर मुस्लिमों को दुआ़ तअ़वीज़ से फाइदा — अबू मर्ग़ूब 21
- सिन्धु घाटी की सभ्यता इतिहास के पन्नों से — इदारा 22
- शाह फहद (रह०) — इदारा 24
- बिगाड़ के बाद दूतों का आगमन — मु० शमीम बहराइची 25
- तिब्बे नबवी — मु० गुफ़रान नदवी 27
- मियां बीवी रफ़ीक़ बनें फ़रीक़ नहीं (तर्जुमा) — मु० गुफ़रान नदवी 30
- विद्वानों का मान सम्मान — डा० मु० इज्तिबा नदवी 32
- आपके प्रश्नों के उत्तर — इदारा 34
- शिक्षा के भगवाकरण से चिन्तित ...... — डा० मस्ऊ़दुल हसन उस्मानी 35
- ३१ किताबों की समीक्षा — हबीबुल्लाह आज़मी 38
- अन्तर्राष्ट्रीय समाचार — हबीबुल्लाह आज़मी 40

फूकों से यह चिराग बुझाया न जाएगा

डा० हारून रशीद सिद्दीक़ी

उस से बढ़कर ज़ियादिती करने वाला कौन होगा जो अल्लाह पर झूट बान्धे हा़लांकि उसे इस्लाम (ख़ुदाई दीन) की तरफ़ बुलाया जा रहा हो। मुन्किरीन चाहते हैं कि अल्लाह के नूर याअ़्नी दीने इस्लाम का अपने मुंह से फूंक कर बुझा दें और अल्लाह तो इस नूर को मुकम्मल कर के रहेगा चाहे मुन्किरीन को कितना ही नागवार हो। उसी मालिक ने अपने रसूल को सच्चा दीन देकर भेजा है ताकि सारे मन्सूख़, मुह़र्रफ़ और बातिल दीनों पर सच्चे दीन को ग़ालिब कर दे चाहे ख़ुदा की ख़ुदाई में साझा मानने वालों को कितना ही बुरा लगे। (यह सूर–ए–सफ़्फ़ की आयात ७,८,९ का मफ़हूम है।)

जिस वक़्त क़ुर्आने मजीद उतर रहा था शैतान कैसी कैसी रूकावटें खड़ी करता रहा, अल्लाह के रसूल के रास्ते में कांटें बिछवाए, गर्दन पर ऊंट की ओझ डलवाई, दीवाना कहलाया, शाअ़िर कहलाया, ताइफ़ के ना समझों से पत्थर बरसवाए, ईमान लाने वालों को चिलचिलाती गर्म रेत पर घसिटवाया, सीने पर भारी पत्थर रखवाए, आग के अंगारों पर लिटवाया, घर से बे घर करवाया, ख़ुद अल्लाह के रसूल को मक्के से मदीना जाना पड़ा। वहां भी चैन न लेने दिया अपने चेले चपेटों से ह़म्ले करवाए लेकिन शैतान की सारी चालें और कोशिशें बेकार गयीं शैतान हाथ मलता रह गया इस्लाम मुकम्मल होकर रहा और आयत नाज़िल हुई (अनुवादः मुदार्र तुम पर ह़राम किया गया साथ ही ख़ून, सुअर का गोश्त, और जो जानवर ग़ैरूल्लाह के नाम कर दिया गया हो और वह जानवर जिस का गला घोन्ट दिया गया हो, वह जो किसी चोट से मर जाए, वह जो किसी ऊचांई से गिर कर मर जाए, वह जो सींगदार जानवर की सींग से चोट खाकर मर जाए और वह जानवर जिसे किसी दरिन्दे (हिन्सक पशु) ने खाया हो, सिवा इस के कि (मरने से पहले इन हराम बताये गये जानवरों में से) जिनको तुमने ज़ब्ह कर लिया हो वह जानवर भी (खाना) हराम हैं जो किसी थान पर (चढ़ावे के तौर पर) ज़ब्ह किये जाएं, और तीरों से किसी बात का फैसला करना यह सारी बातें गुनाह की बातें हैं। अब तो काफ़िर लोग तुम्हारे दीन की इशाअ़त के सबब से मायूस (निराश) हो गये हैं। अतः तुम उन से मत डरो और मुझ से डरो। <u>आज के दिन मैं ने तुम्हारे लिये तुम्हारा दीन मुकम्मल (संपूर्ण) कर दिया और तुम पर अपनी निअ़मतें (पुरूस्कार) पूरी कर दीं और इस्लाम को तुम्हारे लिये पसन्द कर लिया</u>, पर (इन अह़काम के बाद) अगर कोई शख़्स भूक से बेचैन हो कर (इन ह़राम की हुई चीज़ों में से जान बचाने को थोड़ा खाने पर) मजबूर हो जाये (जब कि ज़रूरत से ज़ियादा खाने या लज्ज़त लेने जैसे) किसी गुनाह का इरादा न हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह ग़फ़ूर है रह़ीम है।) (अल्माइदः३)

दीन को मुकम्मल होना था हो गया, शैतान सर पीट कर रह गया, मगर फिर भी वह हिम्मत न हारा वह अपने मन्सूबे (योजनाएं) बनाता रहा। क़ियामत तक उस को छूट तो मिली ही है।

अल्लाह तआ़ला ने जिस मुद्दत (समय) के लिये अपने प्यारे नबी को इस दुन्या में भेजा था जब वह मुद्दत पूरी हो गई और दीन भी पूरा हो गया तो आप को बुला लिया, अगर्चि यह सब अल्लाह की मर्ज़ी और फैसले से हुआ था, फिर भी सह़ाब–ए–किराम ने इस को बहुत मह़सूस

किया। हज़रत उमर (रज़ि०) जैसे मर्दे आहन (लोह पुरूष) आपे में न रह सके, तलवार सौन्त ली, खबरदार! जो कहेगा कि हुज़ूर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) वफ़ात पा गये हैं उस की गरदन मार दूंगा। और बेख़ुदी में मस्जिद में तक़रीर शुरू कर दी। ऐसे में हज़रत अबू बक्र (रज़ी०) आगे आते हैं। पहले वह हज़रत आइशा के हुज्रे में जाकर हुज़ूर (सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) की मुबारक पेशानी को बोसा देते हैं, इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं फिर मस्जिद में आकर साहब–ए–किराम को मुख़ातब कर के फ़रमाते हैः लोगो! अगर कोई मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम) की इबादत करता था तो उस को मालूम होना चाहिये कि उन की वफ़ात हो गई और अगर अल्लाह तआला की इबादत करता था तो अल्लाह तआला ज़िन्दा है उस के लिये मौत नहीं, फिर क़ुर्आन मजीद की आयात तिलावत फ़रमाईः

(अर्थ) मुहम्मद तो बस अल्लाह के रसूल थे। (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) तो क्या अगर वह वफ़ात पा जाएं या शहीद हो जाएं तो तुम अपनी एड़ियों की तरफ़ लौट जाओगे यानी इस्लाम से फिर जाओगे ? और जो उल्टे फिर जाएगा वह अल्लाह का हरगिज़ कुछ न बिगाड़ सकेगा और अल्लाह जल्द ही शुक्रगुजारों को बदला देगा। (आले इम्रान:१४४) हुज़ूर (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) की वफ़ात पर शैतान समझा था कि अब मैंने बाज़ी मार ली लेकिन फिर वह सर पीट कर रह गया फिर भी हिम्मत न हारा। कुछ क़बाइल को वरग़लाया ज़कात का इन्कार करवा दिया कुछ को इर्तिदाद (इस्लाम से फिर जाना) में मुब्तला कर दिया, सजाह, अस्वद अनसी और मुसैलिमा कज़्ज़ाब जैसों को नबी बनाकर खड़ा कर दिया लेकिन हज़रत अबू बक्र (रज़ि०) के एअलान अ युन्क़िसुद्दीनु, व अना हय्युन् (क्या मेरी ज़िन्दगी में दीन में कमी की जाएगी ?) ने शैतान की कोशिशों पर पानी फेर दिया। बड़े नाज़ुक हालात में रिद्द : की लड़ाई लड़ी गई। बहुत से हुफ़्फ़ाज़ सहाबा ने जामे शहादत नोश किया लेकिन फ़ित्ना दब कर रहा मुसैलिमा भी जहन्नम रसीद हुआ, सजाह और अस्वद अनसी भी मारे गये।

हज़रत उमर (रज़ि०) का सुनहरा दौर आया। फ़ुतूहात का दरवाज़ा खुला, पूरे आलम में इस्लाम की आवाज़ गूंजने लगी। शैताान तिलमिला उठा ज़बरदस्त साज़िश रची अैन नमाज़ में अबू लूलू ने ख़लीफ़–ए–सानी हज़रत उमर पर वार कर दिया, निकल भागना आसान न था, किसी ने नमाज़ न तोड़ी वह नमाज़ियों को ज़ख्मी करता हुआ निकल रहा था तेरह, सहाबी ज़ख्मी हुए उन में से चार जांबर न हो सके। शैतान समझा अब इस्लाम गया लेकिन इस्लाम तो और ताक़त के साथ उभरा। तीसरे ख़लिफ़ा हज़रत उस्मान (रज़ि०) के ज़मानें में इस्लाम के इक्तिदार का दाइरा और वसीअ हुआ, लेकिन शैतान ने फिर सबाई फ़ित्ना उठाया यहां तक कि हज़रत उस्मान (रज़ि०) शहीद हो गये। हज़रत अली का दौर आया शैतान ने बाहम लड़ा कर तमाशा देखा, तक़रीबन साठ हज़ार लोग अल्लाह को प्यारे हुए, मुख़्लिसीन के दरजात बुलन्द हुए, मुनाफ़िक़ीन अपने मक़ाम पर पहुंच गये, हज़रते हसन ख़लीफ़ा हुए बाहमी जंगों से उक्ता कर नबवी पेशीन गोई के मुताबिक़ हज़रत मुआविया (रज़ी०) के हक़ में ख़िलाफ़त से दस्त बरदार हो गये। शैतानी कोशिशें जारी रहीं यज़ीद बिन मुआविया के ज़माने में करबला का दिलदोज़ वाक़िआ पेश आया हर्रा का हादिसा हुआ, मक्का मुकर्रमा पर हमला हुआ, यज़ीद का ख़ातिमा हुआ, शैतानी कोशिशें जारी रहीं, हज़रत इब्ने ज़ुबैर (रज़ि०) की शहादत, ज़ैद बिन अली की शहादत, क़रामिता की यूरिश, कई सालों तक हज्रे अस्वद का काबे से अलग रहना, हर बार शैतान ने यही तसव्वुर दिया कि इस्लाम का आफ़्ताब डूबा लेकिन इस्लाम पूरी आब व ताब से चमकता रहा। और अब इस दौर में बेशक तालिबान की इस्लामी हुकूमत चली गई, इस्राइल के मज़ालिम जारी हैं, बग़दाद का सुकूत हो चुका, पूरे इराक़ में ख़ून

(शेष पृष्ठ ७ पर)

क़ुर्आन की शिक्षा

मौलाना मुहम्मद उवैस नदवी

फ़ुज़ूल ख़र्चीः—

और दौलत बेजा मत उड़ाओ, बेशक दौलत बेजा उड़ाने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने पालन हार का बड़ा ना शुक्रा (कृतघ्न) है। (बनी इस्राईलः २७)

अपनी हैसियत से ज़ियादा और बे मौक़अ़ खर्च करना फुजूल खर्ची है। फुजूल खर्ची के नतीजे में आदमी मुफ़्लिस (निर्धन) व कल्लाश (दरिद्र) हो जाता है। गरीबी तरह तरह के गुनाह करवा देती है। इसलिए इस से बचना चाहिए। इस आयत में अल्लाह तआ़ला ने फुजूल खर्ची करने वाले को शैतान का भाई और शैतान को ना शक्रा बताया है। मतलब यह है कि माल जो खुदा की एक निअ़मत है उस को बेजा उड़ा देना खुदा की ना शुक्री है।

आज तुम्हारी फुजूल ख़र्ची पर लोग वाह वाह कहते हैं कल जब सब माल खत्म हो जाएगा तो यही लोग तुम को बुरा भला कहेंगे। कुर्आन मजीद में है:

और अपना हाथ न तो इतना सिकोड़ो कि जैसे गरदन में बंधा है और न बिल्कुल उस को फैला ही दो ऐसा करोगे तो तुम ऐसे बैठे रह जाओगे कि लोग तुम को मलामत भी करेगें और तुम खाली हाथ भी होमे। (बनी इस्राईलः २६)

छुपा कर लेनाः और जो कोई गनीमत का माल छुपाकर लेगा तो कियामत के दिन अपना छुपाया माल लेकर आएगा। (आले इम्रानः १६१)

कई आदमीयों का जो सामान एक ही में हो और वह बांट कर अलाहिदा अलाहिदा न किया गया हो उस में से कोई चीज़ दूसरे साझियों से छुपा कर लेने को "ग़ुलूल" कहते हैं, यह भी एक किस्म की चोरी है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमाया ऐ लोगो ! जो हमारे किसी काम पर मुक़र्रर हो कोई एक सुईभी छुपा कर लेगा तो वह "ग़ुलूल" है वह उसको कियामत के दिन लेकर आएगा। ग़ज़्व—ए—खैबर में एक गुलाम ने ग़नीमत के माल से एक शिम्ला चुराया था जब लोग खैबर से आगे बढ़े तो उसको एक तीर ऐसा लगा कि उसका इन्तिकाल हो गया, मुसलमानों ने कहा इसको जन्नत मुबारक हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सुना तो फरमाया कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है जिस शिम्ले को उस ने खैबर में चुराया था वह इस पर आग का अंगारा हो रहा है। लोगों ने यह सुना तो बहुत असर हुआ। एक शख्स ने जूते का तस्मा ले लिया था उसको सामने लाकर डाल दिया यह देख कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः यह आग का तस्मा है, आग का।

हराम कमाईः—

आपस में एक दूसरे का माल नाहक़ तरीके से न खाओ (बक़रः, १८८)

जो माल अल्लाह के बताए हुए तरीके के खिलाफ़ हासिल किया जाए वह नाजाइज है। मुसलमान को ऐसा माल काम में लाना हराम है। चोरी, डाका, सूद, बदकारी, रिश्वत, बेईमानी वगैरह हराम कमाई के जरीअ़े (साधन) हैं। इनसे बचना चाहिए।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते थे वह आदमी जिसका खाना पीना पहनना सब हराम माल से है वह खुदा से दुआ मांगता है, उस की दुआ कैसे कबूल हो सकती है। अल्लाह पाक है पाक को कबूल करता है, एक बार आप ने फरमाया, एक आदमी दस दिर्हम में कपड़ा खरीदता है, उन दिर्हमों में से एक दिर्हम हराम की कमाई से है तो जब तक वह आदमी उस कपड़े को पहन कर नमाज़ पढ़ता है उसकी नमाज़ कबूल न होगी।

हजरत अबू बक्र सिद्दीक के पास एक गुलाम था। उसके पास इस्लाम से पहले की एक नाजाइज कमाई थी। जिसे उसने हजरत अबू बक्र (रजि०) को दे दिया। आप उस को अपने इस्तिअ़माल में लाए, लेकिन जब मालूम हुआ कि यह नाजाइज कमाई थी तो मुंह में उंगली डाल कर कै कर डाला।

सच बोलो सच्चाई फैलाओ

प्यारे नबी की प्यारी बातें

अमतुल्लाह तस्नीम

आखें खो कर सब्र करने का दर्जाः—

हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० से सुना है फरमाते थे, बेशक अल्लाह अज़्ज़–व–जल्ल अपने किसी बन्दे को उसकी दो महबूब चीजों के साथ आजमाइश करता है, यानी उसकी आंखे जाती रहती है और वह सब्र करता है तो उनके बदले में जन्नत है। (बुख़ारी)

हादिसे पर सब्र करने का इनआ़मः—

हज़रत अ़ता (रजि०) इब्न अबी रियाह से रिवायत है कि मुझसे इब्ने अब्बास रजि० ने कहा क्या मैं दिखाऊँ तुमको एक जन्नत वाली औरत, मैनें कहा हाँ, कहा यह काली औरत है। रसूलुल्लाह सल्ल० के पास आयी और कहा मुझे मिरगी का दौरा पड़ता है जिससे मैं बरहना (नंगी) हो जाती हूँ। आप अल्लाह से मेरे लिए दुआ कीजिए, आपने फरमाया अगर तू सब्र करे तो तेरे लिए जन्नत है और अगर तू चाहे तो मैं अल्लाह तआला से तेरी आफियत की दुआ करूँ उसने कहा मैं सब्र करूँगी, लेकिन आप अल्लाह तआला से दुआ कीजिए कि मैं बरहना (नंगी) न हूँ। (बुख़ारी मुस्लिम)

तकलीफ़ देने वाले के लिए दुआ़ः—

हज़रत अब्दुल्लाह रजि० बिन मसऊद से रिवायत है कि गोया मैं रसूलुल्लाह सल्ल० को एक नबी की हिकायत बयान करते हुए देख रहा हूँ, उन पर अल्लाह तआला की तरफ से दुरूद और सलामती हो। उनकी कौम उनको मारती थी और खूना खून कर देती थी, वह चेहरे से खून पोंछते जाते थे और कहते जाते थे, ऐ अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे वह नहीं जानती। (बुख़ारी, मुस्लिम)

मुसीबत गुनाहों का कफ़्फ़ारा हैः—

हजरत अबू सईद रजि० और हजरत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह सल्ल० से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया कि मुसलमानों को मुसीबत पहुंचती है, ख्वाह वह किसी किस्म की हो बीमारी हो, रंज हो, गम हो, तकलीफ हो, हादिसा हो, हत्ता कि उसे एक काँटा भी चुभे, तो अल्लाह तआ़ला उसके सिले में उसकी खतायें मुआफ़ कर देता है। (बुखारी, मुस्लिम)

मुसीबत अ़िनायते इलाही की दलील हैः—

हजरत इब्ने मसऊद रजि० से रिवायत है कि नबी सल्ल० की खिदमत में एक बार मैं हाजिर हुआ, आप को हरारत थी, मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्ल० आप को हरारत और सख्त हरारत है, फरमाया मुझ को ऐसी हरारत है जैसे तुम में से दो को हो, मैंने कहा यह इसलिए कि आप को दोहरा अज्र मिले फरमाया हाँ जिस मुसलमान को कोई मुसीबत पहुंचे काँटें चुभने की हो या इससे ज्यादा अल्लाह तआला उसके सबब उसकी बुराईयाँ दूर कर देता है, जिस तरह दरख्त अपने पत्ते को झाड़ता है। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हजरत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया अल्लाह तआला जब किसी के साथ भलाई करना चाहता है, तो उसको किसी मुसीबत में मुब्तला कर देता है। (बुख़ारी)

मौत की आरजू न करेंः—

हजरत अनस रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया जब तुम में से कोई किसी मुसीबत में मुब्तिला हो तो मौत की आरजू न करे, अगर मजबूर हो जाये तो कहे, ऐ अल्लाह! मुझको जिन्दा रख अगर जिन्दगी मेरे लिए बेहतर है, और मुझ को मौत दे अगर मौत मेरे लिए बेहतर है। (बुख़ारी मुस्लिम)

अगलों की आज़माइश और उनकी इस्तिका़मतः—

हजरत अबू अब्दुल्लाह रजि० खब्बाब बिन अरत से रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह सल्ल० से शिकायत की। आप एक चादर से टेक लगाए हुए कअबः के साये में बैठे हुए थे, हमने कहा या रसूलुल्लाह सल्ल० आप हमारे लिए मदद क्यों नहीं चाहते, आप हमारे लिए दुआ क्यों नहीं करते। आप ने फरमाया अगली उम्मतों में आदमी पकड़े जाते, फिर उनके लिए गढ़े खोदे जाते थे और उसमें उनको लिटाया जाता था और आरा उनके सर पर रखकर

सर के दो टुकड़े कर दिये जाते थे और लोहे की कंघी उनके सिरों में की जाती थी, जो हड्डी और गोश्त में धंसती हुई निकल जाती थी। मगर यह तकलीफें उनको दीन से नहीं हटाती थीं, खुदा की कसम अल्लाह तआला इस काम को जरूर पूरा करेगा। यहां तक कि एक सवार सन्ऑ से हजर मौत की तरफ चलेगा और अल्लाह के सिवा किसी से न डरेगा। हाँ भेड़िये का उसको अपनी बकरियों के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन तुम जल्दबाजी करते हो।

हज़रत मूसा का सब्रः—

हजरत मसऊद रजि० से रिवायत है कि हुनैन के दिन रसूलुल्लाह सल्ल० ने तकसीम में कुछ लोगों का तरजीह दी। अकरा बिन हाबिस को सौ ऊंट दिये। अुयैयना बिन हुसैन को भी इसी तरह दिया, और कुछ लोगों को भी दिया। शुरफॉये अरब को उस दिन तकसीम में तरजीह दी। एक आदमी ने कहा यह तकसीम अदल के साथ नहीं की गयी। मैंने कहा इसकी खबर रसूलुल्लाह सल्ल० को जरूर दूंगा। जब मैं रसूलुल्लाह सल्ल० के पास आया और आपको खबर दी तो आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। फिर आपने फरमाया कि अगर अल्लाह और उसका रसूल भी अदल न करें तो कौन अदल करेगा और फरमाया अल्लाह मूसा पर रहम करें, इससे ज्यादा तकलीफ उनको दी जाती थी और वह सब्र करते थे, मैंने दिल में कहा अब मैं आपको कोई तकलीफ देह बात नहीं पहुंचाऊगा।

दुनिया में सजा मिल जाना अिनायत इलाही की दलील हैः—

हजरत अनस रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया, जब अल्लाह तआला अपने किसी बन्दे पर भलाई का इरादा करता है तो दुनिया में उसके लिए सजा में जल्दी करता है और जब किसी बन्दा के साथ बुराई का इरादा करता है तो उसको ढील दे देता है कि वह गुनाहों में फंसे, यहां तक कि कियामत के दिन पूरा पूरा बदला देता है और रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया बड़ी बला का बड़ा बदला है अल्लाह तआला को जिन लोगों से मुहब्बत होती है, उनकी आजमाईश करता है। बस जो शख्स उससे राजी हो तो उसके लिए राजी होता है और जो नाराज हो तो उसके लिए नाराजी है। (तिर्मिजी)

(पृष्ठ ४ का शेष)

ख़राबा जारी है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ मन्सूबे बन रहे है, इस्लामी और मुसलमानों की हुकूमतों के लाले पड़े है, फ़सादात हो रहे हैं लेकिन क्या इस्लाम के लिये ख़तरा है ? हरगिज़ नहीं क्या इस्लाम की इशआत रूक गई है ? हरगिज़ नहीं। यह सहीह है कि शैतानी कोशिशों से मुसलमानों की तक्लाफ़ों में इज़ाफ़ा है तो साथ ही उन के अज्रों में भी इज़ाफ़ा है, बेशक वह मारे जाते हैं तो शहादत का दर्जा पाते है। गरज़कि शैतान और उस के चेलो की कोशिशों से मुसलमानों को दुन्या के एअतिबार से जान व माल का घाटा ज़रूर नज़र आता है। लेकिन हमेशा वाली ज़िन्दगी आख़िरत के एअतिबार से बड़े नफ़े में हैं, रही बात इस्लाम की तो कियामत के क़ुर्ब तक इसको बाक़ी रहना है, मगर उससे पहले :

फूकों से यह चिराग़ बुझाया न जाएगा।

(पृष्ठ ३७ का शेष)

की सलतनत की स्थापना तथा विस्तार और राजपाट प्राप्त करने की क़ोशिश न थी बल्कि एक हिन्दू मुस्लिम संघर्ष था यद्यपि इतिहास साक्षी है कि तुर्क और मुगल बादशाहों के काल में सिपाही से लेकर बड़े पदो वजीरों, सेनापतिओं तक हिन्दू पदाधिकारी उसी तरह मौजूद थे जिस प्रकार राना प्रताप और शिवा जी की सेना तथा मंत्रिमण्डल में मुस्लिम अधिकारी।

उस काल में मुस्लिम बादशाह अपने राज्य के विस्तार में किसी मुस्लिम राज्य को अपनी सलतनत में शामिल करने से बाज़ नहीं आते थे और न ही हिन्दू राजा किसी हिन्दू राज्य पर कब्जा करने में पीछे रहते थे और हिन्दू मुस्लिम प्रजा दोनों की दशा एक जैसी थी और कभी भी उनके मेल मिलाप और भाई चारे मे किसी प्रकार का कोई भेद भाव नहीं पैदा होता था।

वह युग ऐसा था जिस में किसी राजा की बड़ाई और बीरता इस बात पर निर्भर थी कि उस का राज्य कितना बड़ा है। छोटे राजाओं से कर वसूल करने वाले राजा को सम्राट कहा जाता था। उस काल की तुलना आज के लोकतंत्र से करना एक ऐतिहासिक गलती है। हर युग के इतिहास की मान्यताएं भिन्न होती है उन्हीं मान्यताओं के अनुसार इतिहास को प्रस्तुत करना चाहिये।

सच्चा राही आप को कैसा लगा अवश्य लिखें।
-सम्पादक

हिन्दोस्तानी मुसलमान एक नजर में

मौ० सै० अबुलहसन अ़ली ह़सनी नदवी

मुसलमानों की पहली विशेषता एक निश्चित विश्वास तथा एक स्थायी दीन व शरीअत है।

संसार के समस्त मुसलमानों (और हिन्दुस्तान के मुसलमान भी इस सार्विक सिद्धान्त से पृथक नहीं) की पहली विशेषता यह है कि उनके मिल्ली (धर्म सम्बन्धी सामूहिक) आस्तित्व की आधार शिला एक निर्धारित विश्वास, एक स्थायी दीन–व–शरीअत है जिसको संक्षिप्त रूप में मजहब कहते है, यद्यपि इससे उसका सही भावार्थ अदा नहीं होता और वह शाब्दिक सामन्जस्य के कारण भ्रम एवं शंका उत्पन्न कर देता है, इसी कारण इसका मिल्ली (धर्म सम्बन्धी सामूहिक) नाम और विश्वव्यापी उपाधि किसी वंश खानदान, धार्मिक नेता, धर्म संस्थापक और देश से सम्बद्ध होने के बजाए एक ऐसे शब्द से उद्धृत है जो एक निर्धारित विश्वास एवं व्यवहार को प्रकट करता है। संसार की अन्य धार्मिक जातियाँ अपने अपने धार्मिक नेताओं, धर्म संस्थापकों, पैगम्बरों, देशों अथवा नसलों से सम्बन्धित है और उनके नाम उन्हीं महानुभावों या उन्हीं नसलों और देशों के नाम से उद्धृत है। यथा–यहूदी (Jdaist) और बनी इस्राईल (Bani Israil) कहलाते है। यहूदा (Judah) हजरत याकूब (अलैहिस्सलाम) के बेटों में से एक बेटे का नाम और इस्राईल स्वयं हजरत याकूब (सलामती हो उन पर) का नाम है। ईसाई (Christians) हजरत ईसा (Christ) से सम्बन्धित है। कुरआन मजीद में उनको नसारा की संज्ञा दी गई है, नासरा (Nazareth) हजरत मसीह की जन्म भूमि का नाम है। मजूसियों के धर्म के अनुयायियों को, जिन्हें सामान्यतः पारसी के नाम से पुकारते हैं शुद्धनाम (Zoroastrians) या जुरतुश्ती है, जिसका सम्बन्ध उस धर्म के प्रवर्तक (Zarathust) से है। बौद्ध धर्म (Buddhist) अथवा मत (Buddhism) अपने प्रवर्तक गौतम बुद्ध (Budh) से सम्बन्धित है, यही बात भारत के अन्य धर्मों की है।

उम्मत–ए–मुस्लिमा की उपाधि (खिताब)

मुसलमानों का सम्बन्ध, जिनकों कुरआन मजीद तथा समस्त धार्मिक ग्रन्थों और इतिहास एवं साहित्य में "मुस्लिमून" और "उम्मत–ए–मुस्लेमा" की संज्ञा दी गई है, और जब भी संसार के कोने कोने में वह "मुस्लिम" के नाम से जाने पहचाने जाते है; शब्द इस्लाम की ओर है, जिसका अर्थ खुदा की बादशाही के आगे नत मस्तक हो जाना, आधीनता स्वीकार कर लेना, अपने को समर्पित (Surrender) कर देना जो एक अटल निर्णय, एक निर्धारित गतिविधि, जीवन पद्धति तथा एक जीवन प्रणाली है, वह अपने पैगम्बर से असीम श्रद्धा तथा घनिष्ट सम्बन्ध रखने पर भी बहैसियत कौम (सामूहिक वर्ग के रूप में) मुहम्मदी नहीं कहलाते। भारतवर्ष में पहली बार अंग्रेजों ने उनको मुहम्मडन (Mohammedans) और उनसे संबंधित कानून को (Mohammedan Law) की संज्ञा दी, प ु उन महानुभावों ने जो इस्लाम की आत्मा एवं स्प्रिट (Sprit) से अवगत थे। इस पर आक्षेप प्रकट किया, और अपने लिए अपने पुरातन नाम "इस्लाम" को ही उचित समझाा और उसे ही प्रधानता दी, उन संस्थाओं को जिनका नाम अंग्रेजों के प्रारम्भिक शासन काल में मुहम्मडन् कालेज (Mohammedan College) या मुहम्मडन कान्फेरेन्स (Mohhmmedan Conference) पड़ गया था, मुस्लिम शब्द से बदल दिया।

विश्वास (अकीदा), धर्म तथा धर्मशास्त्र (शरीअत) मुसलमानों के विचारानुसार मौलिक महत्व के विषय हैं।

इसी आधार पर अकीदा, दीन (धर्म) तथा शरीअत, मुसलमानों की सम्पूर्ण जीवन, व्यवस्था, उनकी सभ्यता एवं संस्कृति तथा आचार व्यवहार में मौलिक महत्व रखते है। यह स्वाभाविक रूप से इनके सम्बन्ध में आसाधारण रूप से अति भावुक (Sensitive) पाये गये है। उनकी व्यक्तिगत तथा सामूहिक समस्याओं पर विचार करने तथा उनसे सम्बन्धित विधान का निर्माण करने, नियमों तथा अधिनियमों यहां तक कि सामाजिक एवं नैतिक विषयों में इस मौलिक तथ्य को समक्ष रखने की आवश्यकता पड़ी है। यह बात भी

बुद्धिगभ्य रहना चाहिए कि थोड़े से उन नियमों को छोड़कर जो स्थानीय रीति रिवाज, प्रथा एवं परम्परा (**Convention**) या जागीरदाराना व्यवस्था के प्रभाव से मुसलमानों ने अपनाया और उनको अंग्रेजी शासन काल में (**Mohammedan Law**) में सम्मिलित कर दिया गया उनके व्यक्तिगत विधान (**Personal Law**) का मूलाधार तथा मौलिक अंग कुरआन मजीद से संग्रहीत तथा उसका विवरण, विवेचन एवं स्पष्टीकरण हदीस व फिक्ह पर आधारित है।

शरीअत के कानूनों में संशोधन अथवा परिवर्तन करने का किसी को अधिकार नहीं

इसमें कुछ भाग ऐसा विशेष, विश्वस्त तथा स्पष्ट रूप से कुरआन मजीद में आया है या ऐसे अनवरत् रूप से सिद्धि एवं व्यावहारिकता के साथ लोक जीवन अंग बन गया है अथवा उसको धार्मिक विद्वान सर्व सम्मति से मान्यता प्रदान कर चुके हैं कि उसका नकार करने वाला अब सैद्धान्तिक एवं वैधानिक रूप से इस्लाम के क्षेत्र से वहिष्कृत समझा जायेगा यद्यपि उसकी व्याख्या एवं व्यवहारिक अनुकूलता में कितना ही समयानाकूल विचार किया जाये, उसमें परिवर्तन एवं संशोधन का कोई प्रश्न ही नहीं आता है। इस विषय में किसी बहुसंख्यक मुस्लिम देश की प्रतिनिधि सरकार तथा उसकी विधान सभा को भी लेश मात्र अधिकार नहीं है और यदि ऐसा किया गया या करने का विचार अथवा प्रयास किया गया, तो वह एक धर्म के अर्थ परिवर्तन की क्रिया तथा धर्म में हठात् हस्तक्षेप समझा जायेगा। अलबत्ता जो प्रसंग (मसायल) इजातिहादी है, और जिनमें एवं परिस्थितियों के अनुकूल निरन्तर संशोधन अथवा परिवर्तन एंव लचक पैदा की जाती रही है, वह फिक्ह में दक्ष विद्वानों एवं मुस्लिम ज्ञानियों द्वारा, जो प्रसंगों (मसअलों) के इस्तिंबात की योग्यता रखते हैं, अपने विचार एवं अधिकार से तथा गहन विचार विमर्श के पश्चात चिन्तन एवं मनन, आधुनिक परिस्थितियों एवं परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, उनको समयनाकूल तथा व्यवहारिक जीवन से सम्बद्ध बना सकते है। यह प्रक्रिया (**Process**) इस्लामी इतिहास के हर युग में प्रचलित रही है और मुसलमानों की अन्तिम् नस्ल तक आवश्यक है।

दूसरी मिल्ली (धर्म सम्बन्धित सामूहिक) विशेषता, तहारत (पवित्रता) के प्रति विशिष्ट विचार धारा एवं व्यवस्था

मुसलमानों की दूसरी मिल्ली विशेषता, पवित्रता के प्रति विशिष्ट विचार धारा एवं व्यवस्था है। इस अवसर पर स्वच्छन्दता (**Cleanliness**) तथा पवित्रता (**Purification**) का अन्तर भी समझ लेना चाहिए। हमारे अधिकांश ग़ैर मुस्लिम मित्र एवं भाई इन दोनों के अन्तर में सामान्यतया अवगत नहीं। स्वच्छन्दता (नज़ाफत) का अर्थ है कि 'शरीर निर्मल हो, वस्त्र साफ सुथरे हो'' और पवित्रता (तहारत) का अर्थ है कि ''शरीर अथवा वस्त्र के किसी भाग में मल मूत्र या ऐसी ही कोई गन्दी वस्तुएं, यथा शराब की कोई बूंद, रक्त एवं कुत्ते की लार आदि पशु का गोबर या हराम पक्षी की बीट इत्यादि न लगी हो। अब अगर शरीर या कपड़ों पर मल मूत्र की एक छींट भी पड़ जाये या रक्त की एक बूंद, गोबर बीट आदि लगी हो तो शरीर कितना ही स्वच्छ एवं निर्मल हो ? कपड़े कितने ही सुथरे या उजले हों मुसलमान पवित्र नहीं माना जायेगा और इस शरीर एवं वस्त्र के साथ नमाज नहीं पढ़ सकेगा। इसी प्रकार यदि उसने शौच आदि के बाद भली प्रकार शरीर को नहीं धोया, या उसको स्नान की आवश्यकता है, वह नजिस (अपवित्र) है, वह नमाज नहीं पढ़ सकता। यही आदेश बरतनों फर्श तथा भूमि के बारे में है। यह आवश्यक नहीं कि यदि उसका शरीर निर्मल और उसके कपड़े उजले हों तो वह पवित्र (ताहिर) भी है। उपरोक्त निषिद्ध एवं वर्जित वस्तुओं के लग जाने से शरीर अथवा वस्त्र अपवित्र हो जाता है और प्रयोग के योग्य नहीं रहता अर्थात ऐसी अवस्था में नमाज आदि नहीं पढ़ी जा सकती है।

तीसरी मिल्ली विशेषता उनके खान पान की व्यवस्था जो कुरआन मजीद के आदेशों के अधीन है

मुसलमानों की तीसरी मिल्ली विशेषता यह है कि वह खाने पीने तथा पशु पक्षियों का मांस प्रयोग करने में स्वतंत्र नहीं है कि जो मन चाहे खायें पियें। उनके लिए कुरआन मजीद तथा शरीअत में हलाल एवं हराम (वैध एवं अवैध), निषिद्ध (**Prohibited**) तथा अनुमोदित (**Permissible**) अर्थात खबीस तथा तैयब के मध्य सीमांत रेखा दी गई है, वह इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। पशु पक्षियों के बारे में इसके पाबन्द हैं कि उनको बिना शरई (धार्मिक) तरीके पर ज़िबह किये और ज़िबह के समय अल्लाह का नाम लिये

बिना (यथा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहे बिना) उन का गोश्त प्रयोग में नहीं ला सकते। यदि कोई पशु शरई तरीके पर ज़िबह नहीं हुआ या शिकार करने में किसी जानवर को जिबह करने की नौबत नहीं आई और स्वयं मर गया तो वह उनके लिए मुरदार का हुक्म रखता है। इसी प्रकार यदि किसी जानवर को जिबह तो किया जाये, परन्तु वह अल्लाह के अतिरिक्त किसी और को नियत से हो अथवा, क़िसी पीर, फकीर, देवी देवता, पैगम्बर, शहीद अथवा बली आदि के नाम पर बलि दी जाये तो वह मुसलमान के लिए मुरदार की हैसियत रखता है और उसका गोश्त मुसलमान को प्रयोग में लाना अवैध (हराम) है। जानवरों में सुअर तो जिन्दा अथवा मुरदा प्रत्येक अवस्था में सदैव के लिए हराम तथा नजिस (अपवित्र) है। कुछ जानवरों का खाना और मांस हराम है यद्यपि वह अपने अस्तित्व के विचार से नजिस नहीं, यथा कुत्ता और अन्य हिंसक पशु जैसे शेर, चीता, तेंदुआ आदि। इसी प्रकार अनेक पक्षी मुसलमानों के लिए हलाल (वैध) और कुछ हराम (अवैध) हैं, अवैध पक्षी यथा शिकार करने वाले अथवा पंजे से पकड़ कर खाने वाले (चील, शिकरा, बाज आदि) तथा स्वयं शिकार न करने वाले और चोंच से खाने वाले यथा मुर्ग, कबूतर, मुर्गाबी आदि हलाल हैं। यह वास्तव में इब्राहीमी सभ्यता का प्रतीक है। और उन्हीं की अभिरूचि एवं अन्तःप्रतृत्ति को इस बारे में आदर्श मात्र मान कर मुसलमानों को, वह चाहे संसार के किसी देश अथवा इतिहास के किसी युग में हुए हों, उन्हें इसका पालन करना आवश्यक है। हिन्दुस्तानी मुसलमान भी अपने प्रत्येक युग में इसी खान पान व्यवस्था के पाबन्द रहे हैं, और इस समय भी वह अधिकांश इस्लामी देशों की अपेक्षा, अधिक सतर्क, पाबन्द तथा भावुक रहे हैं, जब कि अन्य अनेक देशों के मुसलमान जो पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति एवं शिक्षा से अधिक प्रभावित हुए हैं तथा धन तथा एशंवर्य के बाहुल्य ने उनकी धार्मिक जीवन व्यवस्था को और भी क्षीण कर दिया है अपेक्षाकृत कुछ स्वतन्त्र स्वभाव के पाये जाते हैं, परन्तु उनसे भी स्वतन्त्र विचार धारा रखने वालों की संख्या बहुत कम है। यही दशा शराब के मामले में है, जो अति आरम्भ काल से इस्लामी शरीअत में घोर अवैध तथा हराम है और उसको "उम्मुल खबाइस" (दुष्कर्मों की जननी) की संज्ञा दी गई है। मुसलमानों के लिये शराब किसी भी दशा अथवा व्यवस्था मं वैध नहीं। इस के बारे में भी हिन्दुस्तानी मुसलमान दूसरें देशों के प्रगतिशील एवं पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित मुसलमानों की अपेक्षाकृत कहीं अधिक सतर्क तथा धार्मिक क्रियाओं के पाबन्द रहे हैं।

चौथी विशेषता खुदा के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से हार्दिक सम्बन्ध एवं सम्पर्क (किन्तु अतिश्योक्ति रहित)

मुसलमानों की चौथी विशेषता उनका अपने पैगम्बर से धनिष्ठ सम्बन्ध है। उनके यहां पैगम्बर–ए–खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मान केवल एक महापुरूष अथवा आदर्णीय व्यक्तित्व तथा धार्मिक नेता के समान नहीं अपितु उनका सम्बन्ध आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के व्यक्तित्व के साथ इससे कहीं अधिक और इससे कुछ भिन्न है। जहां तक आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की महानता का सम्बन्ध है, उसको फारसी भाषा के अंग्रांकित एक पद से व्यक्त किया जा सकता है।

"बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुखतसर"

(ईश्वर के बाद आप ही सर्व महान हैं—बस)

मुसलमानों को आप के बारे में अनेकेश्वरवादी विचार धाराओं और उस अतिश्योक्ति से भी रोका गया है, जो अनेक पैगम्बरों के अनुयायिओं ने अपने पैगम्बर के प्रति न्याय संगत ठहराया है। एक शुद्ध हदीस में स्पष्ट रूप से आया है कि मुझे मेरे स्थान से आगे न बढ़ाना और मेरे बारे में उस मुबालिगा (अतिश्योक्ति) से काम न लेना जो ईसाईयों ने अपने पैगम्बरों के बारे में किया। तुम इसे इस प्रकार कह सकते हो खुदा का बन्दा और खुदा का रसूल।

मुसलमानों को अपने नबी से जो श्रद्धा एवं प्रेम है उसका उदाहरण नहीं मिलता

परन्तु इस सामान्य श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मुसलमानों को अपने पैगम्बर के साथ जो भावपूर्ण लगाव है तथा हार्दिक सम्पर्क एवं सम्बन्ध है, ऐसा हमारे सीमित ज्ञान तथा अध्ययन के अनुसार किसी अन्य जाति एवं सम्प्रदाय में अपने पैगम्बरों के प्रति नहीं पाया जाता। यह कहना अनुचित न होगा कि इन में सहस्त्रों, लाखों व्यक्ति आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को अपने माता पिता, सन्तान एवं जान से कहीं अधिक प्रिय मानते हैं। वह किसी समय भी इन मान मर्यादा पर

आंच आने को सहन नहीं कर सकते। इस मर्यादा की रक्षा हेतु वह निरन्तर तत्पर रहते है और समयानुसार प्राणों की बलि चढ़ाकर उसकी रक्षा करते है। हर युग में इस वक्तव्य एवं कथन की पुष्टि के लिए अनेकों घटनायें प्रमाण स्वरूप सुगमता पूर्वक प्रस्तुत की जा सकती है। आज भी आप का नाम तथा मान, आप का नगर (मदीना), आप का कथन तथा आप से सम्बद्ध वस्तुयें मुसलमानों के लिए विशेष आकर्षण का साधन होने के साथ विशेष रूप से उनके रक्त एवं स्नायु में गति एवं ताप का संचार करती रहती है। इस तथ्य को एक भारतीय उर्दू कवि मौलाना ज़फर अली ख़ां, बी० ए० (अलीगढ़), सम्पादक पत्रिका "जमींदार" ने अपने दो छन्दों में व्यक्त किया है:—

नमाज़ अच्छी, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, रोज़ा भी अच्छा।

मगर मैं बावजूद इसके मुसलमाँ हो नहीं सकता।।

न जब तक कट मरू मैं ख़्वाज–ए–यस्रिब की इज़्ज़त पर।

ख़ुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमाँ हो नहीं सकता।।

जिस बाहुल्य से आप पर दरूद भेजा जाता है, और मुसलमानों के यहां इसका जो विशेष महत्व है तथा जिस बाहुल्यता से सीरत पर पुस्तकें एवं रचनायें संसार की विभिन्न भाषाओं में और स्वयं भारतवर्ष में जिस अधिकता से पुस्तकें लिखी गई है और अब भी लिखी जा रही है। आत्मा की जिस लीनता, मृदुलता एवं कोमलता, हृदय के जिस प्रेम भाव एवं अनुराग, काव्य के जिस सौन्दर्य एवं कौशल, भाषा की जिस सरसता एवं सरलता और वक्तव्य के जिस माधुर्य एवं मिठास को नअतिया शायरी के द्वारा व्यक्त किया गया है और किया जा रहा है, उसका उदाहरण संसार के साहित्य में नहीं मिलता। इस क्षेत्र में भी भारतीय मुसलमान ईरान के अतिरिक्त, (जहाँ दक्ष एवं उत्तम नअत कहने वाले पैदा हुए हैं) दुनिया के हर इस्लामी देश से आगे है। इस उपसमाद्वीप में मुहसिन काकोरवी, अमीर, मीनाई, ख्वाजा, अलताफ़ हुसैन, हाली, मौलाना ज़फर अली खाँ, डा० सर मुहम्मद इक़बाल, इक़बाल अहमद, सुहैल, हफ़ीज़ जालंधरी ऐसे नअत कहने वाले कवियों ने जन्म लिया है और जिनका उदाहरण इस समय इस्लामी देशों में नहीं पाया जाता, अतएव इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तानी मुसलमानों के विचार एवं धारणायें कुछ इस प्रकार है जैसा कि यहां के एक कवि "आसी ग़ाज़ीपुरी" ने अपने इस छन्द में व्यक्त किया है:—

सबा यह जा के तु कहयो मेरे सलाम के बाद।

कि तेरे नाम की रट है खुदा के नाम के बाद।।

नुबूव्वत के अन्त होने का विश्वास।

मुसलमानों का यह भी विश्वास (अक़ीदा) है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह तआला के सर्वोच्च एवं अन्तिम नबी हैं और आप पर वहय एवं नबूव्वत का क्रम सदैव के लिए समाप्त हो गया। अब आप के बाद जो भी नबी होने का दावा करेगा वह झूठा तथा आडम्बरी है। यह विश्वास कुरआन मजीद, हदीस शरीफ़ और तवातुर पर आधारित है और इस अकीदे ने मुस्लिम समाज के लिए सदैव एक लौह घेर तथा सीमान्त रेखा **(Line of demarcation)** का काम दिया है और हर युग में मुसलमानों को षड़यंत्रकारियों का शिकार होने से बचाया है।

सहाब–ए–किराम और अहल बैत–ए–नबवी से प्रेम

मुसलमान उन समस्त महान् भावों का, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान लाये और आपकी सुसंगति का शुभावसर प्राप्त हुआ, उनको सर्वमान रूप से "सहाबा" कहते हैं, उनका सम्मान करना तथा उनकी सेवाओं की सराहना करना अनिवार्य समझते हैं, और उनको दीनदार मुसलमान, अपना हितकारी तथा महापुरूष मानते हैं और जब कभी उनमें से किसी का नाम लेते हैं तो "रजी अल्लाहु तआला अन्हु" कहते है। उन में से चार को अत्यन्त महान माना जाता है जो क्रमशः अग्रलिखित है:—

१. हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़

२. हज़रत उमर फ़ारूक़

३. हज़रत उस्मान ग़नी

तथा ४. हज़रत अली मुर्तूज़ा रजी–अल्लाहु तआला अन्हुम।

उपर्युक्त चारों महान सहाबी क्रमानुसार हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ख़लीफ़ा अर्थात उत्तराधिकारी हुए हैं। इन चारों सहाबा को क्रमशः अन्य सहाबियों की अपेक्षा उच्च श्रेणी का माना जाता है और जुमा तथा दोनों ईदों के खुत्बे में रसूल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद इनका नाम अवश्य लिया जाता है। इन चार के अतिरिक्त छः और सहाबी है जिनको रसूलल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसी

संसार में जन्नती होने की शुभ सूचना दे दी थी, इन इस सहाबियों को "अशरह मुबश्शरह" कहते हैं।

मुसलमान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ख़ानदान के सदस्यों को अहलेबैत कहते हैं तथा जिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की धर्म पत्नियाँ, सुपुत्रियाँ तथा नवासे सम्मिलित हैं, और जिन से प्रेम रखना प्रत्येक मुसलमान अपना कर्तव्य समझता है और उनको सदैव श्रद्धा, प्रेम पूर्वक तथा सम्मान के साथ याद करते हैं, साथ ही इस बात को अपने पैगम्बर से प्रेम एवं सम्मान का एक अंग मानते है।

क़ुरआन मजीद की महिमा तथा उसका मान एवं स्थान

मुसलमान क़ुरआन मजीद को एक मात्र रूप नैतिक एवं सामाजिक नियमों का संकलन एवं ज्ञान का स्रोत ही नहीं मानते बल्कि ईश्वर प्रदत्त अमूल्य निधि के रूप में स्वीकार करते हैं और समयानुसार व्यवहारिक रूप देकर आदि से अन्त तक पढ़ते हैं। शब्द और अर्थ के रूप में खुदा का कलाम तथा वह्य इलाही समझते हैं जिसका प्रत्येक शब्द, अक्षर बिन्दु एवं चिन्ह मूल रूप से सुरक्षित है और इस में लेशमात्र कोई परिवर्तन नहीं हुआ और न हो सकता है। वह इसको सदैव पवित्र तथा वुज़ू करके पढ़ते है और आदर एवं सम्मान हेतु उच्च स्थान पर रखते हैं।

क़ुरआन मजीद कंठस्थ करने का मुसलमानों में रिवाज

क़ुरआन मजीद कंठस्थ (हिफ़्ज़) करने का सम्पूर्ण विश्व कें मुसलमानों में प्रचलन है। हिन्दुस्तान में इसके लिए विशेषकर मदरसों की स्थापना हुई, जहां कुरआन मजीद हिफ़्ज़ करने तथा तजवीद (कंठ विशिष्ट स्थानों से शब्दों तथा अक्षरों का शुद्धीच्चारण) की कलात्मक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है। केवल हमारे देश हिन्दुस्तान में हाफ़िज़ों की संख्या हज़ारों से बढ़कर लाखों तक पहुंच गई है। उनमें ऐसे दक्ष एवं प्रवीण हाफिज़ हैं जो एक ही रात्रि में सम्पूर्ण कुरआन मजीद सुना देते हैं और ऐसी हस्तियां (व्यक्ति) इस समय पाई जाती हैं जिनका रमज़ान के मास में नित्य प्रतिदिन एक कुरआन मजीद पढ़ने का वर्षों से नियम बना हुआ है। इन हाफ़िज़ों में दस दस बारह बारह वर्ष के बच्चे भी अधिक संस्था में पाये जाते हैं जिनको यह ग्रन्थ (कुरआन मजीद) कंटस्थ है और उसको वह प्रवाह के साथ मौखिक रूप में पढ़ सकते हैं। महिलाओं में भी हर युग में एक बड़ी संस्था हाफ़िज़ों की रही है।

हदीस, सुन्नत तथा फ़िक्ह़ से सम्बन्ध

खुदा के पैग़म्बर तथा कुरआन मजीद के बाद दूसरे दर्जे में मुसलमानों का सम्बन्ध हदीस, सुन्नत, शरीअत तथा फ़िक्ह आदि से है। हदीस शरीफ़ मुसलमानों ने जिस प्रकार प्रमाण तथा अपने मूल शब्दों सहित सुरक्षित रखा है, उसके लिये जो स्थायी रूप से सिद्धान्त बनाये तथा हदीसों को एक दूसरे तक पहुंचाने वालों के जीवन चरित्र का संग्रह एकत्र किया, उस पर जो उन्होंने ग्रन्थों का विशाल संग्रहालय तैयार किया और उस वैज्ञानिक विरासत को जिस प्रकार वह अभी तक अपने सीने से लगाये हुए हैं, यह अलग से बड़े अन्वेषणात्मक वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक ग्रन्थ का विषय है और इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। हिन्दुस्तानी मुसलमानों ने हदीस के ज्ञान की ओर विशेष ध्यान दिया और इसमें प्रमुख स्थान प्राप्त किया और अन्तिम दो शताब्दियों में तो वह समस्त इस्लामी संसार का केन्द्र और इस कला का केन्द्र बिन्दु बन गया, जहाँ से उन्हें आश्रय मिलता है। अब भी जिस सुयोजित तथा विस्तृत रूप से यह कला उसके लिए मदरसों विशेषतः दारुलउलूम देवबन्द, मजाहिर उलूम बनारस और कुछ दूसरे मदरसों में पढ़ाई जाती है, उसकी अरब तथा इस्लामी देशों में मिसाल नहीं। इस पवित्र विषय पर रचनाएं एवं उनके संकलन तथा अनुसंधान एवं अन्वेषण का कार्य अब भी चल रहा है और यहां इस विषय में प्रवीण कुछ ऐसे विद्वान पाये जाते हैं जिनकी नजीर भारत वर्ष के बाहर मिलना कठिन है।

मुसलमानों की पांचवी विशेषता विश्वव्यापी इस्लामी बिरादरी से सम्पर्क एवं सम्बन्ध और उसकी समस्याओं के प्रति अभिरुचि

मुसलमानों की पांचवी सामूहिक विशेषता, जिसका समझना और उस पर विचार करना यथार्थवाद का लक्षण है, कि वह अपने को एक विश्वव्यापी समाज का अंग और अपने धर्म (दीन) को सार्वभौमिक तथा विश्वव्यापी धर्म समझते हैं वह अपने इस देश से (जहाँ के वे निवासी हैं) स्नेह एवं प्रेम, शुभाकांक्षा एवं राष्ट्र के प्रति पूर्ण भक्ति भाव तथा उसके निर्माण एवं प्रगति में सक्रिय भाग लेने के साथ अपने को

(शेष पृष्ठ २० पर)

किस्त छठीं

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अख़लाक़

अल्लामा शिबली नोमानी

अहिंसा (NON-VIOLENCE अदम तशद्दुद)

हज़रत मआज़ बिन जबल रजि० एक मुहल्ले में इमामत करते और फ़ज्र की नमाज में बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ते थे। एक व्यक्ति ने आप सल्ल० से शिकायत की कि वह इतनी लम्बी नमाज पढ़ते हैं कि मैं उनके पीछे नमाज़ पढ़ने में असमर्थ रहता हूं। अबू मसऊद अन्सारी रजि० का बयान है कि मैंने आप सल्ल० को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा जितना इस मौके पर देखा। आप ने लोगों को सम्बोधिक करते हुए फरमाया बाज लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को वहशत में डाल देते हैं। जो व्यक्ति तुम में से नमाज पढ़ाये संक्षिप्त पढ़ाये, क्योंकि नमाज़ में बूढ़े, कमजोर, काम वाले सभी तरह के लोग होते हैं।

हद्द व क़िसास (सज़ा व बदला) में बड़ी एहतियात फ़रमाते और जहां तक मुमकिन होता दरगुजर (क्षमा) करना चाहते। माइज़ असलमी एक साहिब थे जो ज़िना (बलात्कार) कर बैठे। लेकिन फौरन मस्जिद में आये और कहा ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने बदकारी की। आप ने मुंह फेर लिया। वह दूसरी तरफ आये। आप ने और तरफ मुंह फेर लिया। आप बार बार मुंह फेर लेते और वह बार बार सामने आकर ज़िना का इकरार करते। अन्ततः फिर आपने फरमाया कि तुम को जुनून तो नहीं है? बोले नहीं। फिर पूछा तुम्हारी शादी हो चुकी है? बोले हां। आपने फरमाया कि तुमने सिर्फ हाथ लगाया होगा? बोले नहीं सम्भोग किया। आखिर मजबूर होकर आप सल्ल० ने हुक्म दिया कि संगसार किये जायें। (बुखारी)

एक दफा एक व्यक्ति ने आकर अर्ज किया कि मुझसे पाप हो गया। आप सजा का हुक्म दें। आप चुप रहे और नमाज़ का वक्त आ गया। नमाज़ के बाद उन्होंने फिर आकर वहीं प्रार्थना की। आपने फरमाया क्या तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी बोले हां पढ़ ली। इरशाद फरमाया तो खुदा ने तुम्हार गुनाह माफ कर दिया।

एक दफा क़बीला ग़ामिद की एक औरत आयी और बोली कि मैं ने बदकारी की। आप ने फरमाया वापस जाओ दूसरे दिन फिर आयी और बोली कि क्या आप मुझको नाइज़ की तरह छोड़ देना चाहते हैं? खुदा की कसम मुझको हमल रह गया है। फिर फरमाया वापस जाओ। वह चली गई। तीसरे दिन फिर वापस आयी। आपने इरशाद फरमाया कि बच्चा के पैदा होने तक इन्तेज़ार करो। जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को गोद में लिए हुये आयी। अर्थात अब ज़िना की सजा देने में क्या हिचकिचाहट है? आपने फरमाया कि दूध पीने की मुद्दत तक इन्तेज़ार करो। जब दूध छूट जाये तब आना। जब रिजाअत (दूध पीने की मुद्दत) का जमाना गुजर गया तो फिर हाजिर हुई। अब आपने मजबूर होकर संगसार करने का हुक्म दिया। लोगों ने उस पर पत्थर बरसाने शुरू किये। एक साहिब का पत्थर उसके चेहरे पर लगा और खून की छींटें उड़कर उनके चेहरे पर आयीं। उन्होंने उसको गाली दी। आप सल्ल० ने फरमाया जबान रोको। खुदा की क़सम ! उसने ऐसी तौबः की है कि जबरन महसूल लेने वाला भी अगर यह तौबः करता तो बख्श दिया जाता। एक दिन एक साहिब ने प्रार्थना की कि हम लोग यहूदियों और ईसाइयों के मुल्क में रहते हैं क्या उनके बर्तनों में खाना खा लिया करें? फरमाया और बर्तन हाथ आये तो उन के बर्तनों में न खाओं, वरना उनको धोकर खा सकते हो।

एक बार एक सहाबी ने रमजान के महीने तक के लिए अपनी पत्नी से ज़ेहार (हम पुश्त होना) कर लिया। लेकिन अभी यह मुद्दत गुजरने न पायी थी कि उसके पास चले गये और सम्भोग कर लिया। फिर लोगों को इस घटना की खबर दी और कहा मुझे रसूलल्लाहु सल्ल० की ख़िदमत में ले चलो। सबने इन्कार कर दिया उन्हों ने स्वयं आप सल्ल० की ख़िदमत में हाज़िर होकर घटना बयान की। आपने पहले तो आश्चर्य व्यक्त किया फिर एक गुलाम के आजाद करने का हुक्म दिया। उन्हों ने कहा मैं दरिद्र हूं तो आपने लगातार दो माह तक रोज़े रखने की हिदायत फरमायी। उन्होंने कहा यह सब तो रमजान ही की वजह से हुआ है। अब आपने साठ मिसकीनों (दीन–दुखियों)

पर सदकः करने को फरमाया। उन्होंने कहा हम तो खुद फाका कर रहे हैं। आप ने फरमाया कि सदकः के आमिल (हाकिम) के पास चले जाओ वह तुम्हें एक वसक् (लगभग एक सौ सत्तर किलोग्राम) खजूर देगा उसमें से साठ मिसकीनों को दे देना और जो बचे वह अपने बाल बच्चों पर खर्च करना। वह पलटे तो लोगों से कहा कि तुम लोग मुतशद्दिद (सख्ती करने वाले) और बदतदबीर (फूहड़) थे, लेकिन रसूलल्लाह सल्ल० की खिदमत में सुन्दर राय और आसानी नजर आयी। (अबू दाऊद)

एक बार एक और सहाबी खिदमते अकदस में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसुलल्लाह! मैं बरबाद हो गया। रोज़ा में अपनी बीवी से हम बिस्तर हुआ। आपने फरमाया एक गुलाम आजाद कर सकते हो? कहा नहीं फरमाया दो महीने तक रोजा रख सकते हो? कहा नहीं। फरमाया साठ मुहताजों को खाना खिला सकते हो? कहा इसकी भी क्षमता नहीं। आप सल्ल० खामोश रहे। कुछ देर न गुजरी थी कि एक व्यक्ति ने खजूरों की एक टोकरी तोहफे में पेश की आपने फरमाया सायल कहां गया? सायल ने कहा या रसूलल्लाह! मैं यहां हूं। फरमाया इन खजूरों को ले जाओं और किसी गरीब को खैरात दे दो। सायल ने अर्ज की या रसूलल्लाह मदीना में मुझसे ज्यादा गरीब कौन होगा? आप सल्ल० हंस पड़े और फरमाया जाओ घर ही वालों को खिला दो।

तकश्शुफ़ (सन्यास) नापसन्द था।

रहबानियत और सन्यास को नापसन्द करते थे। सहाबः में से बाज़ बुजुर्ग स्वभावतः ईसाई राहिबों के असर से रुहबानियत पर आमादा थे आप सल्ल० ने उनको बाज़ रखा। बाज़ सहाबः गरीबी की वजह से शादी नहीं कर सकते थे और मन पर नियन्त्रण भी न था उन्होंने अपने गुप्त अंग काटना चाहा। आपने सख्त नाराजगी ज़ाहिर की। कदामः बिन मज़ऊन एक और सहाबी आये कि हम में से एक ने पशुता छोड़ने और दूसरें ने निकाह छोड़ने का इरादा कर लिया है। आपने फरमाया कि मैं तो दोनों से फायदा उठाता हूं। आप की मर्जी न पाकर दोनों साहिब अपने इरादे से बाज रहे। अरब में सौमे विसाल का तरीकः मुद्दत से जारी था अर्थात् कई कई दिन लगातार रोजे रखते थे। सहाबः ने भी इसका इरादा किया लेकिन आपने सख्ती से रोका। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्रू बड़े रियाजत करने वाले थे। उन्होंने संकल्प (अहेद) कर लिया था कि हमेशा दिन को रोजा रखेंगे और रात भर इबादत करेंगे। आप सल्ल० को खबर हुई तो बुला भेजा और पूछा कि क्या यह खबर सही है? अर्ज की हां! फरमाया तुम पर तुम्हारे शरीर का हक् है, आंख का हक है, बीवी का हक् है, महीने में तीन दिन के रोज़े काफ़ी हैं। अब्दुल्ला बिन उम्रू ने कहा मुझको को इससे ज्यादा ताकत है। फरमाया कि अच्छा तीसरे दिन। बोले मैं इससे भी ज्यादा ताक़त रखता हूं। इरशाद हुआ कि एक दिन बीच देकर कि यही दाऊद का रोजा था और यही अफ़ज़ल रोजा है। उन्होंने ने अर्ज़ की कि मुझकों इससे भी ज्यादा कुदरत है। इरशाद हुआ "बस इससे ज्यादा बेहतर नहीं" (बुखारी)

एक रिवायत में हैं कि अब्दुल्ला बिन उम्रू की रोजादारी का चर्चा हुआ तो आप सल्ल० स्वयं उनके पास तशरीफ ले गये उन्होंने स्वागत किया और चमड़े का गद्दा बिछा दिया।

आप सल्ल० जमीन पर बैठ गये और उन से कहा कि तुम को महीने में तीन रोज़े बस नहीं करते। अर्ज की नहीं। फरमाया पांच, बोले नहीं। गर्ज आप बार बार तादाद बढ़ाते जाते और वह इस पर राजी न होते। अन्ततः आपने फरमाया कि खैर हद यह है कि एक दिन इफतार करो और एक दिन रोजा रखो।

एक दफा हजरत अबू हुरैरः ने अर्ज किया कि रसूलल्लाह मैं जवान आदमी हूं और इतीन सकत नहीं कि निकाह करूं न अपने मन पर इतमीनान है। आप सल्ल० चुप रहे। हजरत अबू हुरैर ने फिर उन्हीं शब्दों को दोहराया। आप चुप रहे। तीसरी बार कहा तो आप ने फरमाया कि खुदा का हुक्म टल नहीं सकता।

कबीला बाहिला के एक साहिब आप सल्ल० की खिदमत में हाजिर होकर वापस गये। साल भर के बाद आने का इत्तेफाक् हुआ, लेकिन इतने ही जमाने में उनकी शक्ल व सूरत इतनी बदल गयी कि आप सल्ल० उनको न पहचान सके। उन्हों ने अपना नाम बताया तो आप सल्ल० ने तअज्जुब से पूछा कि तुम तो बहुत खुशजमाल थे, तुम्हारी सूरत क्यों बिगड़ गई? उन्होंने ने कहा जब से आप से विदा हुआ लगातार रोजे रखता हूं। आपने फरमाया अपनी जान को क्यों अजाब में डाला? रमजानके अलावा हर महीने में एक

दिन का रोजा काफी है। उन्होंने कहा इससे ज्यादा की कूवत रखता हूं। आपने एक दिन और बढ़ा दिये। उन्होंने और बढ़ाने की प्रार्थना की। आप ने तीन कर दिये। उनको इससे भी तस्कीन न हुई। तो आप ने अशहरे हराम के रोजा का हुक्म दिया। (अबूदाऊद)

एक दिन चन्द सहाबः खास इस गर्ज से अजवाजे मुत्तहरात (आप सल्ल० की पाक बीवियां) की खिदमत में हाजिर हुए कि आप सल्ल० की इबादत के सिवा कुछ न करते होंगे। हालात सुने तो वह वैसे न थे जैसा वह सोचते थे। बोले कि भला हम को आप सल्ल० से क्या निस्बत? उनके पिछले गुनाह सब खुदा ने माफ कर दिये हैं। फिर एक साहिब ने कहा कि मैं रात भर नमाज पढ़ा करूंगा, दूसरे साहिब बोले मैं उम्र भर रोजा रखूंगा। एक और साहिब ने कहा मैं कभी शादी न करूंगा। आप सल्ल० सुन रहे थे। फरमाया कि खुदा की कसम! मैं तुम से ज्यादा खुदा से डरता हूं, ता हम रोजा भी रखता हूं और इफतार भी करता हूं। नमाज भी पढ़ता हूं और सोता भी हूं। औरतों से निकाह भी करता हूं। जो व्यक्ति मेरे तरीका पर नहीं चलता वह मेरे गिरोह से खारिज है।

किसी गजब में एक सहाबी का एक गार पर गुजर हुआ जिसमें पानी था और आस पास कुछ बोटियां थी। आप सल्ल० की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह! मुझको एक गार मिल गया है जिसमें जरूरत की सब चीजें हैं। मेरा दिल चाहता हैं कि वहां एकान्त में होकर सन्यास ले लूं। आप ने फ़रमाया मैं यहूदियत या नसरानियत लेकर दुनिया में नहीं आया, मैं आसान और सहल इब्राहीमी मजहब लेकर आया हूं।

ऐबजोई और मद्दाही की नापसन्दीदगी

मद्दाही और तारीफ़ को भी (गो दिल से हो) नापसन्द फरमाते थे एक दफा आपकी मजलिस में एक व्यक्ति की चर्चा निकली। उपस्थित जनों में से एक व्यक्ति ने उनकी बहुत तारीफ की। आपने फरमाया तुमने अपने दोस्त की गर्दन काटी। यह शब्द कुछ बार फरमाये फिर इरशाद किया कि तुम को अगर किसी की चाही अनचाही तारीफ़ करनी हो तो यूं कहो कि मेरा ऐसा विचार है। एक दफा एक व्यक्ति किसी विद्वान की तारीफ कर रहा था। हजरत मिकदाद रजि० भी मौजूद थे, उन्होंने जमीन से धूल उठाकर उसके मुंह में झोंक दी और कहा कि रसूलल्लाह सल्ल० ने हुक्म दिया है कि तारीफ करने वालों के मुंह में खाक भर दें।(एक दफा आप मस्जिद तशरीफ लाये एक व्यक्ति नमाज पढ़ रहा था। महजन सक़फ़ी से पूछा यह कौन है? उन्होंने उनका नाम बताया और बहुत तारीफ की। इरशाद फरमाया कि देखो यह सुन न पाये वरना तबाह हो जायेगा, अर्थात दिल में घमण्ड पैदा होगा जो बरबादी का कारण होगा।

एक दफा असवद बिन सरीय जो शायर थे आप सल्ल० के पास आये और अर्ज़ की कि मैंने खुदा की सना (ईश वन्दना) और हुजूर की मदह (तारीफ) में कुछ शेर कहे हैं। फरमाया कि हां खुदा को हम्द (तारीफ) पसन्द है। असवद ने अशआर पढ़ने शुरू किये, इसी बीच कोई साहिब बाहर से आ गये, आपने असवद को रोक दिया दो तीन दफा यही हुआ। असवद ने अर्ज की कि यह कौन साहिब हैं जिन के लिए आप मुझ को बार बार रोक देते हैं। फरमाया कि यह वह व्यक्ति है जो फ़जूल बातें पसन्द नहीं करता।

इस मौके पर यह विचार आ सकता है कि आप सल्ल० हुस्सान रजि० को मेन्बर पर बिठा कर उनके अशआर सुनते थे और फरमाते थे अल्लाहुम्मा अयदहि बेरूहुल कुदस। हालांकि यह अशआर आप सल्ल० की मदह में होते थे, लेकिन घटना यह है कि इन्सान को यह रुत्बा हासिल था कि कविता के जोर से जिस व्यक्ति को चाहते अपमानित और जिसको चाहते सम्मानित कर देते। जिन लोगों ने इस तरीके से आप सल्ल० को दुख पहुंचाना चाहा था, हस्सान की मद्दाही उनकी प्रतिक्रिया थी।(जारी)

प्रस्तुतिः मो० हसन अन्सारी

(पृष्ठ ३४ का शेष)

आक़िला बालिग़ा मुसलमान औरतें मौजूद हों। अच्छा यही है और रवाज में भी यही है कि आम मजमेअ में निकाह हो लेकिन फिर भी दो गवाह मुतअ़य्यन (नियुक्त) करके निकाह—नामे में उनकी गवाही लिखा ली जाए। लड़की से इजाज़त के वक़्त अगर्चि गवाह ज़रूरी नहीं है लेकिन लड़की के इन्कार पर क़ाज़ी बिना गवाह के लड़के के हक़ में फ़ैसला नहीं कर सकता लिहाज़ा लड़की से इजाज़त के वक़्त भी दो गवाह कर लें चाहे बाप ही इजाज़त ले रहा हो और फिर बेहतर होगा कि इन ही दोनों गवाहों को ईजाब व क़ुबूल के भी गवाह बना लें।

प्रश्नः फ़ून के ज़रीऐ दी गयी तलाक़ पड़ती है या नहीं?

उत्तरः फ़ून के जरीऐ दी गयी तलाक़ से, तलाक़ पड़ जाती है। अलबत्ता यह जान लें कि शौहर ही ने तलाक़ दी है।

आठवीं किस्त

संक्षिप्त इस्लामी इतिहास

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु

अब्दुस्सलाम किदवाई नदवी

मिस्र

मिस्र भी रूमी हुकूमत के मातहत था और शाम की हिफ़ाज़त के लिए उस पर कब्ज़ा करना जरूरी था। इसलिए उमर (रजि०) बिन आस का विचार था कि मिस्र भी फतह हो जाए तो रूमियों की तरफ़ से ख़तरा जाता रहेगा अतः उन्होने हज़रत उमर (रजि०) से इस पर बात की। पहले तो इन्कार किया लेकिन जब हज़रत उमर (रजि०) बिन आस ने अधिक जोर दिया तो राजी हो गए और चार हजार फौज देकर उन्हें मिस्र की तरफ रवाना कर दिया।

पहला मुकाबला फरफा शहर में हुआ। एक महीना तक लड़ाई होती रही अन्ततः रूमियों की प्राजय और मुसलमान आगे बढ़कर खास मिस्र तक पहुंच गए। मकूकस, जो रूम के बादशाह की तरफ से यहां शासक था। पहले से मुकाबले के लिए तैयारी कर रहा था। जब मुसलमान निकट आए तो बहुत कोशिश की मगर सफल न हुए। जब अधिक दिन लग गए तो हजरत उमर (रजि०) हजरत जुबैर (रजि०) और हजरत मुकतदाद (रजि०) के साथ कोई दस हजार फौज भेजी और सात महीने तक इस्लामी फौजें क़िला को घेरे पड़ी रहीं लेकिन कोई सूरत न निकली। आखिर एक दिन हजरत जुबैर (रजि०) ने हिम्मत की; सीढ़ी लगा कर फसील (चहार दिवारी) पर चढ़ गए और अन्दर उतर कर दर्वाजा खोल दिया अब क्या था मुसलमान शहर में दाखिल हो गए। मकूकस ने अमान (शरण) मांगी जो मजूंर हो गई।

मकसूस ने यह सुलहनामा सारे मिस्र के लिए किया था लेकिन हरकल(बदशह रूम) ने इसे स्वीकार नहीं किया और समुद्र के रास्ते एक बहुत बड़ी फौज स्कन्दरिया (मिस्र का एक बड़ा शहर) भेजी। मकूकस सुलह कर चुका था। इसलिए लड़ना न चाहता था लेकिन चुपके से उमर बिन आस से कहला दिया कि हम और हमारी क़ौम इस लड़ाई में शरीक नहीं इसलिए हम लोगों को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। मुसलमानों ने इसका वादा कर लिया और सारी लड़ाई में किसी कबती (मकूकस की कौम) को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। रूमियों ने अलबत्ता कई जगह रास्ते में मुकाबला किया लेकिन हर जगह प्राजय हुई। इस्लामी फौज ने बढ़कर स्कन्दरिया को घेर लिया। चूंकि समुद्र का मार्ग खुला हुआ था इसलिए रूमियों की जरूरतें पूरी होती रहती थीं। मुसलमान बहुत दिनों तक शहर के सामने पड़े रहे आखिर सुलह हो गई।

अब सारे देश पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया। हजरत उमर बिन आस ने इस्लामी फौजों के लिए एक शहर आबाद किया जो अब फसवात के नाम से मशहूर है। एक मस्जिद भी बनाई जो आज तक जामअ उमरू बिन आस के नाम से मौजूद है।

हज़रत उमर (रजि०) का देहान्त

मदीना में फिरोज नामी एक पारसी गुलाम रहता था। एक बार उस ने शिकायत की कि मेरे मालिक मुगीरा मुझसे हर रोज दो दिरम वसूल करते हैं जो मेरे लिए बहुत अधिक है हजरत उमर ने पूछा तुम क्या काम करते हो उसने कहा बढ़ई का काम, लोहारी और नक्काशी। आपने फरमाया इन कामों को देखते हुए दो दिरम तो कुछ भी नहीं हैं। वह इस फैसले से बहुत नाराज हुआ। दूसरे दिन हजरत उमर (रजि०) सुबह की नमाज़ पढ़ाने खड़े हुए तो उसने आगे बढ़कर आप पर कई खंजर मारे। जब तक लोग पकड़ें पकड़ें कई और आदमियों को ज़ख़्मी किया। आखिर बड़ी मुश्किल से हाथ आया लेकिन अभी कुछ होने भी नहीं पाया था कि खुद खंजर मार कर मर गया। घायल होने के तीसरे दिन बुद्ध के रोज २६ जिल–हिज्जा (बकरईद) स०२३ हिजरी को हज़रत उमर (रजि०) का स्वर्गवास हो गया और हजरत आयशा (रजि०) के हुजरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास दफन किए गए। आप ने कुल साढ़ेदस वर्ष हुकूमत की। मरते समय तक बाईस लाख इक्यावन हजार तीस (२२५१०३०) वर्ग मील पर कब्जा हो चुका था।

हज़रत उमर के कारनामे

हज़रत उमर रज़ि० अल्लाह अनहा ने कुल साढ़े दस वर्ष हुकूमत

की लेकिन इतनी ही जरा सी मुद्दत में रूम व ईरान की धज्जियां उड़ गईं कभी अरबों के शरीर में कपकपी पैदा हो जाती थी, अब उनके सिहांसन इन्हीं बद्दओं के कब्जे में थे। वही अरब जो पेड़ों और पत्थरों के आगे सिर झुकाते थे देवी और देवताओं के आगे नाक रगड़ते थे, बादशाहों के सामने सज्दा करते थे, अब जो बाहर निकलते हैं तो इस शान से कि न बादशाहों की पर्वा करते हैं न सलतनतों की चिन्ता करते हैं, न फ़ौज से डरते हैं। लाखों आदमी उन्हें रोकने को बढ़ते हैं लेकिन जो सामने आता है तिनकों की तरह बह जाता है। लोग चकित हैं कि एक बारगी यह क्या हो गया लेकिन इस में अचम्भे की क्या बात है ! मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तालीम ही ऐसी जबरदस्त थी। जहां एक बार इस्लाम का असर हुआ और अल्लाह का ख्याल दिल में जमा, फिर क्या था, सारा संसार कदमों के नीचे था, वह अल्लाह के हो गए थे, अल्लाह उनका हो गया था।

निज़ामे ख़िलाफ़त

(ख़िलाफ़त की व्यवस्था)

जैसा कि हज़रत अबूबक्र (रजि०) के हालात में मालूम हो चुका है कि उन्हों ने अपने ज़मानें में रिसालत काल (रसूल के अहद) की व्यवस्था को उसी प्रकार कायम रखा और उस में कोई इज़ाफ़ा नहीं किया लेकिन हजरत उमर (रजि०) के जमाने में बहुत से मुल्क फतह हुए, बहुत सी फौजें इस्लाम लाईं इस से ख़िलाफ़त की व्यवस्था बढ़ानी पड़ी और उसने नियमित रूप से इस्लाभी हुकूमत का रूप ले लिया। इस हुकूमत के इन्तिज़ाम की सूची बहुत लम्बी है। उस जमाने के एक सभ्य सलतनत का कोई विभाग ऐसा न था जो आप ने क़ायम न किया हो लेकिन उन सब की बुन्याद जमहूरियत (लोकतंत्र) और सही इस्लामी तालीम पर रखी।

परामर्श समिति (मजलिसे शूरा) क़ायम की

महान सहाबा उसके सदस्य थे। तमाम महत्वपूर्ण मामलात उन्हीं की सलाह से तय होते थे और आम मुसलमानों को भी आजादी के साथ राये देने का अधिकार था। फतह किये हुए देशों को कई प्रान्तों और जिलों में बांटा गया और उनकी जनगणना (मुर्दमशुमारी) कराई। कृषि योग्य जमीनों का बन्दोबस्त करा कर उनकी पैदावार पर कर और उश्र निर्धारित किया। व्यापार पर चुंगी लगाई, सूबे में गवर्नर, मीरमुंशी और ख़ज़ांची मुक़र्रर किया। अदालत और पुलिस विभाग अलग कायम किए और हर एक जिले में फ़सल् मुकदमों के लिए काज़ी (न्यायधीश) नियुक्त किये। कानून की आम जानकारी के लिए इफ़ता विभाग क़ायम किये। आम निगरानी और देखभाल के लिए जांच विभाग क़ायम किया। बैतूलमाल (राजकोष) के लिए शानदार इमारत बनवाई और मुल्क के तमाम आमद व खर्च के हिसाब किताब का पूरा इन्तिजाम किया। आम जिलों और सूबों में सरकारी इमारतें बनवाईं। आम जनता के लिए सड़क, पुल, मक्का और मदीना की बची हर हर मंज़िल पर चौकियां, सरायें और पानी के तालाब तैयार कराए। कृषि की उन्नति के लिए कई नहरें खुदवाईं। इराके में, कूफ़ा, बसरा, मूसल और मिस्र में फसतात जैसे बड़े बड़े शहर बसाए। कई हजार मस्जिदें बनवाईं। देश के सारे अन्धें, लंगड़े, लूले और अपाहिजों को वज़ीफे मिलते थे। फौज का बड़ा जबरदस्त प्रबन्ध किया।

चन्द वर्षों में कई लाख फौज तैयार कर ली। तमाम बड़े बड़े स्थानों और सीमाओं पर छावनियाँ स्थापित कीं और मज़बूत किले तैयार किये। फौज के अतिरिक्त देश के अमन व शान्ति के लिए पुलिस विभाग अलग क़ायम किया।

हुकूमत के पदधिकारियों की निहायत सख्ती से निगरानी करते थे। किसी बड़े से बड़े अधिकारी को मामूली से मामूली आदमी पर ज़्यादती करने का साहस न था।

आम एलान कर दिया था कि जिन जिन लोगों को अपने अधिकारियों से कोई भी शिकायत हो तो वह हज़ के औसर पर जबकि हर प्रान्त के अधिकारी मौजूद होते हैं बयान करें। इस प्रकार शिकायत का तुरंत निराकरण हो जाता था। किसी कर्मचारी को उस की ज़्यादती पर छोड़ते [illegible] बल्कि आम जनता के सामने उसको सजा देते थे।

बैतुलमाल (राज कोष) की हिफाजत का बड़ा ख्याल था। एक हब्बः (पैसा) भी बेकार खर्च नहीं होता था। एक बार आप को दवा के लिए शहद की जरूरत पड़ी। शहद की हैसियत क्या थी, लेकिन जब तक मुसलमानों से अनुमति न ले ली, उस समय तक न लिया।

प्रजा के आराम व तकलीफ़ का बड़ा ख्याल था। रातों को गश्त करते उनके हालात की जांच करते।

दूर दराज़ देशों में मुखबिर मुकर्रर कर रखे थे, जो मामूली मामूली बातों की खबर भेजते थे। तमाम प्रजा को आप एक नजर से देखते थे। अमीर व गरीब सब आप की निगाह में बराबर थे। दोनों के साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। इंसाफ में किसी की रिआयत नहीं करते थे यहां तक अपनी औलाद को भी नहीं छोड़ते थे। एक लड़के का इसी में देहांत हो गया।

आप ने मज़हबे इस्लाम की बड़ी खिदमत की। आप के जमाने में हजारों आदमी मुसलमान हुए। हजारों मस्जिदें बनवाई। हरमशरीफ और मस्जिदे नबवी (सल्ल०) की इमारत बहुत तंग थी उसका विस्तार कराया। मुजाहिदीन के बाल बच्चों को वजीफ़े मुकर्रर किये। अल्लाह की किताब और रसूल के फर्मान को पूरे देश में फैलाया। हर शहर में कुर्आन की तालीम के लिए मदरसे कायम किये जिनमें लिखना पढ़ना भी सिखाया जाता था। इसलिए अरबों में बहुत जल्द तालीम फैल गई।

खुद बहुत बड़े जबरदस्त सहाबी थे। कई मजहबी इल्म आप ने ईजाद किये। बड़े उपासक व संयमी थे। खुदा के भय से हर समय कांपा करते थे। बहुत ही साधारण मोटा झोटा खाते और फटे पुराने कपड़े पहनते थे। आप का जीवन ऐसा सादा था कि आप में और आप के सेवक में कोई अन्तर न मालूम होता था। आप का रोजाना खर्च कुल दस आने रोज का था। ख्याल करने की बात है कि अरब, ईराक, ईरान और मिस्र जैसे देश जिस खलीफा के अधीन हों और कैसर व किसरा के खजाने जिसके कब्जें में रहे हों, उसकी जिन्दगी ऐसी सादा हो। (जारी)

अनुवाद—हबीबुल्लाह आज़मी

मधुमेह का सरल उपचार

डा० अजय शर्मा

मुधमेह आज विश्व की समस्या बन रही है। इस का मुख्य कारण गलत आहार विहार है। यदि रोगी अपनी दिनचर्या संतुलित कर दे। तो वह सदैव निरोगी रहेगाः—

१. प्रातः सूर्य उदय से पूर्व बिस्तर छोड़ दे। उठने के बाद पीतल या तांबा पात्र में भरा जल ले। जल एक दो गिलास रात में भर कर स्टूल पर रख दे। सुबह सेवन करें। स्टूल लकड़ी का होना चाहिए।

जल के साथ ३—४ तुलसी या नीम के पत्ते लें।

यथा सम्भव हरियाली में टहले।

शौच आदि से निवृत होकर जल पान करें।

नाश्ते का समय ७—८ के बीच रखे। एक गिलास दूध या मट्ठा सेब के साथ ले। सेब सम्पूर्ण आहार होता है।

नाश्ते के बाद थोड़ा विश्राम करें।

स्नान प्रतिदिन जीवन का अंग बनायें। गर्मी में ताजे जल से स्नान करे। ठंडी में गर्म जल का उपयोग करे।

स्नान के समय सब से पहले सिर पर पानी छोड़ें।

सुबह बिस्तर से उठने पर जमीन पर पैर न रखे। चप्पल पहनकर चलें।

दोपहर १२—१ के बीच में रेशेदार हरी सब्जी, रोटी, सलाद का सेवन करे।

भोजन हमेशा हल्का ले।

सुबह का भोजन, अधिक दोपहर का भोजन ५० प्रतिशत रात का भोजन मात्र २५ प्रतिशत ले।

भोजन के बाद दो चम्मच त्रिफला चूर्ण, दोनो समय जल से ले। सादा जल।

५—६ शाम को उबला या भूना चना या अन्य हल्का नाश्ता ले।

७—८ के मध्य रात का हल्का भोजन सलाद के साथ ले।

रात्रि में सोते समय दो कैपसूल ब्राहनी के ले।

दिन भर तनाव को मनोरंजक से दूर करे।

रात में सोते समय सिर पर शुद्ध सरसों का तेल लगा कर प्रभू स्मरण (मालिक की याद करके) नींद की प्रक्रिया में आये।

दिन में २—३ बार आंवले का चूर्ण जरूर ले।

जल तांबे या पीतल के पात्र में भरकर सेवन करे। फ्रिज का पानी हानिकारक है।

यदि मधुमेह जटिल हो तो सुबह शाम सुगर वैलेस कैपसूल भोजन के बाद ले।

उपरोक्त प्रक्रिया से पित्त कफ का संतुल सामान्य रहेगा। और आप निरोगी रहेंगे।

मान या मत मान आख़िर मौत है

इस्हाक़ इल्मी

याद रख हर आन आख़िर मौत है
मत तू बन अनजान आख़िर मौत है
लहने दाऊदी तेरा सबको पसन्द
गर है ख़ुश इल्हान आख़िर मौत है
हुस्न पर नाज़ां जवानी में न हो
ऐ दिलों की जान आख़िर मौत है
रहमते हक़ गर तुझे दरकार है
सब पे कर एहसान आख़िर मौत है
है बराबर तख़्त हो या ख़ाक हो
दे ख़ुदा ईमान आख़िर मौत है
इस सरा—ए—हस्तिये फ़ानी में हम
दम के हैं मेहमान आख़िर मौत है
बारहा इल्मी तुझे समझा चुके
मान या मत मान आख़िर मौत है

रस्मैं दीन नहीं हो सकतीं

हैदर अली नदवी

इस्लामी शरीअत अपनी सादगी और आसानी में बे मिस्ल हैं इस्लाम और पैगम्बरे इस्लाम ने आडम्बरों और इन्सानों द्वारा बनाए गए रस्मो रवाज को रद किया है। कोई भी काम दीन और नेकी उसी वक्त माना जाएगा जब उसका सुबूत हुजूर (स०) के कौल या अमल से हो या आपके सहाबा (रजि०) ने किया हो मसलन अजान कहना बड़ी अच्छी बात और नेकी का काम है लेकिन इसका एक समय है एक तरीका है समय और तरीके पर कही गयी अजान नेकी होगी इसका सुबूत हदीस शरीफ और सहाबा के अमल से भी होती है और फुक्हा (इस्लाम धर्म के धर्म शास्त्री) ने अपनी किताबों में इसका वर्णन किया है– इसी अजान को अगर कोई आदमी नमाज़े जनाजा या ईदैन के लिये कहे तो यही अमल गुनाह का सबब होगा हालांकि अल्फाज वही हैं अल्लाह की बड़ाई रसूल की शहादत और नमाज की दावत कोई दुन्या की बात नहीं किसी आदमी की बड़ाई नहीं रब्बुलआलमीन और उसके पाक रसूल ही की अज़्मत का जिक्र होगा लेकिन फिर भी यह अमल नाजाइज है बजाए नेकी के गुनाह होगा क्यों भाई इसमें क्या गुनाह की बात हो गयी ? भाई यह समय और तरीके से हट कर कही गयी जिसका हुक्म न तो हमारे नबी ने दिया न सहाबा ने कभी ऐसा किया न चारों इमामों में से किसी ने इसके बारे में लिखा इसका मौका महल तो फर्ज नमाज़े हैं, फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए उनके वक्त ही में कही जाएंगी। अगर कोई नमाज़े जनाज़ा या ईदैन के लिए अजान कहे और दूसरा शख्स मना करे भाई ये अजान का मौका महल नहीं है तो वह बिगड़ जाए और कहे कि यह शख्स अजान को नहीं मानता है अजान के खिलाफ है बताओ भाई उसको क्या कहा जाएगा इसी तरह नमाज का मसअला है अगर कोई सर फिरा कहने लगे कि हम ६ वक्त फ़र्ज़ नमाज़े पढ़ेगें नमाज ही तो है अल्हम्दु और कुरआन की सूरतें पढ़ेगें रुकूअ सज्दे में अल्लाह की पाकी बयान करेगें कोई गलत काम तो नहीं करेगें या कोई ४ रकअत की ६ रकअत फर्ज पढ़ने लगे तो सारे मुफ्ती यही फत्वा देगें कि उसका यह अमल हराम है यह सवाब नहीं अजाब कमा रहा है जबकि जाहिर में उसने कोई गलत बात नहीं कही नमाज को बड़े इत्मीनान के साथ नमाज के तरीके पर ही पढ़ा है फिर भी मुफ्ती साहब का फत्वा आएगा कि हराम है क्योंकि शरीअत ने पांच वक्त फर्ज की थी यह ६ वक्त की फर्जे पढ़ रहा है शरीअत में चार रकअत फर्ज है दीन अधूरा था। हुजूर (स०) ने सहाबा ने इमामों ने अधूरा दीन पेश किया अब मैं पूरा कर रहा हूं। मेरे भाइयो इसी तरह बहुत से काम हम लोगों ने निकाल लिये हैं जिन को हम दीनी हैसियत दिये हुए हैं हालांकि उन कामों को न हुजूर (स०) सिखाया न सहाब–ए–किएम ने किया न फुकहाए उम्मत ने लिखा आप गिर्द व पेश देखें तो दसयों काम ऐसे नजर आ जाएगें। जबकि फर्ज की अदाएगी से दूर हैं, अख्लाक़ और मामलात बेहद खराब, रिश्वत चोरी बदगोई, गीबत, चुगली हसद जलन जुल्म सितम जैसी बेशुमार रूहानी बीमारियां हमारी आखिरत बर्बाद कर रही है याद रहे सलाम व दरूद का हुक्म कुरआन में है अगर कोई इसका इन्कार करता है तो वह मुसलमान नहीं हर अमल की हैसियत और अदा करने का तरीका अलग अलग है मसलन नमाज में अत्तहियत की हालत में सलाम पढ़ना जरूरी है हर नमाज़ पढ़ने वाला हर दो रकअत में हुजूर पर सलाम पढ़ता है इसी तरह दुरूद शरीफ पढ़ना सुन्नत है। ये सलाम बैठकर ही पढ़ा जाएगा नमाज के बाद उठते बैठते चलते फिरते खड़े बैठे जैसे चाहे दरूद पढ़ें लेकिन अगर चन्द लोग खड़े होकर या मीलाद में खड़े होकर पढ़ने को जरूरी करार दें लें और जो उनके साथ न पढ़े उसको हुजूर (स०) का न मानने वाला कह दें तो यह बात कैसे ठीक हो सकती है, जिस शरीअत में नमाज का एक एक मसअला हज ज़कात रोज़े का एक–एक मसअला, खाना खाने पानी पीने का तरीका पेशाब पाखाने का तरीका मिलता है लेकिन किसी हदीस में किसी सहाबी के अमल मे जिन बातों का जिक्र नहीं मिलता। भाई फातिहा का सीधा तरीका है किसी गरीब को खाना दे दिया या खिला दिया या पैसा कपड़ा अनाज जो तौफ़ीक हो दे दे और अल्लाह से दुआ करे कि

या अल्लाह हमारे इस खाने को पैसे को कपड़ों को या नफ्ली नमाज़ को रोजे को कुबूल फरमा ले और इसका सवाब तमाम मोमिनीन को, हमारे वालिद को वालिदा पहुंचा दे अब अगर पैसा खाना हलाल होगा तो अल्लाह पाक उसका सवाब पहुंचा देगें चाहिए कि रोजाना कुछ न कुछ कुरआन पढ़कर अपने बुजुर्गों को बख्श दिया करो अल्लाह तौफीक दे हफ्ते में गरीब को खाना पैसा देकर उसका सवाब पहुंचाओ और भाई सबसे पहले तो अपनी फिक्र करो नेकियां कमालो की किसी के मोहताज न बनो। क़ियामत में पहले यह सवाल होगा कि नमाज पांच वक्त की अदा की थी कि नहीं रोजे जकात पुरे किये थे कि नहीं नबी की सुन्नत पर चले थे कि नहीं कमाई और खर्च सुन्नत के तरीके पर किया था कि नहीं सरकार ने इस्लाम की बुनियाद ५ चीजों पर बताई है ये अगर ज़िन्दगी में है तो हर अमल कुबूल भाईयो हम शरीअत की पाबन्दी भी करें फिर मरहूमीन को फातिहा भी पहुंचाए दीनी जलसें करें दरूद सलाम पढ़ें सब नफा देगा।

Mob: 9415006053

Mohd. Irfan
Proprietor

न्यू करीम ज्वैलर्स

NEW KAREEM JEWELLERS

Shop No. 1 Balad Market, Opp. Ek Menara Masjid, Akbarigate, Lucknow. Ph.: (S) 2260890

(पृष्ठ १२ का शेष)

उस अन्तर्राष्ट्रीय कुटुम्ब का एक सदस्य या उस अन्तर्राष्ट्रीय समाज का एक कुटुम्ब समझते है, सामान्य इस्लामी प्रसंगों में रुचि लेने दूसरे मुस्लिम देशों के संकटों, विपत्तियों तथा समस्याओं से प्रभावित होने, संभाव्य एवं वैधानिक सीमाओं के अन्दर उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने तथा नैतिक सहायता प्रदान करने को देश प्रेम तथा राष्ट्र भक्ति के विरुद्ध नहीं समझते, अपितु धर्म, मानवता, प्रकृति एवं न्याय के अनुकूल समझते हैं और इस को देश के लिए लाभ प्रद तथा उसकी सुदृढ़ता के प्रति योगदान समझते है। हिन्दुस्तानी मुसलमान इस भाव को व्यक्त करने में सदैव तत्पर रहे हैं उन्हों ने स्वतन्त्रता संग्राम से पूर्व खिलाफत के प्रश्न का, जिस प्रबल रूप से समर्थन किया, और खिलाफत के रक्षक तुर्की के प्रति जिस सहानुभूति का प्रदर्शन किया और "खिलाफत कमेटी" की स्थापना करके जिस तरह उन्होंने समस्त देश तथा स्वयं हिन्दुस्तान के सर्वोच्च नेता गांधी जी का सहयोग प्रदान किया और अली बिरादरान, मौलाना आजाद और मौलाना अब्दुल बारी तथा उनके साथियों ने जिस तरह समस्त देश के जीवन में एक लहर उत्पन्न कर नवीन चेतना भर दी उसके देखने वाले अभी पाये जाते हैं। फिलिस्तीन की समस्या के प्रति उन्होंने अपनी असीम रुचि का प्रदर्शन किया, यह धार्मिक (मिल्ली) प्रवृत्ति और उनकी शिक्षा एवं इतिहास की स्वाभाविक आवश्यकता (तकाजा) है और उनके बारे में कोई मत निर्धारित करने या कोई कार्यविधि निश्चित करने से पूर्व उनकी इस स्वाभाविक विशेषता का अध्ययन करना अति आवश्यक है।

ग़ज़ल

डा० एम० नसीम आज़मी

सफाई निस्फ ईमां है सबक यह पाक है बाबा
नहीं ईमान जिसमें है वो तो नापाक है बाबा
जब हम ईमां में कामिल थे हमीं थे साहिबे इज़्ज़त
हमारे पांव के नीचे यहां अफ्लाक थे बाबा
पढ़ी है अहले युरप ने किताबें मेरे आबा की
नहीं तो इससे पहले कितने जुल्मत नाक थे बाबा
यह दुन्या गोल है हमने बताया हमने नापा है
समुन्दर चीरते थें किस कदर बेबाक थे बाबा
हमारी देन है वह कीमिया हो या कि जुलोजी
हमारे तज्रिबे भी कितने हैरत नाक थे बाबा
लहू देकर बहारे जां फजा उनको बनाया था
वही मौसम हमारे हक में जो सफ्फाक थे बाबा
अमल के जोरे बे पायां से जब तक्दीरे आलम थे
तो बातिल के लिए हम कितने हैबत नाक थे बाबा
गंवा दी फिक्र की दौलत खजाने इल्म व हिक्मत के
वह दिन भी थे कि हम इन्सानियत की नाक थे बाबा
जेहालत और ला इल्मी ने रूसवा कर दिया हमको
कभी हम बा शऊर व साहबे इदराक थे बाबा
किये हैं हमने पैदा इब्नेसीना, हैशम, इदरीसी
जनूने इल्म में हम कितने दामन चाक थे बाबा
नसीम-ए-सुब्ह हम ही थे कभी इस मज्रःए-दीं के
फकत साइन्स व हिक्मत में हमीं चालाक थे बाबा

आप से अनुरोध है कि अपनी प्रिय पत्रिका को फैलाएं और इसके नये ग्राहक बनाएं।
—सम्पादक

ग़ैर मुस्लिमों को दुआ तावीज़ से फ़ाइदा

अबू मर्गूब

इस में शक नहीं कि साहिबे ईमान व तक़्वा की झाड़ फूंक और दुआ तअ़वीज़ से आ़म तौर से गैर मुस्लिमों को भी फाइदा पहुंचता है। और उनकी शैतानी तक्लीफें नीज़ बाज़ अमराज़ भी दूर हो जाते हैं। यह अल्लाह का खास करम है। मेरी नाक़िस फ़हम में यह अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से इसलिए होता है ताकि ग़ैर मुस्लिमों पर इस्लाम की सदाक़त ज़ाहिर हो, और कुछ नहीं तो मुख़ालफ़त ही से रूक जाएं साथ ही एक तरह से इत्मामे हुज्जत हो जाए और कल क़ियामत के दिन उन से कहा जा सके कि जब तुम मेरे एक बन्दे को हक़ पर देखते थे तो उसकी पैरवी क्यों नहीं करते थे। दुआ़ तअ़वीज़ का काम करने वालों को चाहिए वह नमाज़ छोड़ने वालों और खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वालों को तअ़वीज़ देने या उनके दुन्यावी कामों के लिए दुआ़ करने से पहले हिक्मत से कुछ नसीहतें ज़रूर किया करें और ग़ैर मुस्लिमों के सामने तौह़ीद बयान कर दिया करें।

हज़रत यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम से जब जेल में दो क़ैदियों ने ख़्वाब (स्वप्न) की तअ़बीर (अर्थ) पूछी तो तअ़बीर बताने से पहले उन्होंने इस तरह की बात की:

जो खाना तुम्हारे खाने के लिए तुम्हारे पास रोज़ आता है उसके आने से पहले मैं तुम को तअ़बीर बता दूंगा, यह उस इल्म (ज्ञान) की वजह से है जिसे मेरे रब ने मुझे सिखाया है। मैंने उन लोगों का तरीक़ा छोड़ रखा है जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और जो आख़िरत को नहीं मानते मैं ने तो अपने बाप दादा का मज़हब इख़्तियार कर रखा है यानी अल्लाह के पैग़म्बर इब्राहीम, इस्हाक़ और यअ़कूब (अ़लैहिमुस्सलाम) का मज़हब। यह बात हमारे लिए ठीक नहीं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं। तौह़ीद (एकेश्वरवाद) का यह अ़क़ीदा अल्लाह तआ़ला का फ़ज़्ले ख़ास है हम पर भी और दूसरों पर भी फिर भी बहुत से लोग शुक्र नहीं करते। ऐ जेल के साथियो ग़ौर करो अलग अलग बहुत से मअ़बूद अच्छे या एक अकेला मअ़बूदे बरहक़ (वास्तविक उपास्य) अच्छा, जो बड़ा ही ज़ोरआवर है? तुम लोग तो अस्ल ख़ुदा को छोड़कर चन्द बेहक़ीक़त (मिथ्या) नामों की इबादत करते हो जिन को तुम ने और तुम्हारे बाप दादाओं ने गढ़ लिया है। अल्लाह की तरफ़ से तो कोई हुक्म (इनके माबूद मानने का) आया नहीं जब कि हुक्म देने का इख़्तियार तो सिर्फ़ अल्लाह को है। उसने तो यह हुक्म दिया है कि उस के सिवा किसी की इबादत मत करो, यही सीधा रास्ता है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते।

(देखिये सूर–ए–यूसुफ़ आयात २७–४०)

ईमान से ख़ाली लोगों को हो सकता है दुआ़ तअ़वीज से फ़ाइदा न हो और यह इम्कान (संभावना) तो ईमान वालों के लिए भी है। हो सकता है कि ग़ैर मुस्लिमों को नाजाइज़ अ़मल्यात से या दवा इलाज से जुनून (पागलपन) से छुटकारा मिल जाए, मिर्गी का मरज़ दूर हो जाए, दूसरी तकलीफ़ (कष्ट) भी दुन्यावी तदबीरों (उपायों) से दूर हो जाए और हो सकता है कोई फ़ाइदा न हो जैसा देखने में आता रहता है लेकिन आख़िरत में यह बेचारे ख़ाली हाथ होंगे। अल्लाह तआ़ला हिदाय अ़ता फ़रमाए।

"जिन लोगों ने हक़ का इन्कार किया और अल्लाह की राह अपनाने में रूकावट बने उनके इस अ़क़ीदे और अ़मल ने उनके नेक अअ़्माल बरबाद कर दिये। (देखिये सूर–ए–मुहम्मद आयत १)

अल्लाहु अकबर

0522-264646

Bombay Jewellers

The Complete Gold & Silver Shop

84, Victoria Street, Akbari Gate, Lucknow.

सिन्धु घाटी की सभ्यता

इतिहास के पन्नों से

इदारा

सिंधु–घाटी की सभ्यता का तात्पर्य

सिंधु हमारे देश की एक नदी का नाम है जो हिमालय पर्वत से निकलती और पंजाब तथा सिंधु प्रदेश से होती हुई अरब सागर में मिलती है। घाटी उस प्रदेश को कहते हैं जो किसी नदी के दोनों ओर स्थिर रहता है और उस नदी के पानी से सींचा जाता। अतएव सिंधु घाटी का तात्पर्य उस प्रदेश से है जो सिंधु नदी के दोनों ओर स्थित है। और सिधु नदी के जल से सींचा जाता है। किसी प्रदेश की सभ्यता का यह तात्पर्य होता है कि वहाँ के लोगों का सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जीवन किस प्रकार का है। अतएव सिंधु घाटी की सभ्यता का यह तात्पर्य हुआ कि सिंधु नदी के दोनों किनारों के प्रदेश में निवास करने वालों की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, तथा राजनीतिक दशा कैसी थी, चूँकि इस बात का अभी ठीक–ठीक निश्चय नहीं हो पाया है कि इस प्रदेश के निवासी कौन थे अतएव इसे किसी जाति–विशेष की सभ्यता न कहकर सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से पुकारा गया है। कुछ विद्वानों ने इसे हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नाम से पुकारा है। हड़प्पा पश्चिमी पजांब के मांटगोमरी जिले में और मोहनजोदड़ो सिंधु के लरकाना जिले में स्थित हैं। १६२२ ई० में श्री राखलदास बनर्जी की अध्यक्षता में इन दोनों स्थानों में खुदाइयाँ हुई हैं। आगे इसी स्थान पर जान मार्शल के नेतृत्व में खुदाइयों में जो वस्तुएँ मिली है उनके अध्ययन से भारत की एक ऐसी सभ्यता का पता लगा है जो ईसा से लगभग चार हजार वर्ष पहले की है अर्थात वैदिक कालीन सभ्यता से भी कहीं अधिक पुरानी है। सिंधु की घाटी के प्रदेश में तथा कुछ अन्य स्थानों में भी खुदाइयाँ हुई हैं जिनमें वही चीजें मिली हैं जो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में मिली थी। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि सिंधु–घाटी के संपूर्ण प्रदेश की सभ्यता के नाम से भी पुकारा गया है। परन्तु अधिकाशं विद्वानों ने इसे सिंधु–घाटी की सभ्यता के नाम से सम्बोधित किया है। उपर्युक्त विवरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सिंधु नदी की घाटी में ईसा से लगभग चार हजार वर्ष पहले जो लोग निवास करते थे उन लोगों का सामाजिक, धर्मिक, आर्थिक, सास्कृतिक, तथा राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था ?

सामाजिक जीवन

हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अमरो, चन्हूदड़ो, झूकरदड़ो स्थानों में खुदाइयों के फलस्वरूप प्राप्त वस्तुओं के अध्ययन से सिंधु–घाटी के लोगों के सामाजिक जीवन पर निम्नलिखित प्रकाश पड़ता है–

(१) नगर योजना :– खुदाइयों से पता लगा है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों ही विशाल नगर थे । इन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार किया गया था नगरों की सड़कें उत्तर से दक्षिण को अथवा पूर्व से पश्चिम को एक दूसरे को सीधे समकोण पर काटती हुई जाती थीं। इस प्रकार नगर इन सड़कों द्वारा कई वर्गाकार अथवा आयताकार भागों में विभक्त हो जाता था। यह सड़कें बड़ी चौड़ी होती थीं। नगर की प्रमुख सड़कें तैंतीस फुट चौड़ी पाई गई हैं जिससे स्पष्ट है कि सड़कों पर एक साथ कई गाड़ियाँ आ–जा सकती थीं। बड़ी–बड़ी सड़कों को मिलाने वाली गलियाँ भी काफी चौड़ी होती थीं। जो गलियाँ कम से कम चौड़ी होती थीं उनकी भी चौड़ाई चार फीट की पाई गई हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यह सड़कें कच्ची हैं और इन्हें पक्की बनाने का प्रयत्न नहीं किया गया।

(२) भवन निर्माण :– सड़कों के दोनों किनारों पर मकान होते थे जो पक्की ईंटों के बने होते थे। यह ईंटे लकड़ी से पकाई जाती थीं। अधिकांश मकान दो मजिलों के होते थे परन्तु दीवारों की मोटाई से पता लगता है कि दो से भी अधिक मंजिल के मकान बनते थे नीचे की मंजिल से ऊपर मंजिल में लाने के लिये सीढ़ियाँ बनी होती थीं। अधिकांश सीढ़ियाँ संकीर्ण मिली हैं परन्तु कुछ काफी चौड़ी तथा सुविधाजनक सीढ़ियाँ भी मिली हैं। बड़े–बड़े मकानों के दरवाजे बड़े चौड़े होते थे। कुछ मकानों के दरवाजे तो इतने चौड़े मिले हैं कि उनमें रथ

तथा बैलगाड़ियाँ भी आ—जा सकती थीं। कमरों में दीवारें के साथ अलमारियाँ भी लगी होती थीं। हड्डियों तथा शंख की बनी हुई कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनसे पता लगता है कि कमरों में खूंटियाँ भी होती थीं दरवाजों तथा मकानों में खिड़कियों का पूरा प्रबन्ध रहता था जिससे हवा तथा प्रकाश की कमी न हो। इन दरवाजों तथा खिड़कियों की एक बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि यह सभी भीतर की दीवारों में बने होते थे। जो दीवारें सार्वजनिक सड़कों की ओर होती थीं उनमें दरवाजे तथा खिड़कियाँ नहीं होती थीं। मकान के बीच आँगन होता था जिसमें एक कोने में रसोईघर बना होता था। रसोईघर के चूल्हे ईंटों के बने होते थे। प्रत्येक मकानमें एक स्नान घर होना आवश्यक था। इन स्नानघरों में मिट्टी के बर्तन में पानी रक्खा रहता था। इन स्नानघरों का फर्श पक्की ईंटों का बना होता था और उसकी सफाई का बड़ा ध्यान रक्खा जाता था। बहुत से स्नानघरों के समीप शौचालय भी मिलें हैं।

(३) नालियों का प्रबन्ध :— नगर के मैले जल को बाहर जाने के लिये नालियों का प्रबन्ध किया गया था। सब नालियाँ पक्की ईंटों की बनी होती थीं। ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी मिले चूने का प्रयोग किया जाता था। कम चौड़ी नालियाँ ईंटों से और अधिक चौड़ी नालियाँ पत्थर के टुकड़े से ढकी जाती थीं। ऊपर की मंजिल का गन्दा पानी नीचे लाने के लिये मिट्टी के पाइपों का प्रयोग किया जाता था।

(४) कुओं का प्रबन्ध :— आसानी से जल प्राप्त करने के लिये सिंधु—घाटी के लोगों ने कुओं का प्रबन्ध किया था। खुदाई में ऐसे कुएँ मिलें हैं जिनकी चौड़ाई दो फीट से सात फीट है। सार्वजनिक कुओं के अतिरिक्त, जो जनता के लिये बने होते थे, लोग अपने घरों में अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिये कुँए बनवाते थे।

(५) जलाशय तथा स्नानघर :— मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक बहुत बड़ा जलाशय भी मिला है। यह जलाशय ४६ फीट लम्बा और ३३ फीट चौड़ा और ८ फीट गहरा है। यह पक्की ईंटों का बना है और इसकी दीवारें बड़ी मजबूत हैं। इस जलाशय के चारों ओर एक बारादरी बनी है जिसकी चौड़ाई १५ फीट है। जल—कुण्ड के दक्षिण—पश्चिम की ओर आठ स्नानघर बने हुए हैं। इन स्नानघरों के ऊपर कमरे बने थे जिनमें पुजारी लोग रहा करते थे। जलाशय के निकट एक कुँआ भी मिला है। संभवतः इसी कुँए के पानी से जलाशय भरा जाता था। जलाशय के निकट एक भवन मिला है जो सभंवतः दुर्ग का भी काम देता था।

(६) नगर की सुरक्षा का प्रबन्ध :— अपने नगर को शत्रुओं से सुरक्षित रखने के लिये वह लोग नगर के चारों ओर खाई तथा दीवार का भी प्रबन्ध करते थे। यह चहारदीवारी संभवतः दुर्ग का भी काम देती थी।

(७) समाज का संगठन :— मोहनजोदड़ो की खुदाईयों से पता लगता है कि सिंधु घाटी के लोगों का समाज चार वर्गों विद्वानों का था जिसमें पुजारी, वैद्य, ज्योतिष आते थे। दुसरे वर्ग में योद्धा लोग आते थे, जिनका कर्तव्य समाज की रक्षा करना होता था। तीसरे वर्ग में व्यवसायी लोग आते थे। ये लोग विभिन्न प्रकार के उद्योग—धन्धे करते थे। चौथे वर्ग में घरेलू नौकर तथा मजदूर आते थे।

(८) भोजन :— खुदाई में गेहूँ, चावल, खजूर, के बीज आदि मिलें हैं जिनसे पता लगता है कि यही चीजें सिंधु—घाटी के लोग खाते रहे होगें। खुदाई में कुछ अधजली हड्डियाँ तथा छिलके भी मिलें हैं जिनसे यह अनुमान लगाया गया है कि ये लोग मछली, मांस, अडें आदि का प्रयोग करते थे। फल, दूध तथा तरकारी का भी यह लोग प्रयोग करते थे।

(६) वेष—भूषा :— सिंधु—घाटी के निवासी छोटी दाढ़ी तथा मूँछें रखते थे। परन्तु कुछ लोग मूँछें मुँडवा भी डालते थे। कुछ लोगों के बाल छोटे होते थे और कुछ लोगों के बाल लम्बे। जिन लोगों के बाल लम्बे होते थे वे चोटी बाँधे रहते थे। यह लोग बालों में कंघी करते थे और पीछे की ओर फेरे रहते थे। सिन्धु—घाटी के लोग ऊनी तथा सूती दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। वह वस्त्र साधारण हुआ करते थे। खुदाई में एक पुरूष की मूर्ति मिली है जिसमें वह शाल ओढ़े है। शाल बाऐं कन्धे पर के ऊपर से और दाहिनी काँख से नीचे जाता है। विद्वानों का अनुमान है कि इनके दो मुख्य वस्त्र रहे होगें। एक शरीर के नीचे के भाग को ढकने के लिए और दूसरा ऊपर के भाग को ढकने के लिये। हड़प्पा की खुदाईयों से पता लगता है कि स्त्रियाँ सिर पर एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनती थीं जो सिर के पीछे की ओर पंखे की तरह उठा रहता था। ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्रियों तथा पुरूषों

के वस्त्र में कोई विशेष अन्तर नहीं होता था। सिंधु–घाटी के लोग विभिन्न प्रकार के आभूषणों का भी प्रयोग करते थे। हार, भुजबंद, कर कंगन तथा अगूँठी स्त्री–पुरूष दोनों ही पहनते थे, परन्तु करधनी, नथुनी, वाली तथा पायजेब केवल स्त्रियाँ पहनती थीं। धनी लोग के आभूषण सोने, चाँदी जवाहरात के बने होते थे परन्तु गरीबों के आभूषण ताँबे, हड्डी तथा पकी हुई मिट्टी के बने होते थे। पीतल के दर्पण तथा हाथी के दाँत की कंघिया भी खुदाई में मिली हैं। ओठ के लिए लेपन–पदार्थ भी होता था।

(१०) आमोद– प्रमोद के साधन :– शिकार इन लोगों का प्रधान साधन था। यह लोग धनुष–बाण से जंगली बकरों तथा हिरनों का शिकार किया करते थे। चिड़ियों के भी पालने तथा उड़ाने का इन लोगों को शौक था। बच्चे मिट्टी की चीजें बनाकर आमोद प्रमोद किया करते थे। यह लोग शतरंज तथा जुआ भी खेलते थे और मुर्गों तथा बैलों को लड़ाया करते थे। नाचने गाने का भी इन लोगों को शौक था।

११. खिलौने– हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाइयों में विभिन्न प्रकार के खिलौने मिले हैं। बच्चों को मिट्टी की छोटी–छोटी गाड़ियों से खेलने का बड़ा शौक था। मनुष्य तथा पशुओं के आकार के विभन्न प्रकार के खिलौने बच्चों के खेलने के लिए बनाये जाते थे। चिड़ियों के भी खिलौने होते थे और बच्चों के बजानें के लिए भोंपू भी बनाये जाते थे।

(१२) यातायात के साधन :– सिंधु घाटी के लोग सड़कें बनाते थे परंतु यह सड़कें कच्ची होती थीं। खुदाईयों से पता लगता है कि बैलगाड़ी मुख्य सवारी होती थीं। हड़प्पा में एक ताँबे का वाहन मिला है जो इक्के के आकार का है।

(१३) स्त्रियों की दशा :– चूँकि यह लोग माता देवी की पूजा किया करते थे अतएव यह अनुमान लगाया गया है कि इनके समाज मे स्त्रियाँ बड़े आदर की दृष्टि से देखी जाती थीं और माता के रूप में स्त्री का ऊँचा स्थान था। शिशु–पालन तथा घर का प्रन्बध करना स्त्री का प्रधान कार्य होता था। इस युग में सम्भवतः पर्दे की प्रथा न थी और धार्मिक तथा सामाजिक उत्सवों में स्त्री–पुरूष समान रूप से भाग लिया करते थे।

(१४) औषधि :– रोगों से मुक्ति पाने के लिये वह लोग विभिन्न प्रकार की औषधियों का भी प्रयोग करते थे। आँख, कान, आंदि के रोगों में वे लोग मछली की हड्डियों का प्रयोग किया करते थे। हिरन के सींग, मूँगा तथा नीम की पत्ती का भी औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता था।

(१५) शव–विसर्जन :– मोहनजोदड़ो की खुदाई में सर जॉन मार्शल ने शव विसर्जन की तीन विधियों का पता लगाया है। पहली विधि के अनुसार संपूर्ण मृत का शरीर को जमीन में गाड़ दिया जाता था। दूसरी विधि के अनुसार पशु–पक्षियों के खा लेने के उपरान्त मृतक जो हाड़ का मांस बचता था वह जमीन में गाड़ दिया जाता था। तीसरी विधि यह थी की मृत्यु के उपरान्त मृतक शरीर को जला दिया जाता था। प्रायः तीसरी विधि का अनुकरण किया जाता था।

शाह फ़हद बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ ने दाअ़िये अजल को लब्बैक कहा

इदारा

पहली अगस्त सन् २००५ (भारत में) २५ जुमादल उख़रा १४२६ हि० दिन पीर सुब्ह् ६ बजे सऊदी अ़रब के बादशाह ख़ादिमुल ह्रमैन अश्शरीफ़ैन शाह फ़हद का इन्तिक़ाल हो गया। अल्लाह तआ़ला उनकी मग़्फ़िरत फ़रमाये। इन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊन्, हम सब अल्लाह के हैं और हम सब को उसी की तरफ़ लौट कर जाना है। शाह की जगह पर शाह अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ के शाह होने का एअ़लान हुआ।

वास्ते जिनके ज़मीनो आसमां पैदा हुए
हुक्मे रब्बुल आलमीं पर वह भी यां से चल बसे
रहमतें उन पर ख़ुदा की रात दिन बरसें मुदाम
जब बुलाया रब ने उनको वो यहां से चल बसे
जो यहां आया यहां से उसको जाना है ज़रूर
उम्र पूरी कर यहां पर सब यहां से चल बसे
साथ जिनके था यहां पर लश्करो फ़ौजो सिपाह
बेकसाना क़ब्र के अन्दर यहां से चल बसे

जून सन् १६८२ की कोई तारीख़ थी किंग सऊद यूनिवर्सिटी में इम्तिहानात चल रहे थे, शाह ख़ालिद के इन्तिक़ाल की ख़बर आई, वहां के दस्तूर के मुताबिक़ इम्तिहानात चलते रहे, शाह फ़हद के बादशाह होने का एअ़लान हुआ, शाह ख़ालिद की नमाज़े जनाज़ा और मिट्टी के बाद वहां के क़ाअ़िदे के मुताबिक शाह फ़हद की बैअ़त (हाथ

(शेष पृष्ठ ३३ पर)

बिगाड़ के बाद दूतों का आगमन

अनेक धर्म व पंथ का बनना

मु० शमीम बहराइची

आदम (अलै०) अपने पैदा करने वाले का पैगाम अर्थात इस्लाम लेकर दुनिया में आये वह खुद पैगम्बर थे उनकी संतान में भी पैगम्बर हुए—

आदम (अलै०) की संतान बढ़ती गई, फैलती गई, बहुत सी बस्तियां बस गई। जीवन की अवधि पूर्ण हुई तो आदम (अलै०) की मृत्यु हो गई। समय बीतता गया। पैगम्बरों के बताये सिखाये ईश्वरीय तरीके एवं विश्वास में बिगाड़ आरम्भ हो गया। और धीरे धीरे लोग असल ईश्वरीय मार्ग से दूर हटते गये। शुद्ध नीतियाँ त्याग कर अशुद्ध नीतियो पर चल पड़े। यहां तक कि जो आदेश दिये गये थे उन्हें भी उन्होंने या तो अपनी भूल गलतियों एव असावधानी से गुम कर दिया या दुष्टता से उसे विकृत करके अपनी इच्छाओं के अनुसार ढाल लिया। पूजा और इबादत के नये नये तरीके अपना लिये ईश्वर ने पुनः मेहरबानी की और उसने इंसानों में से जिसको बेहतर समझा अपना पैगाम पहुंचाने के लिए चुन लिया। यही लोग संदेष्टा और पैगम्बर कहलाये। कुछ लोगों ने संदेष्टाओं की बात मानी और असल ईश्वरीय मार्ग पर वापस आ गये। और कुछ ने नहीं मानी हठधर्मी पर उतर आये। इसी तरह न मानने वालों के अलग अलग धर्म व पंथ बनते गये। मानने वालों का गिरोह सदैव शुरू से एक रहा और न मानने वाले अनेक गिरोह और पंथों में बटते गये। जैसे जैसे आदम (अल०) की संतान संसार में फैलती गई। ईश्वर ने प्रत्येक जाति एवं प्रत्येक देश के लिए अलग अलग संदेष्टा भेजने का प्रबन्ध किया और फिर कुछ कुछ अन्तराल से निरन्तर भेजता रहा। जिनका कर्तव्य यह था कि लोगों को वैध नीति का संदेश दे और जिन आदेशों को उन्होंने विलीन, लुप्त अथवा विकृत कर दिया था। उसे पुनः यर्थाथ रूप में प्रस्तुत कर दें। संदेष्टा सहस्रो वर्ष तक आते रहे। वही इस्लाम धर्म का संदेश और आदेश प्रस्तुत करते रहे जो हजरत आदम (अलै०) लेकर आये थे। परन्तु साधारणतयः होता यही रहा कि मनुष्य की एक बड़ी संख्या ने तो अपने संसारिक लाभ, अपनी सुख भोग वासना और अनेक अज्ञान पूर्ण विद्वेष एवं पक्षपात के कारण वश इस सत्य संदेश का स्वीकार ही नहीं किया। अपितु हठधर्मी का प्रदर्शन किया। संदेष्टाओं का विरोध किया। परन्तु जिन्होंन स्वीकार कर के आज्ञाकारी का रूप धारण किया वे भी शनैः शनैः बिगड़ते चले गये। यहां तक कि ईश्वरीय आदेशों को पूर्णरूपेण खो बैठे। ईश्वरीय पुस्तकों एवं ईश्वरीय वाणी में अपने विचारों का समिश्रण करके उसे परिवर्तित एवं विकृत कर दिया। जितना जितना समय बीतता गया ग्रन्थों में अपनी इच्छानुसार मिश्रण एवं परिवर्तन होता गया और वास्तविकता पर अंध विश्वास छाता चला गया। और धीरे धीरे शताब्दियों में सम्पूर्ण वास्तविकता लुप्त हो गयी।

धर्म के नाम पर शोषण के षड़यंत्रः—

धर्म के नाम पर अन्यायी वर्ण व्यवस्था ऊंच नीच, छुआ छूत, श्रेष्ठता और नीचता के मान दण्ड निश्चित ही नहीं किये गये। अपितु संदेष्टाओं एवं महापुरूषों के व्यक्तित्व एंव चरित्र तक को दूषित कर डाला। और अपने भोग विलास के लिए क्रूर देवदासी प्रथा को ईश्वर की प्रसन्नता का अंग बना दिया गया। सांप, चूहे, पीपल से लेकर लिंग तक की पूजा शुरू कर दी। और सम्भोग वासना की मूर्तियां तक पूजा घरों में रख दी गयीं। निराकर ईश्वर के भोंडे कार्टून मूर्तियों के रूप में बनाकर पूजे जाने लगे। परलोक, आखिरत, स्वर्ग नर्क की धारणा से हट कर पुर्नजन्म एवं आवगमन की धारणा विकसित की गई। आज पुर्नजन्म की यह धारणा जाति, वर्ण ऊंच नीच, छुआ छूत की व्यवस्था को अपनी परिधि में लिये हुए हैं। इस व्यवस्था ने करोड़ों मुनष्यों को मनुष्यता के साधारण अधिकारों तक से वंचित कर दियां उन्हें कुत्ते से भी ज्यादा हीन और तुच्छ इसलिए समझा जाने लगा कि वह पूर्वजन्म के पापी है। मुनष्यों की योनि में भी श्रेष्ठता और नीचता इसी आवागमन की धारणा का परिणाम है। जो न कि तर्क संगत है न न्याय संगत और न बुद्धि संगत इसके निराधार होने के लिए मात्र इतना प्रमाण काफी होगा कि एक हीन प्राणी यह नहीं जानता है कि वह किस पाप के कारण इस हीन योनि में आया है और न ही मनुष्य को पता होता है कि वह किस कर्म के फलस्वरूप इस उच्च

योनि में आया है। इसके बाद भी हमारे देश के समाज का एक बड़ा वर्ग ईश्वर की दी हुई विवेक और बुद्धि पर ताला डाले पड़ा है। और भारतीय धर्म और संस्कृति की महानता पर गर्व कर रहा है। अजन्ता, एलोरा, खजुराहो की कृतियों को। कथित भगवानों, संत, महात्माओं की रास लीलाओं को अध्यात्मिकता का नाम दे रहा है।

विचार कीजिये? .... चिन्तन मनन कीजिये। अपनी अन्तरात्मा से पूछिये। सत्य क्या है? .... असत्य क्या है?.......... ईश्वर के प्रति जवाब देही के इनकार की यही वह पुर्नजन्म की बुनियादी धारणा है जिसने मानव को सत्य के खोज के प्रति न केवल उदासीन किया। अपितु मानव के अन्दर जो कुछ भी बिगाड़ आ रहा है। वह इसी गलत धारणा का परिणाम है। नैतिकता के लिए प्रेरणा स्वर्ग, नर्क के विश्वास से ही सम्भव है। और यही सच भी है।

अन्तिम ईश दूत

इन्हीं सारे बिगाड़ों के सुधार हेतु संदेष्टा आते रहे। संसार का कोई ऐसा देश नहीं है जहां ईश्वर के संदेष्टा न आये हों। और उन सभी का धर्म एक ही था और वह यही धर्म था। जिसको अन्तिम संदेष्टा हजरत मोहम्मद सल्ल० लेकर आये। आमतौर पर लोग इस गलत फहमी में हैं कि इस्लमा का आरम्भ हजरत मोहम्मद सल्ल० से हुआ। यहां तक कि आप को इस्लाम का संस्थापक भी कह दिया जाता है। यह बात पूर्णतयः अज्ञानता पर आधारित है। इस्लाम कदापि कोई नया धर्म नहीं है। यह सदा से सत्य प्रिय व्यक्तियों एवं नबियों का धर्म रहा है। वास्तविकता की दृष्टि से सच्चा धर्म हमेशा एक रहा, और उसकी मौलिक शिक्षाये भी एक रहीं इस्लाम धर्म सारे मनुष्यों का है। आप सारे मनुष्यों के लिए ईश्वर की ओर से अन्तिम संदेष्टा है। अब आपके बाद संसार में कोई नया नबी (संदेष्टा) आने वाला नहीं है। आपके द्वारा सत्य धर्म को पूर्ण रूप देकर सुरक्षित कर दिया गया है यही कारण है कि १४५० (साढ़े चौदह वर्ष) बीत जाने, और बौद्धिक विकास के बावजूद कोई विश्वव्यापी धर्म नहीं आया।

प्रथम मानव आदम (अलै०) भी इस्लाम के संदेष्टा थे। प्रारम्भिक वैदिक आर्यों का धर्म भी इस्लाम था। यहूदी भी प्रारम्भ में इस्लाम पर थे। और हजरत ईसा (अलै०) भी इस्लाम धर्म का संदेश लाये थे। संदेष्टाओं की अब अन्तिम कड़ी हजरत मोहम्मद (सल्ल०) हैं।

अन्तिम संदेष्टा के जन्म के समय संसार की स्थित

जिस समय हज़रत मोहम्मद सल्ल० का जन्म हुआ। संसार की क्या दशा थी? इसको जानने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटें तो आप देखेंगे कि सत्य धर्म पूरे संसार में अपने वास्तविक रूप में कहीं भी विद्यमान नहीं था। हजरत ईसा अलै० के बाद लगभग छः शताब्दी तक कोई संदेष्टा नहीं हुआ। भारत में श्री राम चन्द्र, श्री कृष्ण जी और गौतम बुद्ध का समय ईसा अलै० के बहुत पहले का था। ईरान के जरतुश्त और चीन के कनफयुशस का समय भी अत्यन्त प्राचीन है जरतुश्त के धर्म में एक ईश्वर के स्थान पर दो ईश्वर की कल्पना कर ली गई थी। जिसमें एक ईश्वर नेकी का था तो दूसरा बदी का। भारत आज आपके सामने है। उस समय कैसा रहा होगा? कल्पना कर लीजिये अथवा प्राचीन भारतीय सभ्यता एंव धर्म के रंग रूप को ऐतिहासिक दस्तावेजों में पढ़ लीजिये।

इस प्रकार जो भी और जहां कुछ भी धर्म के रूप में शेष रह गया था। वह अपनी वास्तविकता खो कर नये नामाकरण के रूप में परिवर्तित हो चुके थे। यहूदी धर्म यहुदा कबीला के नाम पर बुद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के नाम पर जरतुश्ती धर्म जरतुश्त के नाम और ईसाई धर्म ईसा (अलै०) के नाम पर। इसी तरह दूसरे और धर्मों के नामों का भी यही हाल हुआ और वास्तविक नाम लुप्त हो गया। हर कौम ने अपना अलग अलग धर्म व पंथ बना लिया। ईसाई धर्म एक के स्थान पर तीन खुदा स्वीकार करने लगा विश्वास के बिगाड़ के साथ तौर तरीके एवं इबादत के ढंग और रूप बदल गये। नग्नता और अश्लीलता को भी धर्म का अंग बना दिया गया। मानवता का विभाजन कर अनेक श्रेणी एंव वर्ग में बांटा गया। समाज के एक बड़े वर्ग को दास और सेवक बनाया गया मानवता की यह दुर्दशा किसी एक देश में न थी। थोड़े बहुत अन्तर के साथ सभी देशों में पाई जाती थी। ऐसे में अल्लाह तआला ने अपने अन्तिम प्रिय नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भेज कर अपनी अन्तिम पुस्तक कुर्आन शरीफ़ उन पर उतार कर इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। अब कियामत तक कोई दूसरा नबी न आएगा अब नजात (मोक्ष) का केवल एक रास्ता है और वह है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी।

तिब्बे नबवी

गुफ़रान नदवी

खाना और खाने के आदाब

खाना और खाने के आदाब इस्लाम मुकम्मल दीन है, पैदाइश से मौत तक इन्सान को जो ज़रूरतें पेश आती हैं, उन सबके लिए अल्लाह व रसूल ने तफ़सीली हिदायत (आदेश) दिये हैं, चुनांचि नबी करीम (स० अ०) ने खाने के आदाब के बारे में हमारे लिए मुफ़स्सल हिदायात (आदेश) का ज़ख़ीरा (भण्डार) छोड़ा है— खाना कैसे खाएं ? शुरू कैसे करें ? खाने के लिए बैठने का ढंग क्या हो? खाना किस तरीक़े से खाया जाए? एक साथ एक जगह खाने की बरकात क्या है ? दूसरों को खाने में शरीक करना किस क़दर ख़ैर व बरकत का ज़रया है ? खाने से पहले और खाने के बाद कौन सी दुआएं मसनून हैं ? ग़रज़ खाने के बारे में शायद ही ऐसा अहम सवाल होगा, जिसका जवाब इरशादाते नबवी में मौजूद न हो। खाने से सबंधित कुछ ज़रूरी बातें पेश की जा रही हैं :—

खाने से पहले हाथ धोना

कहा जाता है, खाने से पहले हाथ मुँह धोना ग़रीबी को दूर करता है और खाने के बाद हाथ मुँह धोना मोटापे को दूर करता है नबी करीम (स० अ०) ने फ़रमाया :— खाने से पहले खाने के बाद वज़ू से खाने में बरकत होती है। (सुनन अबु दाऊद, तिरमिज़ी)

सुन्नत यह है कि खाने से पहले हाथ धोने के बाद किसी कपड़े या तौलिया से हाथ खुश्क न किये जाएं, अलबत्ता खाने के बाद हाथ धोकर बेशक किसी कपड़े या तौलिये से खुश्क कर लिए जाएं, अल्लाह अल्लाह किस क़दर पुर हिक्मत है रसूले उम्मी का तरीका, रूमाल हो या तौलिया उसमें जरासीम (कीटाणु) और गर्द व गुबार का होना बिलकुल मुमकिन है। खाने के लिए हाथ धोएं और रूमाल या तौलिया से खुश्क किये तो गोया हाथ धोने का सारा मक़सद ही ख़त्म हो गया।

खाने से पहले दुआ

हज़रत रसूल करीम (स०अ०) का इरशाद है कि जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाएगा, उसमें बरकत होगी, चुनांचि खाना शुरू करने से पहले हुज़ूर (स०अ०) की मसनून दुआ है:— "बिसमिल्लाहे व अला बरकतिल्लाह" (अल्लाह के नाम से और उसकी बरकत के साथ) मुबारक है वह बन्दे जो अपने ख़ालिक़ व मालिक के नाम से ही अपने हर काम को शुरू करते हैऔर दोजहान की बरकतों से मालामाल होते है।

खाने के लिए बैठने का अन्दाज़

सरवरे काइनात सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किस अन्दाज़ (ढंग) से बैठकर खाना खाते थे। इस सवाल का जवाब एक हदीस के इस टुकड़े में देखये:—

"खाना खाने के लिए रसूलुल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दो ज़ानों होकर तशरीफ़ रखते और अपने मुबारक क़दमों (पैरों) की पुश्त पर बैठते, अक्सर आप दायां कदमे मुबारक खड़ा कर लेते और बाएं क़दम पर बैठते" बैठने के इस तरीक़े को बयान करने के बाद रावी (हदीस बयान करने वाला) इसकी वजह बताता है:— "यह अन्दाज़ (तरीका) अपने ख़ुदाए बुजुर्ग बरतर के हुज़ूर आजिज़ी ज़ाहिर करने और खाने के अदब व एहतिराम (आदर व सम्मान) की वजह से था हुजूर अकरम (स०अ०व०) के ख़ास बैठने के तरीके पर ग़ौर कीजिये, किस क़दर फ़ितरी (प्राकृतिक) है और इस तरह बैठने से किस क़दर राहत महसूस होती है। बेशक आदमी देर तक इस तरह बैठा रहे, तकान उसके करीब नहीं आती, खाने के समय कोई बोझ नहीं होता, इसके अलावा जो भी तरीक़ा अपनाएंगे, उससे तबीअत पर एक क़िस्म का बोझ महसूस होगा। जो लोग खड़े होकर खाने में अर्थात बोफ़े में एक सम्मान, और गर्व समझते हैं वह ग़ौर करें कि वह न सिर्फ सुन्नते नबवी की मुख़ालिफ़त करते हैं, बल्कि रिज़्क की बेहुरमती करते हैं, और खाना खाने में तकलीफ़ भी उठाते हैं दस्तरखुवान पर बैठकर खाना खाने के लिए बहुत कम जगह लगती है, इसके अलावा भाई चारगी, मसावात (समानता) आपसी मेलजोल का जो मुज़ाहरा (प्रदर्शन) होता है, वह किसी और तरीक़े से मुमकिन नहीं।

अल्लाह का नाम लेकर दाहिने हाथ से खाएं:—

खाने पीने के आदाब (नियम) में दूसरे कामों के अलावा दो बातों का हमेशा ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है।

१. अल्लाह के नाम से (बिसमिल्लाह के साथ) शुरू करना २. दाएं हाथ से खाना पीना।

अमर बिन सलमा (रजीअल्लाहु अन्हू) कहते है कि मुझसे हज़रत रसूले खुदा (स०अ० व सल्लम) ने फ़रमायाः– अल्लाह का नाम लो (बिसमिल्लाह पढ़ो) दाएं हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत आएशा सिद्दीक़ा (रज़ीअल्लाहु अन्हा) का बयान है कि हज़रत रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः– जब तुम में से कोई खाना खाने लगे तो अल्लाह तआला का नाम लेकर खाए और अगर शुरू में अल्लाह तआला का नाम लेना भूल जाए तो यूं कहे:–

बिस्मिल्लाहि अव्वलिहि व आख़िरिहि (अबू दाऊद तिरमिज़ी)

हज़रत जाबिर रजीअल्लाहु अन्हु से रवायत है कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुये सुना है "जब कोई शख्स अपने घर में दाख़िल होते वक़्त और खाना खाते वक़्त "बिसमिल्लाह" पढ़ता है तो शैतान अपने साथियों से कहता है चलो यहां तुम्हारे लिए न रात गुज़ारने की जगह है और न ही खाने को है और जब कोई शख्स घर में दाख़िल होते वक़्त "बिसमिल्लाह" नहीं कहता है, न खाना शुरू करते वक्त, तो शैतान कहता है तुम्हें रात बसर करने का ठिकाना भी मिल गया, और खाना भी, (मुस्लिम शरीफ़)

हज़रत सिद्दीक़ा रज़ीअल्लाह अन्हा फ़रमाती है कि एक दिन रसूले खुदा स०अ० अपने छः साथियों के साथ खाना खा रहे थे कि एक आराबी (दीहाती) आया और उसने दो लुकमों में उसे खा लिया, उस पर हुजूर स०अ० ने फ़रमाया अगर यह अल्लाह के नाम से शुरू करता तो तुम सब के लिए काफ़ी होता, (तिरमिज़ी शरीफ़)

हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम स०अ० व सल्लम ने फ़रमाया "तुममे से कोई शख्स न बाएं हाथ से खाए न बाएं हाथ से पिये क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता पीता है। (सुनन अबू दाऊद तिरमिजी)

ज़ियादा खाने के नुक़सानात

फ़रमाया हज़रत रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने "बहुत ज़ियादा खाने वाले से अल्लाह की पनाह मांगो"

१. डायबेटिस (शूगर) ज़ियादा खाने का यह पहला नतीजा है, क्योंकि ज़ियादा खाने की वजह से लबलबे को ज़ियादा काम करना पड़ता है, इसकी वहज से अन्दरूनी रूतूबत (**INSULIN**) कम हो जाती है और खून में शकर की ज़ियादती हो जाती है।

२. ब्लेड प्रेशर की ज़ियादती अधिक खाने का दूसरा अनिवार्य नतीजा होता है, चुनांचि डायबिटीज़ और ब्लेड प्रेशर एक दूसरे से जुड़े होते हैं।

३. फालिज भी कभी कभी जियादा खाने के नतीजे से हो जाता है, इसकी वजह शिरयानो (धमनियाँ) की तंगी होती है, जिससे ब्लेड सरकुलेशन की रूकावट हो जाती है तो शरीर का संबंधित भाग बेहिस (सुन्न) हो जाता है अगर यह कैफ़ियत दिमाग़ के किसी हिस्से में तारी (व्याप्त) हो इन्सान पर फ़ालिज़ गिर जाता है।

४. दिल का रोग, इसका भी कारण धमनियों का तंग होना है क्योंकि तंगी की शदीद कैफ़ियत दिल की ओर हो जाए तो दिल का दौरा पड़ जाना अनिवार्य परिणाम है।

५. वक्त से पहले बुढ़ापा, भी ज़ियादा खाने की वजह से होता है, क्योंकि आज़ा (शारीरिक अंग) अपना उचित काम करना छोड़ देते है, इससे इन्सान वक्त से पहले कमज़ोरी का शिकार हो जाता है, और बूढ़ा मालूम होने लगता है।

६. मोटापा, भी ज़ियादा खाने से पैदा होता है जो बजाए खुद कई बीमारियों का सबब बनता है, जैसे जोड़ों की बीमारियां और जोड़ों का दर्द वगैरह,

७. बदहज़मी (अपच)

रीह (वायु) और इस्हाल (दस्त) जैसी तकलीफ़देह शिकायत भी ज़ियादा खाने की वहज से पैदा होती है, इंसान को अपने पेशाब या खाने पर काबू नहीं रहता, उससे अच्छा भला इन्सान खबती होकर रह जाता है, मुख़तसर यह कि पुरखोरी (ज़ियादा खाना) हज़ार ख़राबियों को जन्म देती है। इसके विपरीत अगर हिकमते नबवी पर अमल करें, वक्त पर खाना खाएं, ज़रूरत के मुताबिक खाएं तो इससे हमेशा सेहत (स्वास्थ) पर अच्छा असर पड़ेगा।

नबी करीम (स०अ०) का यह ज़रूरी इरशाद (गोल्डन कथन) मुलाहिज़ा हो:–

"इन्सान की कमर सीधी रखने के लिए चन्द लुकमे ही काफी हैं और यदि अधिक ही खाना पड़े तो मेदे में एक तिहाई खाना हो एक तिहाई पानी हो और एक तिहाई जगह सांस के लिए ख़ाली हो"

गिरा हुआ लुक़माः–

हजरत जाबिर (अल्लाह उनसे राजी हो) से रिवायत हैः–

"जब तुम में से किसी का लुक़मा गिर जाये तो वह उसे उठा ले, उससे मिट्टी वग़ैरह साफ़ कर दे और खाले उसे शैतान के लिए न छोड़े।"

इस सिलसिले में एक दूसरी रवायत हैः– "शैतान तुम्हारे पास हर हाल में आता है यहां तक कि खाने के वक्त भी आ मौजूद होता है, लिहाज़ा तुम में से अगर किसी का लुक़मा गिर जाए तो वह उससे मिट्टी वग़ैरह साफ़ कर दे और खाले, उसे शैतान के लिए न छोड़े,

हमारे ज़माने में पाकी नापाकी का एहसास तो कमोबेश ख़त्म हो गया है, खड़े होकर पेशाब करना, और इस्तंजे का एहतिमाम (व्यवस्था) न करना एक फ़ैशन बन गया है, लेकिन दूसरी तरफ़ हाथ से खाने की कोई चीज़ गिर जाए तो उसे उठा कर खाना बुरा समझा जाता है, गोया वह नापाक हो गई है, चाहे वह खुश्क ही क्यों न हो अस्ल बात यह है कि रिज़्क़ की अज़मत और नेअमत की क़द्र का एहसास दिलों में नहीं रहा, इससे बरकत उठ गई है।

हुजूर अकरम (स० अ०) फरमाते है, हाथ का लुक़मा गिर जाए तो उसे साफ़ करके खालो, अगर तुमने छोड़ दिया तो वह शैतान का लुक़मा बन जाएगा, तुम्हारी ग़िज़ा शैतान के काम आएगी, इसी तालीम का असर था कि हमारे बुजुर्ग लुक़मे के रेज़े और नमक के दाने भी चूम चाट कर खा लेते थे।

गिरा हुआ खाना

गिरे पड़े खाने के सिलसिले में फरमाने नबवी मुलाहिज़ा कीजियेः–

"जिसने दस्तर ख़ुवान से गिरा हुआ खाना उठाकर खा लिया उसका दस्तर ख़ुवान वसीअ़ (विस्तृत) हो गया, अर्थात उसके रिज़्क़ में बरकत हो गई और उसके बाल बच्चों ने सेहत व आफ़ियत पाई,

इस सिलसिले में दूसरी हदीस यूं है– "वह ग़रीबी और मुहताज़ी से महफ़ूज़ हो गया, कोढ़ और जुज़ाम (कष्ट) से बच गया, और उसकी औलाद से बेवकूफ़ी और हिमाकत दूर हो गई"

इस सिलसिले की तीसरी हदीस से इरशाद है, – उसे रिज़्क़ में वसअ़त और फ़राख़ी (विशालता) प्रदान की गई है।

एक और हदीस हज़रत जाबिर (रज़ी उल्लाहु अन्हु) से बयान की गई कि हुजूर (स०अ०) ने फ़रमाया– जब तुम में से किसी का कोई लुक़मा गिर जाए तो उसे उठाले जो उस पर गन्दगी लग गई हो उसे साफ़ कर ले और खाले और शैतान के लिए न छोड़े, (मुस्लिम)

हमारी बनावटी या यूरोप से मांगी हुई तहज़ीब (सभ्यता) में गिरी हुई चीज़ को उठाकर खाना, अदब के ख़िलाफ़ समझा जाता है। मैं नहीं समझता कि हुजूर (स०अ०) के इतने खुले हुवे इरशाद के बावजूद मनमानी की जाए, एक बार फिर ग़ौर कीजिये कि गिरे हुये लुक़मे को उठाकर खाने की रसूलुल्लाह (स०अ०) ने क्या क्या बरकतें बयान फ़रमाई हैं।

१. दस्तर ख़ुवान में वसअ़त और रिज़्क़ में फ़राख़ी,

औलाद की सेहत व आफियत,

३. तंगदस्ती (दरिद्रता) और फ़क्र व फ़ाक़ा से बचाव

४. जुज़ाम (कोढ़) जैसी बीमारी से बचाव,

५. औलाद का बेवख़फी और हिमाक़त से महफ़ूज़ (सुरक्षित) हो जाना।

६. अपना खाना शैतान की ख़ूराक न बनाना।

हम पर जरूरी है सुन्नत नबवी स०अ० को मग़रबी तहजीब (पश्चिमी सभ्यता) पर क़ुरबान न करें, गिरी हूई चीज़ झाड़ पोंछकर और चूमचाट कर बिला तकल्लुफ़ खालें, इस में ख़ैर व बरक़त है।

(पृष्ठ ३१ का शेष)

वह लोग हैं जिनके अख़लाक़ अच्छे है, इसके बाद फरमायाः तुम में से अच्छे लोग वह है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा बरताव करते हैं। (तिरमिज़ी) अल्लाह तआला ज़ौजैन (मियाँ बीवी) को एक दूसरे के हुक़ूक़ की रिआयत के साथ ज़िन्दगी गुज़ारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन

(राष्ट्रीय सहारा उर्दू के शुकरिये के साथ)

विटामिन सी और गर्भवतियां

औरतों को गर्भ (हम्ल) के दौरान ऐसी गिज़ाएं, फल और सब्जियां खूब खाना चाहियें जिन में विटामिन सी काफी मिक्दार (पर्याप्त मात्रा) में पाया जाता हो जैसे हरी सब्जियां, लीमू, आंवला, टमाटर, सन्तरा, माल्टा और दूसरे फलों के जूस और शहद आदि। मगर इन सब में लीमू और आंवला ऐसे फल हैं जो विटामिन सी के भन्डार हैं और हर जगह आसानी से मिल जाते हैं अतः गर्भवती महिलाएं (हामिला औरतें) इन को खूब खाएं। यह उनके गर्भ (हम्ल) तथा बच्चा दोनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

मियाँ बीवी रफ़ीक़ बनें फ़रीक़ नहीं

हिन्दी रूपान्तरः गुफ़रान नदवी

इनसानियत की बक़ा (स्थिरता) और नस्ल इनसानी का वजूद मर्द औरत के आपसी तअल्लुक़ और संबंध से है, यह तअल्लुक़ जिस क़दर गहरा और महब्बत व उल्फ़त से लबरेज़ होगा, उसी क़दर उसका नतीजा भी बेहतर और नफ़ा बख़्श (लाभप्रद) होगा,

इनसान की फ़ितरत (नेचर) अल्लाह तआला ने ऐसी बनाई है कि जब उसे किसी चीज़ से महब्बत और उन्स (लगाओ) होता है तो उसके देखने और उसके पास रहने से राहत और सुकून महसूस करता है और जिस चीज से स्वाभाविक तौर पर नफ़रत हो तो उसे उसको घुटन और तकलीफ का एहसास होता है चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दुनिया का निज़ाम (प्रबंध) और नस्ल इनसानी का वजूद क़ियामत तक बाक़ी रखना मक़सूद (उद्देश्य) है, इसलिये मर्द के अन्दर औरत की तरफ़ रग़बत व खुवाहिश और औरत के अन्दर मर्द की तरफ़ तबई (स्वाभाविक) मैलान (झुकाओ) रख दिया गया, चुनांचि इनसानी ज़िन्दगी में एक ऐसा वक़्त आता है जब मर्द व औरत दोनो एक दूसरे के सख़्त मुहताज होते हैं और एक दूसरे की ज़रूरत बन जाते हैं। अल्लाह तआला ने अपनी आख़िरी किताब कुरआन करीम में इस ज़रूरत को अति प्रभावशाली शैली में बयान किया है। अगर हम सिर्फ इस पर ग़ौर करें और उसके मुतालबात (मांगों) को पूरा करने की कोशिश करें तो इनशाअल्लाह आज भी हमारा वैवाहिक जीवन उतना ही प्रसन्नतापूर्वक और सन्तोष जनक होगा जो हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है, अल्लाह तआला अपने बन्दों से फरमाता है " वह तुम्हारे लिये लिबास हैं और तुम उनके लिये लिबास हो" यहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दूसरे की ज़रूरत और हाजत को लिबास से अदा किया है और फ़रमाया है कि जिस तरह इनसान को हर मौसम में कपड़े की जरूरत होती है और उससे ज़ेब ज़ीनत (सुन्दरता व सज्जा) इख़तियार करता है उसी तरह मर्द और औरत को एक दूसरे की ज़रूरत होती है और कोई भी एक दूसरे बेनियाज़ (बेपरवाह) नहीं हो सकता, इसलिये चाहिए कि दोनों एक दूसरे की ज़रूरत बनकर जिन्दगी गुज़ारे न कि एक दूसरे से बेनियाज़ (बेपरवाह) होकर।

कुरआन करीम की इस आयत से यह बात मालूम होती है कि जिस तरह लिबास इनसान के जिस्म से जुदा नहीं होता और पूरी ज़िन्दगी उसको लिबास की ज़रूरत होती है उसी तरह एक औरत को अपने शौहर के साथ और शौहर को अपनी बीवी के साथ दोस्ताना तअल्लुक क़ाएम रखना चाहिए, सोच के इस ढंग से एक दूसरे की कमी को अनदेखी करने की भावनाएं उत्पन्न होती है, इसलिए कि महब्बत की आंखे ऐब (दोष) को छुपाती हैं और चश्मपोशी (अनदेखी) करती हैं जबकि नफ़रत व अदावत (घृणा और शत्रुता) की आंखे बुराइयों को तलाश करती हैं और उसको ज़ाहिर (प्रकट) करती हैं लिहाज़ा फ़ितरी (स्वाभाविक) तौर पर अल्लाह तआला ने मियाँ बीवी के दिल में एक दूसरे की महब्बत और जज़्बे रहमत पैदा फ़रमा दिया ताकि उनकी ज़िन्दगी ख़ुशगवार (रूचिकर) हो, रसूलुल्लाह स०अ० ने फरमाया मर्द को बिला वजह औरत की ऐब जोई (बुराई ढूंढना) और नापसन्दीदगी (अप्रियता) का इज़हार नहीं करना चाहिये, अगर उसकी कोई आदत बुरी है जो उसे नापसन्द है तो दूसरी आदत और खसलत अच्छी भी होगी जो उसे खुश कर देगी (मुस्लिम) एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल (स०अ०) ने फ़रमाया है कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है अगर तुम उसे सीधी करना चाहोगे तो उसे तोड़ डालोगे, लिहाज़ा उसके साथ अच्छा बरताओ करो तो अच्छी ज़िन्दगी गुजरेगी। (इब्न हिब्बान)

मालूम हुवा कि औरत के साथ रफ़ाक़त (दोस्ती) के लिए ज़रूरी है कि उसकी कमज़ोरियों को नज़रअन्दाज़ (अनदेखा) किया जाए और उसको ज़ियादा सख़्त सुस्त न कहा जाए और उसके साथ खुशगवार ज़िन्दगी गुजारने की हर मुमकिन कोशिश की जाए, अगर इस नियत और इरादे से उसके साथ मआमला करेंगे तो इन्शाअल्लाह वैवाहिक जीवन सदैव आनन्दमय होगा,

क़ुरआन की इस आयत में इस तरफ़ भी इशारा है कि जिस तरह लिबास इनसान के ज़ाहिरी ऐब (दोष) की परदापोशी करता है मर्द और औरत भी एक दूसरे के लिये लिबास के हुकम

में हैं, उनमें से हर एक को चाहिए कि एक दूसरे की परदापोशी करें एक दूसरे के ऐब और कमी को दूसरे के सामने बयान न करें।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ियामत के रोज़ अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरे वह मर्द और औरत होंगे जो आपस में मिलें और फिर एक दूसरे के सामने एक दूसरे के राज़ खोलें।

अर्थात मियाँ बीवी के बीच जो कुछ बात होती है उसको दूसरों के सामने बयान नहीं करना चाहिए और इसी तरह अगर औरत के अन्दर कोई ऐब हो तो उसको भी बयान नहीं करना चाहिए और न उसकी उन अच्छाइयों को जिसका छुपाना शरअन वाजिब है, लोगों के सामने बयान करें कि उससे फसाद पैदा होता है।''

अगर एक तरफ़ अल्लाह और उसके प्यारे रसूल (स०अ०) ने मर्दों को ताकीद की है कि वह औरतों के साथ अच्छा सुलूक करें और उनके साथ नरमी और महब्बत से पेश आएं तो इसी के साथ औरतों के लिए कुछ फराएज़ भी मुक़र्रर फ़रमा दिये हैं मसलन यही कि औरत को शौहर की नाशुकरी (अकृज्ञता) नहीं करनी चाहिए, नाशुकरी करने से तअल्लुक़ात (संबंधों) में कशीदगी(खिचाओ) और बदमज़गी (वैमनस्म) पैदा होती है, और आख़िरत में भी अज़ाब का सबस होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः आज मैने ज़हन्नम देखी है और उस जैसा मनज़र (दृश्य) इससे पहले कभी नहीं देखा मैनें जहन्नम में औरतों की अकसरयत देखी, सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह आखिर ऐसा क्यों? आपने इरशाद फरमाया उनकी नाशुकरी की वजह से, अर्ज़ किया गया या रसुलुल्लाह क्या वह अल्लाह की नाशुकरी करती हैं और एहसान नहीं मानती हैं? आपने इरशाद फरमायाः अपने शौहर की नशुकरी करती हैं और एहसान नहीं मानती हैं, बाज़ घरानों में देखा गया है कि अगर औरत की मर्ज़ी के ख़िलाफ कोई बात हो जाए तो वह कहने लगती है कि मैंने तो तुमसे कभी कोई सुख आराम और भलाई देखी ही नहीं, इस तरह की शिकायतें मियाँ बीवी के तअल्लुक़ात (संबंधों) में कशीदगी का सबब (कारण) बन सकती हैं? इसलिए ऐसी बातों से हमेशा बचना चाहिए।

यह इनसानी फितरत (नेचर) है कि वह अपने माल में किसी ग़ैर का तसर्रुफ (परिवर्तन) और बिला किसी इस्तेहक़ाक़ (पात्रता) के किसी को देना गवारा नहीं करता है कि उसकी आज्ञा बिना कोई भी उसको खर्च करे इसलिए रसूलुल्लाह (स०अ०) ने औरतों को इस बात की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाया है कि बेहतर औरत और अच्छी बीवी बनने के लिए ज़रूरी है कि वह अपने शौहर के माल की हिफ़ाज़त करे, इससे उसकी इज़्ज़त और सम्मान शौहर के दिल में बढ़ जाएगा, बरख़िलाफ़ इसके अगर उसने उसकी आज्ञा बिना कुछ ख़र्च कर दिया तो हो सकता हे कि शौहर को उसकी इस हरकत पर नगवारी हो और अलाहिदगी (अलग होने) का कारण बन जाए, क्योंकि यह चीज़ वास्तव में नफ़रत का ज़रया (कारण) है, यह अलग बात है कि किसी को किसी के ख़र्च करने पर नागवारी (अप्रियता) न हो, लेकिन नागवारी न होना यक़ीनी नहीं, चुनांचि रसूलुल्लाह (स०अ०) ने जौजैन (मियाँ बीवी) की ज़िन्दगी को शुखगवार (आनन्दमय) और पुरसुकून (शान्तिपूर्वक) बनाने के लिए यह ज़रूरी हिदायत फरमाई, जैसा कि हदीस शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा गया कि कौन सी बीवी अच्छी है, आपने इरशाद फरमायाः वह औरत बेहतरीन बीवी है जिसको उसका शौहर देखे तो खुश हो जाए हुक्म दे तो माने और अपने बारे में और अपने शौहर के माल के बारे कोई ऐसा रवय्या एख़तियार न करे जो शौहर को नापसन्द हो। (निसाई)

मियाँ बीवी का संबंध न तो पार्ट टाइम के लिए होता है और न केवल काम वासना की इच्छा ही पूरा करने के लिए है बल्कि उसके अतिरिक्त दूसरे उद्देश्य भी हैं जिसका वजूद मियाँ बीवी की आपसी रज़ामन्दी और आपसी मेलमिलाप और एकता के बिना संभव नहीं और उसके लिए ज़रूरी है कि दोनो एक दूसरे से हर प्रकार सोच विचार में सहमति हों या कम से कम एक दूसरे की रिआयत ज़रूर करें, चूंकि शौहर को बीवी पर एक दर्जे पर प्रधानता प्राप्त है और औरत के मुकाबले में मर्द के अन्दर मआमला समझने और अचानक मुसीबतों और परेशानियों से निपटने की सलाहियत (क्षमता) जियादा होती है इसलिए अल्लाह तआला ने मर्द के ज़िम्मे घर से बाहर की ज़िम्मेदारी रखी और औरत को घर की निगरानी (देखभाल) करने का हुक्म दिया, इसलिए यह बात ज़रूरी थी कि मर्द, औरत की संभावित बेजा हरक़तों और अनुचित व्यवहार के मुकाबलें में उच्च कोट वाले नैतिक का प्रदर्शन करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि तुम में पूरे ईमान वाले

(शेष पृष्ठ २६ पर)

विद्वानों का मान, सम्मान

डाक्टर मुहम्मद इज्तिबा नदवी

मुस्लिम विद्वानों ने अपने गहरे और व्यापक ज्ञान, निःस्वार्थता, ईशभय और हर प्रकार के लोग लालच से परे होने के कारण जहां जनता में अपार लोक प्रियता और सद्भावना प्राप्त कर ली थी, वहीं खलीफा, शासक और बादशाह भी उन से मुलाकात करने और उनकी सेवा करने को अपना सौभाग्य समझते थे। प्रथम 'दौर के खुलफा विद्वानों के मश्विरों और निर्देशों पर चलते थे और उनकी नाराजगी से यथा सम्भव बचते थे। अब्बासी दौर में खलीफा हारून रशीद और मामून रशीद ने ज्ञान एवं विद्वानों के महत्व प्रदान करने और उनके आदर सम्मान में बड़ा नाम पैदा किया। हारून रशीद काज़ी अबू युसुफ का बहुत सम्मान करते थे और उनके सुख व आराम का सामान जुटाने में कभी कोताही नहीं करते थे। उनके फैसले अटल होते और खलीफ़ा उनका विरोध नहीं करते थे।

'दारूल हिकमत' के एक महत्वपूर्ण सदस्य और खलीफा हारून रशीद के विशेष चिकित्सक इसहाक बिन हसनैन को प्रधान मंत्री और सेना अध्यक्ष से अधिक अधिकार और सुविधाएं हासिल थी। इसहाक जब दरबार में आते तो शाही तख्त तक डोले पर आते और खलीफा कुछ चन्द कदम चलकर उनका स्वागत करते।

सुलतान बहलोल लोधी हिन्दुस्तान के बड़े साहसी, प्रभावी व तेजस्वी बादशाह थे, इसी के साथ बड़े दयालु और नेक थे। दीनदारों और विद्वानों को बड़ा महत्व देते और जब कहीं जाना होता तो अनके विद्वानों को अपने साथ रखते, उनसे मश्विरे लेते और उनकी सेवा करते। इस काम को अपने लिए सौभाग्य की बात समझते थे। सुलतान बहलोल के हिन्दुस्तान पर राज से पूर्व बड़ा जबरदस्त हंगामा हुआ और जगह जगह स्वाधीनता की घोषणाएं होने लगी। अतएव मुलतान और उसके आस पास के क्षेत्र के लोगों ने शैख़ बहाऊद्दीन जकरिया मुल्तानी की खानकाह के बड़े विद्वान शैख युसुफ को अपना शासक मान लिया और उनके नाम से खुत्बा पढ़ा जाने लगा। लेकिन मुलतान के उप नगरों में एक कौम लंगा नामक ने हमला करके उनकी हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया और शैख युसुफ को मुलतान छोड़ना पड़ा।

उन्होंने दिल्ली का रूख किया और सुलतान लोधी से शरण मांगी सुलतान ने न केवल शरण दी, बल्कि उनका हर तरह से मान रखा और बड़ा आदर सत्कार किया। उसने अपनी एक लड़की की शादी शैख युसुफ के लड़के अब्दुल्लाह से कर दी। फिर उनके खानदान और मुल्क की हिमायत में और उनके राज की वापसी के लिए लंगा के कौम के विरूद्ध जंग के लिए मुलतान सेना भेजी।

इन्हीं शैख युसुफ के परिवार के एक बुजुर्ग शैख़ समाउद्दीन की घटना बयान की गयी है कि उन्होंने किसी कारण वश मुलतान छोड़कर कुछ दिनों रणथम्बौर और उसके बाद बयाना में वास किया। लेकिन वहां की जलवायु उनको न भायी तो दिल्ली चले आए। जिस जमाने में समाउद्दीन बयाना में थे जौनपुर का बादशाह सुलतान हुसैन शरकी, सुलतान बहलौल लोधी से लड़ रहे थे। सुलतान शरकी का एक समर्थक सुलतान अहमद जलवानी अपने कुछ साथियों को लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुआ और बड़ी विनम्रता के साथ उनसे सुलतान हुसैन शरकी के विजय के लिए दुआ की प्रार्थना की तो क्रोध से उनके चेहरे का रंग बदल गया और फरमाया कि तुम मुझसे एक अत्याचारी की सफलता के लिए दुआ के इच्छुक हो, वह एक ऐसे बादशाह के विरूद्ध जंग कर रहा है, उसके विनाश व बर्बादी के लिए उतारू है जो न्याय प्रिय और दयालु है और उसका सर शुक्र के सज्दे से नहीं उठता। यह सुनकर बादशाह सुलतान अहमद जलवानी बड़े लज्जित हुए। उनको विश्वास हो गया कि सुलतान शरकी की इस जंग में पराजय होगी।

जब शैख समाऊद्दीन बयाना से दिल्ली आकर रहने लगे तो एक दिन सुलतान बहलोल लोधी उनकी सेवा में उपस्थित हुआ और बड़े सम्मान व श्रद्धा के साथ उनके कदमों में आकर बैठ गया और कहा कि यदि किसी शासक को इतना समय नहीं कि ज्ञान प्राप्त कर सके और विद्वानों की सेवा व अनुसरण न कर सके तो उनकी सेवा में उपस्थित होकर अपनी दुनिया व अखिरत के लिए कुछ सामान तो हासिल

कर ही सकता है और अपने दिल के ज़ंग को साफ कर सकता है।

इसके बाद बादशाह ने शैख से विनती की कि वे कुछ नसीहतें करें। शैख़ समाऊद्दीन ने बादशाह को सम्बोधित करके फरमाया तीन आदमी अल्लाह की नेमतों से वंचित रहेंगे। एक वह बूढ़ा जो अपने बुढ़ापे में भी गुनाहों से अपने को रोक नहीं पाता हो। दूसरा वह जवान जो अपनी जवानी में इस उम्मीद पर गुनाह करता रहा कि वह अपने बुढ़ापे में सुधार कर लेगा और तीसरा वह सुलतान जिसके तमाम दीनी व लौकिक उद्देश्य और मुरादें पूरी होती रहीं, फिर भी वह अपनी सलतनत का चराग झूठ की आंधी से बुझा दे।

बूढ़े को उसके दिल की कालक के कारण सजा मिलेगी। गुनाहगार नवजवान को इस कारण सजा मिलेगी कि वह मौत को भूलकर बुढ़ापे को इन्तजार करता रहा और झूठे बादशाह के लिए यह फैसला होगा कि वह अपनी दुनिया संवारने के लिए आखिरत की चिंता से लापरवाह रहा और अल्लाह के भय की कोई चिन्ता न करके झूठ और गुनाह का शिकार बना रहा।

इसके बाद शैख समाउद्दीन ने सुलतान बहलोल लोधी से सीधे सीधे फरमायाः ऐ बादशाह! गुनाह और झूठे से बचिये और वास्तविक स्वामी की नेमतों का शुक्र अदा करने में अपनी जबान को तर रखिये। शुक्र अदा करने से नेमतों में वृद्धि होती हैं और ना शुक्री से नेमत के छिन जाने और अल्लाह के प्रकोप का खतरा रहता है। सुलतान यह सुनकर रोहांसा हो गया और कहा कि मेरे स्वामी! मैं गुनाहों के बावजूद दीन का मतवाला और उलमा से मोहब्बत करने वाला हूं। मुझे आशा है कि अल्लाह तआला इस वजह से मुझे माफ कर देगा। शेख समाउद्दीन को सुलतान की इन बातों से प्रसन्नता हुई और उन्होंने उसे अपनी खास जानमाज़ (वह पवित्र कपड़ा जिस पर नमाज़ पढ़ते हैं) अता की सुलतान बहलोल ने मुसल्ले को सर पर रखा और वहां से चला आया।

उलमा के आदर सम्मान के संबंध में दिल्ली क़े एक बादशाह सुलतान सिकन्दर लोधी की घटना देखियेः सुलतान सिकन्दर लोधी भी विद्वानों से बड़ी श्रद्धा रखता था। उसके जमाने में एक प्रमुख विद्वान मौलाना अब्दुल्लाह सुलतानपुरी थे जो उसके दरबार से सम्बन्धित थे। वे शासन के मामलों में उनसे मश्विरा लेता था और उनकी राय व मश्विरा को बड़ा महत्व देता था। एक बार वे सिकन्दर लोधी के साथ किसी सफर में थे कि एक बिफरा हुआ हाथी दूर से आता हुआ दिखायी दिया। सिकन्दर लोधी ने अत्यन्त फुरती से अपने को आगे और मौलाना अब्दुल्लाह सुलतानपुरी को अपने पीछे इस तरह कर लिया कि उनकी रक्षा होती रहे। मौलाना ने सुलतान से कहा कि कहीं तख्त व ताज एक सुलतान से वंचित न हो जाये। सुलतान ने जवाब दियाः मुझ जैसे एक लाख अफगान हैं इसलिए मेरी जगह तख़्त व ताज के लिए तो कोई बादशाह मिल ही जाएगा, लेकिन हिन्दुस्तान में मौलाना अब्दुल्लाह सुलतानपुरी जैसा कोई विद्वान और न पैदा होगा।

●●●

(पृष्ठ २४ का शेष)

में हाथ देकर बादशाह मानने का इक़रार) का सिलसिला कई रोज़ तक चलता रहा। शाह ने राज्यकार्य संभाल लिया। उन्होंने २३ साल हुकूमत की, वह १९९५ से बीमार चल रहे थे, उन पर फ़ालिज का हमला हुआ था, इस दौरान इन्तज़ामात वली अ़हद अ़ब्दुल्लाह चलाते रहे।

शाह फ़हद के दौर के दो नेक कामों में उनका कोई मुक़ाबिल नहीं है। एक तो हरमैन शरीफ़ैन की तौसीअ़ (विस्तार) और उसका नज़्म, कि इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती, दूसरा काम क़ुर्आने करीम की इशाअ़त, कि करोड़ों की ता़दाद में मुफ़्त तक़सीम किये। उनमें मुअ़र्रा (बिन तर्जुमे वाले) भी थे और कई ज़बानों में तर्जुमा व तफ़सीर वाले भी।

मैं समझता हूं उनके ईमान व इस्लाम के साथ उनकी नजात के लिए यह दोनों काम काफ़ी हैं। अल्लाह तआ़ला उनकी कोताहियों को दरगुज़र फ़रमाये और उनके नेक आ़माल को क़बूल फ़रमा कर उनकी बख़्शिश का ज़रीआ़ बनाये। शाह अ़ब्दुल्लाह ने अपने बा़द के लिए शाहज़ादा सुल्तान को वलीअ़हद (उत्तराधिकारी) मुक़र्रर किया है। अ़जीब बात है कि शाह अ़ब्दुल्लाह और शाहज़ादा सुल्तान दोनों की पैदाइश सन् १९२४ में हुई है। जबकि शाह फ़हद सन् १९२३ में पैदा हुए थे। वह १९५३ में वज़ीरे ता़लीम बने थे और १९७५ में वलीअ़हद मुक़र्रर हुए थे।

आपके प्रश्नों के उत्तर

इदारा

प्रश्नः बिना वुज़ू के क़ुर्आन शरीफ़ छूना और पढ़ना कैसा है?

उत्तरः जमहूर के नज़दीक बे वुज़ू क़ुर्आन शरीफ़ छूना गुनाह है जब कि अहले ह़दीस ह़ज़रात के नज़दीक क़ुर्आन शरीफ़ बे वुज़ू छूना जाइज़ है। दलीलें दोनों के पास हैं, हमारे नज़दीक जमहूर (जिन में अह़नाफ़ भी हैं) की दलीलें तर्जीह़ के लाइक़ हैं उनके अ़मल में ज़ियादा इह़तियात है। रही बात ज़बानी तिलावत की तो इस में सब मुत्तफ़िक़ (सहमत) हैं कि बे वुज़ू ज़बानी तिलावत जाइज़ है। अल्बत्ता अगर जिमाअ़ इह़तिलाम वग़ैरह (संभोग आदि) के सबब नहाना फ़र्ज़ हो तो न क़ुर्आन मजीद छू सकते हैं ना ही ज़बानी पढ़ सकते हैं न देखकर पढ़ सकते हैं, अगर कोई अहले ह़दीस भाई क़ुर्आन मजीद बे वुज़ू छूता है तो किसी ह़नफ़ी को एअ़तिराज़ न करना चाहिए। और आज कल तो जितनी इस्लाम के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाई जा रही हैं उतने ही ज़ोर शोर से अंग्रेज़ इसाइयों और पढ़े लिखे हिन्दुओं में क़ुर्आन पढ़ने समझने का दाअ़िया (इच्छा) पैदा हो गया है। ऐसे में हम उनके पढ़ने समझने में उनकी मदद करें, रोज़े अव्वल उन से यह न कह बैठें कि बिना नहाए क़ुर्आन मजीद न छूने देंगे। अलबत्ता यह बात तो उन क़ो पहले दिन ही से बताएं कि क़ुर्आन मजीद अल्लाह की किताब है इसे पवित्र होकर ही छूना चाहिए।

प्रश्नः क्या क़ुर्आन शरीफ़ बे समझे भी पढ़ना चाहिए या अ़रबी न जानने वाले के लिए तर्जुमे के साथ पढ़ना ज़रूरी है?

उत्तरः क़ुर्आन शरीफ़ की तिलावत में बड़ा सवाब है चाहे समझता हो या ना समझता हो इसलिए अ़रबी न जानने वाला अगर देखकर क़ुर्आने शरीफ़ पढ़ सकता है तो बिला नाग़ा तिलावत करे। हाँ अगर अ़रबी न जानने वाला तर्जुमे के साथ पढ़े तो सवाब में भी इज़ाफ़ा हो और फ़ाइदे में भी लेकिन तर्जुमा ऐसा हो कि मुश्किल जगहें (हाशिये पर) समझाई गई हों या फिर किसी मुअ़तबर आलिम की तफ़्सीर के साथ पढ़ें। तर्जुमा या तफ़्सीर पढ़ने के लिए जिस आ़लिम पर एअ़तिमाद हो उस से मशवरा ज़रूर करें।

प्रश्नः क्या निकाह़ में लड़की से इजाज़त लेना ज़रूरी है? और अगर लड़की से इजाज़त ली जाए और वह इन्कार कर दे तो क्या माँ बाप को इख़्तियार है कि वह उसका निकाह़ उस मर्द से पढ़ा दें जिसके साथ निकाह़ से लड़की ने इन्कार कर दिया है?

उत्तरः बालिग़ लड़की के निकाह़ में उससे इजाज़त लेना ज़रूरी है, इजाज़त लेते वक़्त इस तरह इजाज़त ली जाए कि लड़की जान सके कि मेरा निकाह़ फुलाँ से होने जा रहा है फिर वह इजाज़त दे। कुंवारी लड़की अपनी कैफ़ीयात की बिना पर अगर ज़बान से इजाज़त न दे सके और रोने लगे या ख़ामोश रहे बोल न सके तो इसको भी इजाजत मान लेंगे। लेकिन अगर उसका दूसरा निकाह़ हो रहा है तो ज़बान से इजाज़त देना ज़रूरी होगा। अगर बालिग़ लड़की इजाज़त न दे तो अह़नाफ़ के नज़दीक माँ बाप या कोई भी उस का निकाह़ नहीं पढ़ा सकते हैं और पढ़ा भी दें तो निकाह़ स़ह़ीह़ न होगा। मगर हमारे मुआ़शरे में ऐसा नहीं हो सकता, इस लिये कि जब मंगनी की बात चलती है तो लड़की को मा़लूम हो जाता है, वह अपनी किसी क़रीबी के ज़रिअ़े अपनी राय ज़ाहिर कर सकती है और बा़ज़ लड़कियों ने ज़ाहिर भी किया है। इसलिए ऐन इजाज़त के वक़्त इन्कार की गुंजाइश ही नहीं रह जाती न ऐसा कोई वाक़िआ़ हुआ है लेकिन बहरहा़ल ह़नफ़ी मस्लक में मसअला यही है कि बालिग़ लड़की से इजाज़त लेंगे और उस के इन्कार पर निकाह़ नहीं होगा। अल्बत्ता अगर बाप ने पहले ही इजाज़त ले रखी है तो ऐ़न वक़्त पर इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, बाप ने ख़ुद जिसके लिए इजाज़त ली है उससे निकाह़ पढ़ा सकता है या उस की इजाज़त से कोई भी निकाह़ पढ़ा सकता है हाँ अगर लड़की ना बालिग़ है तो उससे इजाज़त न लेंगे, बाप या बाप न हो तो लड़की के शरअ़ी वली को निकाह़ पढ़ाने का या किसी के ज़रिअ़े पढ़वा देने का ह़क़ है। यह याद रहे कि लड़की के वली या वकील की जानिब से ईजाब और लड़के की जानिब से क़ुबूल के वक़्त दो आ़क़िल बालिग़ मुसलमानों की गवाही ज़रूरी है। दो मर्द न हों तो एक मर्द और दो

(शेष पृष्ठ १५ पर)

शिक्षा के भगवाकरण से चिन्तित मुस्लिम कियादत की मांग

पाठ्यक्रम को समप्रदायिकता से पाक रखा जाए

डा० मसऊदल हसन उस्मानी

देश की आजादी के बाद सरकार के जिम्मेंदार की तरफ से यह असावधानी जरूर हुई कि तालीम को सेकुलर बुनियादों पर सुदृढ़ बनाने का जरूरी फैसला नहीं किया जा सका। स्वतंत्रता संग्राम में शिक्षा संस्थानों में शान्ति और मेल मिलाप की खुशगवार फजा बनाने और उसके जरिये पूरे देश में इसको फैलाने का बेहतरीन कार्यक्रम अपनाया गया था, उसका नतीजा यह हुआ कि एक उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नौजवान नस्ल के दिलों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया और सब घुलमिल कर एक हो गए। इसी एकता की सोच की ताकत और शक्ति का अन्दाजा भी अंग्रेजों को हो गया और उन्होनें तालीम के मैदान को सम्प्रदायिक रंग दे दिया और फजा बदल गई।

देश आजाद हुआ तो तालीमी व्यवस्था को उसी हाल में छोड़ दिया गया बल्कि देश के बंटवारे के फलस्वरूप जो ज़ेहनियत(प्रवति) मुसलमानों के खिलाफ उभर कर आई उन्होंने इस कट्टरपन को और बढ़ा दिया और इसका प्रदर्शन खासतौर पर उत्तर प्रदेश में हुआ जहां पाठ्यक्रम और शिक्षा व्यवस्था और सरकारी पाठ्य पुस्तकों में देवमालाई विचारों को शामिल करके मुसलमानों को एक कशमकश (उलझन) में डाल दिया। उनके सामने एक सवालिया निशान था कि वह इस तरह की तालीम के साथ अपने बच्चों के अकाएदे मजहबी (धार्मिक आस्था) को कैसे सुरक्षित रख सकेंगे। तालीम का महत्व अपनी जगह पर सर्वमान्य है लेकिन एक जिन्दा, चिन्तनशील, दिलसोज और साहिबे दावत मिल्लत के लिए दीन व आस्था दूसरे तमाम विचारों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है।

इस सूरतेहाल (वस्तुस्थिति) का अन्दाजा मिल्लत (समुदाय) के दानिशवरों (बुद्धिजीवियों) को बहुत पहले हो गया था और गौर भी कर रहे थे लेकिन इस पूरे तूफान को गम्भीरता और खामोशी को रोकने का कोई रास्ता नहीं था। मिल्लत में एक बेचैनी जरूर थी लेकिन पूरी तालीमी व्यवस्था के स्थान पर किसी संगठन और आन्दोलन की कल्पना नहीं थी।

दीनी तालीमी कौंसिल की स्थापना इस विचार का नतीजा, इसी बेचैनी का हासिल और दूर दर्शिता और चिन्तन का एक ऐसा अक्स (प्रतिरूप) था जिस ने इस अन्धेरे में चिराग रौशन कर दिया। प्रारम्भिक स्तर पर प्राइमरी दर्जो दीनी और जनरल तालीम दोनों को साथ साथ पढ़ाने का सुसज्जित प्रभावी शिक्षा व्यवस्था के तहत मकतबों की स्थापना के आन्दोलन का एलान ऐसा था जिसने हिम्मतों को बुलन्द कर दिया। मुर्झाए हुए चेहरे खिल उठे एक ऐसा चश्म–ए–हयात (जीवन स्रोत) सामने था जिससे न केवल दीनी व रूहानी प्यास को बुझाया जा सकता था बल्कि उससे पूरी तरह सैराब (तृप्ति) होने का एक जरिया भी मौजूद था। मिल्लत के बुजुर्गों और उलमा–ए–किराम ने अपनी ज्ञान ध्यान और खनकाहों की महफिलों में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला जनरल तालीम के बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया। मदरसों और आधुनिक शिक्षा सस्थाओं में इसकी अहमियत पर विचार किया गया। चारों तरफ से यह आवाज बुलन्द हुई कि दीनी तालीम कौंसिल ने एक नुसख–ए–कीमिया (अचूक समस्या समाधान) प्रस्तुत कर दिया है। उसके स्वतंत्र, स्वावलम्बी, आदर्श प्राइमरी मकतबों के स्थापना की तहरीक ने मुसलमानों के दिलों में अपनी जगह बना ली है।

अल्लाह तआला उन बुजुर्गों की कबरों को नूर से भर दे और उनके दर्जात बुलन्द करे जो मिल्लत पर ऐसा एहसान कर गए जिस के असरात हमेशा महसूस किए जाते रहेगें।

तहरीक का खाका मशहूर मुजाहिदे आजादी और कौमी रहनुमा (मार्ग दर्शक) काजी मुहम्मद अदील अब्बासी मरहूम ने पेश किया। इस्लाम के प्रसिद्ध विचारक स्व० मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली नदवी दीनी तालीमी कौंसिल के स्थापना के समय इसके अध्यक्ष चुने गए और जीवन के अन्तिम क्षण तक इस पद पर बने रहे और अपनी तमाम व्यस्तता के बावजूद तकरीर व तहरीर (भाषण व लेखन) के द्वारा मिल्लतें इस्लामिया को झिझोड़ते रहे और यही फरमाते रहे कि दीनी पहचान स्थिरता इसी तहरीक में पोशीदा (छुपी) है। यह भी फरमाते थे कि इस

आन्दोलन में मुसलमानों का शामिल होना और इस से सहयोग करना खुदा से नजदीकी का जरिया है। बीती हुई आधी सदी की मुद्दत इस पर गवाह है कि दीनी तालीमी कौंसिल ने एक ऐतिहासिक कारनामा अजांम दिया है। इसकी छत्रछाया में गाँव गाँव प्राइमरी मकतबों की स्थापना न होती तो सरकारी प्राइमरी स्कूलों में प्रचलित गैर सेकुलर शिक्षा व्यवस्था मुसलमान बच्चों के दीन व ईमान व आस्था को भी समाप्त कर देती उनकी भाषा कल्चर, सभ्यता उनकी मिल्ली पहचान भी सुरक्षित न रहती। यह एक ऐसी रौशन तारीख है जिसकी भविष्य के इतिहासकार अनदेखी नहीं कर सकेगा और इसमें दीनी तालीम कौंसिल का यह कारनामा भी यादगार रहेगा।

स्व० काजी मुहम्मद अदील अब्बासी आन्दोलन के पस मंज़र (पृष्ठ भूमि) बयान करते हुए लिखते हैं–

"देश के आजाद होने के बाद सभी पाठ्य पुस्तकों में हिन्दू देवमाला की कहानियाँ हिन्दू धर्म की मान्यताएँ और केवल हिन्दू के महान पुरूषों की कहानियाँ भर दी गई।"

इस्लाम के महान विचारक मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली नदवी ने बस्ती में ३०,३१ दिसम्बर १६५६ को आयोजित कांफ्रेंस में अपने ऐतिहासिक शाकाहार अध्यक्षी भाषण में इस पूरी परिस्थिति को इन्तिहाई जुरअतमन्दाना (साहसी) विश्लेषण करते हुए मिल्लते इस्लामिया के सामने दो टूक एलान फरमाते हुए कहा था–

"ज़ाहिर है कि एक ऐसी मिल्लत को जिसके जीवन का इतना उच्च्य स्तर हो एक ऐसे पाठ्यक्रम और ऐसी शिक्षा व्यवस्था के हवाले नहीं किया जा सकता और जमाने के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता जिसमें उसकी तकमील (पूर्ति) का न सिर्फ यह कि सामान नहीं बल्कि बाज औकात इसके उन उद्देश्यों से टकराव है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने १६६७ में सरकारी स्कूलों में वन्दे मातृम को प्रार्थना को स्थल पर पढ़ने, भारत माता पर फूल चढ़ाने तथा सरस्वती वन्दना को अनिवार्य करार दिया। कल्प योजना के नाम से एक रूपरेखा तैयार की गई और इस योजना को स्कूलों में लागू करने का आदेश दिया गया।

दीनी तालीमी कौंसिल ने सबसे पहले इस समस्या को उठाया और इसके विरोध का ऐलान किया। इस के असंवैधानिक तथा गैर कानूनी हैसियत को उजागर किया। इस सिलसिले में महत्वपूर्ण लिटरेचर तैयार किया गया और भारत के संविधान की रोशनी में गम्भीर तर्कपूर्ण आन्दोलन शुरू किया गया।

२६,२७ अप्रैल १६६८ को मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ के कनेडी हॉल में दीनी तालीमी कौंसिल की एक सूबाई कांफ्रेंस आयोजित की गयी। स्व० हजरत मौलाना अली मियाँ अपनी बीमारी के बावजूद तशरीफ ले गए और अपने अध्यक्षी भाषण में फरमाया:–

" यह देश को ऐसी खतरनाक मंजिल की तरफ ले जाने का इकदाम (कदम) है जिसकी कल्पना से एक देश प्रेमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है।"

इसी सिलसिले में नदवतुल उलमा में एक मौके पर पत्रकारों की एक बड़ी सख्ंया के सामने हजरत मौलाना ने एक साहसपूर्ण ऐलान करके पूरे देश को चौका दिया। सरकार जो अभी तक ध्यान नहीं दे रही थी और इस स्कीम को लागू करने का निश्चय कर चुकी थी अचानक उसके व्यवहार में परिवर्तन आया और हवा का रूख बदल गया। हजरत मौलाना ने अपने इंटरव्यू में फरमाया :–

" अगर यही सूरते हाल बाकी रहती है और हुकूमत की तरफ से वन्दे मातृम और फूल चढ़ाने का गैर इस्लामी फैसला तब्दील न किया गया तो ऐसे तमाम स्कूलों से मुसलमान अपने बच्चों को निकाल लेगें। हमारे लिए तालीम से ज्यादा अकीद–ए–तौहीद (एकेश्वरवाद) और दीन की हिफाजत का मसला अहम है"।

इस आवाज का असर पूरे देश में महसूस किया गया और चन्द रोज के अन्दर पूरी स्कीम वापस लेने का एलान कर दिया।

उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मजबूरन कल्प योजना तो वापस ले ली लेकिन शिक्षा विभाग ने पाठ्यपुस्तकों में नफरत का जहर घोल दिया। तत्कालीन केन्द्रिय सरकार ने अपने खास जेहन व सोच के तहत तालीम के भगवाकरण का फैसला किया और इस सिलसिले में सारी सीमाओं को तोड़कर इस हद तक आगे बढ गई कि इतिहास उसके हाथों खिलौना बन गया। मुसलमानों के अतिरिक्त मुल्क के गैरमुस्लिम साफ ज़ेहन सेकुलर इतिहासकारों ने भी इसकी खतरनाकी को महसूस किया और उनकी आवाज पूरे देश में सुनी गयी। वह लगातार गंभीरता और ईमानदारी से देश के अंतरात्मा को

जगाने की कोशिश करते रहे।

राजनीतिक परिवेश बदला केन्द्र और यू०पी० में सेकुलर शासन स्थापित हुआ। केन्द्रीय सरकार ने तुरन्त इस महत्वपूर्ण समस्या पर ध्यान दिया। यह आशा बन्धी कि जल्द ही इसका कोई समाधान निकाला जाएगा परन्तु रफतार बहुत सुस्त है। उत्तर प्रदेश सरकार पाठ्य पुस्तकों में आपत्तिजनक पाठ्य सामग्री शामिल होने के महत्वपूर्ण समस्या पर मुसलसल अर्जदाश्तों (प्रतिवेदनों) के बावजूद खामोश है।

दीनी तालीमी कौंसिल का हमेशा प्रयास रहा कि पाठ्यक्रम को सेकुलर और समप्रदायिकता से पाक साफ रखा जाए। इसी क्रम में पाठ्य पुस्तकों की पहली समीक्षा कौंसिल के तत्कालीन जनरल सेक्रेट्री माहिर कानूनदां जनाब जफर अहमद सिद्दीकी साहब ने तैयार करके प्रकाशित कराया जो तमाम जिम्मेदारों और पार्लियामेन्ट के मेम्बरों को भेजा गया। दूसरी समीक्षा १९९३ में कौंसिल ने प्रकाशित की जिसे हबीबुल्लाह आजमी साहब ने तैयार किया था, जिसके फलस्वरूप पाठ्य पुस्तकों में आंशिक सुधार भी हुआ।

अब कौंसिल ने एक तीसरी समीक्षा प्रकाशित की है जिसे हबीबुल्लाह आजमी साहब और जनाब मुहम्मद हसन अंसारी साहब ने मुरत्तब किया है। आजमी साहब इस समय कौंसिल के सेकेट्री और अंसारी साहब कौंसिल के रूक्न (सदस्य) हैं। दोनों हजरात शिक्षा विशेषज्ञ हैं और उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी पर कुदरत रखते हैं। हुकूमत की तालीमी पालिसियों की पूरी जानकारी रखते हैं।

इस समीक्षा से अन्दाजा होगा कि शिक्षा विभाग देवमालाई और हिन्दू आस्थाओं तथा साम्प्रदायिकता का आइनादार बनाएं रखने का रूझान और सरकारी पुस्तकों को अपनी जेहनियत के प्रदर्शन का जज्बा जिसकी बुनियाद देश की आजादी के फौरन बाद रखी गयी थी, वह आज भी अपना काम कर रहा है और इसमें सेकुलर और गैर सेकुलर हुकूमत में कोई अन्तर प्रदर्शित नहीं हो रहा है।

दीनी तालीमी कौंसिल ने पाठ्य पुस्तकों की पहली समीक्षा जुलाई १९६९ में प्रकाशित की थी। इस तरह की दूसरी समीक्षा १९९३ में प्रकाशित हुई और तीसरी समीक्षा इस समय २००५ को पेश की जा रही है। इन तीनों समीक्षाओं का विश्लेषण और तुलना की जाए तो एक स्पष्ट तथ्य यह नजर आता है कि वतन की आजादी के बाद आपसी नफरत, मुस्लिम दुश्मनी और हिन्दू देव माला के प्रसार प्रचार के लिए शिक्षा व्यवस्था को जिस प्रकार जरिया बनाया गया था उसका सिलसिला आज तक जारी है। और देवमाला की विचार धारा के प्रचार प्रसार के लिए पाठ्यक्रम और किसी हुकूमत को इसकी चिन्ता नहीं होती कि वह इन आपत्तिजनक सामाग्री को पूर्णतः पाठ्य पुस्तकों से निकाल दे।

मन्दिरों से तोड़कर मस्जिद बनाने का आरोप चालीस वर्ष पहले भी लगाया गया था दर्मियान लगभग तीस वर्ष बाद भी वही बात दोहराई गई और इस समय बाबरी मस्जिद का मुकदमा अदालत में है और कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या फैसला होगा। मुसलमान बार बार कह चुके हैं कि वह अदालत का फैसला स्वीकार करेंगे लेकिन उत्तर प्रदेश में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की पुस्तकों में लेखकों ने अपने तौर पर फैसला सुना दिया कि मन्दिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया है।

एक सेकुलर मिज़ाज और निष्पक्ष इतिहासकार पंडित विशम्भर नाथ पाण्डे ने ऐतिहासिक गलत बयानियों पर अफसोस के साथ अपना विचार व्यक्त किया है। उन के अंग्रेजी लेख को कौंसिल ने प्रकाशित किया जिससे उनका निष्कर्ष स्पष्ट होता है कि इतिहास मं मुस्लिम बादशाह की गलत छवि पेश की गई है और इससे केवल नफरत बढ़ेगी। हिन्दू मुस्लिम एकता भंग होगी बल्कि पूरे देश का वातावरण धार्मिक बुनियादों पर बट जायेगा और इस का परिणाम भी पूरे देश को भुगतना पड़ेगा।

दीनी तालीमी कौंसिल की यह दर्दमन्दाना खिदमत इसी जज्बे के तहत अंजाम दी जाती रही है। तालीम को सेकुलर रखने और पाठ्य पुस्तकों को धार्मिक नकारात्मक विचारधाराओं तथा सम्प्रदायिकता के जहर से पाक रखने का फैसला कर लिया जाए तो देश की आजादी का उद्देश्य पूरा हो सकेगा।

आज भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और गमो गुस्सा भड़काने का काम जहां समप्रदायिक राजनीतिक पार्टियां जोरो शोर से कर रही हैं वहीं स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों मुख्यकर सामाजिक विषयों तथा इतिहास की पुस्तकों में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर हिन्दू, मुस्लिम रंग में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा रहा है मानो मुस्लिम बादशाहों

(शेष पृष्ठ ७ पर)

दीनी तालीमी कौन्सिल

छात्र पाठ्यक्रम की ३१ किताबों की समीक्षा की एक झलक

हबीबुल्लाह आज़मी

बेसिक शिक्षा परिषद की इन पुस्तकों में साम्प्रदायिकता से जुड़ी हुई कोई वस्तु पाठ्य सामग्री में नहीं पाई गई लेकिन कक्षा ४ व ५ की पुस्तकों में सिर्फ बहुसंख्यक समुदाय के सन्यासियों और संतों के पाठ हैं। अन्य समुदायों विशेषकर मुस्लिम सूफी सन्तों का कोई पाठ्य नहीं हैं। इसी प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों में मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों को जानबूझ कर नज़रअंदाज़ किया गया है।

"हमारा इतिहास और नागरिक जीवन" कक्षा ८ प्रकाशक बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश।

पृष्ठ ५७ पर अंकित है "अंग्रेजी भाषा ने सबको एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया।" यह तथ्य सहीं नहीं है गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद के भाषण अंग्रेजी में नहीं हिन्दी उर्दू में हैं। स्वतंत्रता संग्राम में उर्दू भाषा का बड़ा रोल रहा है। प्रेमचन्द के उपन्यास और जोश मलिहाबादी और राम प्रसाद बिस्मिल की आजादी की नजमों का आजादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। जिसका जिक्र नहीं किया गया है। पृष्ठ ५६, आजादी के नेताओं का उल्लेख है। ऐसे नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय के साथ मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के नामों का उल्लेख न करना एक खास विचारधारा को प्रकट करता है जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है। स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों के योगदान की अनदेखी की गई है।

"भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति में बाधा डालने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने कुछ मुस्लिम नेताओं का सहयोग लियाः जैसी बाते छापना क्या केवल मुसलमानों की छवि को दागदार करने का प्रयास नहीं है।

सामाजिक विज्ञान भाग १

कक्षा ६ लेखक जे० एस० धाकरे, आर० सी० त्रिपाठी, प्रकाशक एच० एम० पब्लिकेशन, आगरा। प्रथम संस्करण २००३–०४। पृष्ठ ८०

इस्लाम का उदय

पंक्ति ३ मुहम्मद सल्ल० की मां का नाम अमीना लिखा गया है जबकि उनका नाम आमिना था।

इंटर कक्षाओं की इतिहास की पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा में पाई गई आपत्तिजनक विषय वस्तु।

पुस्तक का नाम– "भारत का वृहद इतिहास" भाग एक प्रथम खंड (आदिकाल से १५२६ ई० तक) लेखक श्रीं नेत्र पाण्डे, डा० राजा रमण। कक्षा इंटर संस्करण २००४–०५ प्रकाशक स्टुडेन्टस फ्रेण्डस ६ विवेकानन्द मार्ग, इलाहाबाद–३ अध्याय–

इस्लाम धर्म का उत्कर्ष, पैराग्राफ–२ भूमिका "इस्लाम धर्म कोई नया धर्म नहीं था वरन यह एक सुधार आंदोलन था। अरब के प्राचीन धर्म के विरूद्ध मुहम्मद साहब ने धार्मिक क्रांति चलाई थी जिसके फलस्वरूप इस्लाम धर्म का जन्म हुआ।"

नोटः यह कथन सही नहीं है। इस्लाम धर्म अल्लाह की ओर से जिब्राइल (अ०स०) फिरिश्ते द्वारा मोहम्मद साहब पर अवतरित हुआ।

पैराग्राफ ४

"काबा में एक अत्यन्त प्राचीन काला पत्थर है...। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मूर्ति पूजा के घोर विरोधी ने इस्लाम धर्म को अपनाया। आज भी इसे बड़े आदर सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और इसको सजदा करते हैं।"

नोटः यह तथ्य गलत है। इस पत्थर का मुसलमान सजदा नहीं करते केवल इसका बोसा (चुम्मन) लेते हैं। इसलिये कि मुहम्मद (सल्ल०) इसका बोसा लेते थे।

पृष्ठ २६४ पैराग्राफ–२ अन्तिम लाइन।

"वह पैगाम यह था कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई दूसरा ईश्वर नहीं है और मुहम्मद उसका पैगम्बर है।"

मुहम्मद उसका पैगम्बर है यह वाक्य शिष्टाचार के विरूद्ध है। एक नबी के लिए यह वाक्य अवमानना के दायरे में आता है।

पृष्ठ – २६५ पैराग्राफ–१

"अब मुहम्मद साहब ने कुरैश कबीले का विनाश करने का निश्चय कर लिया और ६३० ई० में मक्का पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अपने केवल ३०० अनुयायियों की सहायता से मक्का के ३०० सैनिकों की सेना को परास्त

कर दिया। किन्तु मुहम्मद साहब की पराजय हो गई। परन्तु अन्त में मक्का वालों से संधि हो गई और वह वहां निवास करने लगे।''

नोटः लेखक को इस्लाम के इतिहास की जानकारी नहीं है। हो सकता है यह बद्र की लड़ाई की घटना से जिसमें मुहम्मद साहब के अनुयायियों की संख्या ३१३ थी तथा मक्का के सैनिकों की संख्या १००० थी। परन्तु मुसलमानों को विजय प्राप्त हुई थी।

पैराग्राफ–२: ''इस्लाम धर्म का सिद्धांत कुर्आन मुसलमानों का धर्मग्रन्थ है। इसी ग्रंथ में मुहम्मद साहब का उपदेश संग्रहीत है।''

नोटः कुर्आन अल्लाह का कलाम है मुहम्मद सल्ल० का उपदेश नही।

पृष्ठ–२६६ पैराग्राफ–५

''राजनीतिक दृष्टिकोण से इस्लाम धर्म का अध्ययन करते समय इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि आरम्भ से ही इसका संबंध राजनीति तथा सैनिक संगठन के साथ रहा है। जब मक्का के लोगों ने मुहम्मद साहब का विरोध करना शुरू किया और उनकी जान खतरे में पड़ गई। तब वह मदीना भाग गये। वहां पर उन्होंने अपने अनुयायियों की एक सेना बनाकर मक्का पर हमला कर दिया। सौभाग्य से जय–लक्ष्मी उनके साथ रही। इस प्रकार सैन्य बल से उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया।''

नोटः भागने का शब्द पैगम्बर के लिए अपमानजनक है। जब मक्का की धरती इस्लाम के प्रचार के लिए सख्त हो गई और यहाँ इस्लाम का प्रचार प्रसार संभव न रहा तो (ईशवाणी) द्वारा हजरत मुहम्मद सल्ल० को आदेश दिया कि वह मक्का से मदीना चले जायें। इसको हिजरत कहते हैं।

इसी किताब में मुहम्मद बिन कासिम तथा मुहम्मद गौरी को जगह जगह केवल मुहम्मद लिखकर भ्रमित किया गया है। केवल मुहम्मद लिखने से मुहम्मद सल्ल० समझा जायेगा। यह बहुत ही आपत्तिजनक है।

पुस्तक का नाम भारत का वृहद इतिहास भाग–दो, माध्यमिक कक्षाओं हेतु। (१५२६ से आधुनिक युग तक) लेखक–श्री नेत्र पाण्डे तथा डा० राजा रमण। प्रकाशक–स्टुडेन्ट्स, फ्रेन्ड्स, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद।

पृष्ठ संख्या– ३०१,

यह किताब चालीस साल पहले लिखी गई है। उक्त संस्करण में जो अंश बढ़ाये गये है। उनके लेखक डा० राजा रमण है क्योंकि श्री नेत्र पाण्डे का निधन हो चुका है। विषय सामग्री माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार बताई गई है। परन्तु पुस्तक में इस बात का उल्लेख नहीं है कि किताब मान्यता प्राप्त है अथवा राष्ट्रीयकृत है। इस पुस्तक में मुगल बादशाह औरंगजेब को लुटेरा तथा हिन्दु विरोधी बनाकर प्रस्तुत किया गया है। जो आपत्तिजनक है।

पृष्ठ संख्या– २६६ अयोध्या

''इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण तथा रामजन्मभूमि पर जो ऐतिहासिक साक्ष्य मांगा है उससे स्पष्ट है कि यही राम की अयोध्या थी, जहां बाबरी मस्जिद है, वह राम की जन्मभूमि थी। यहीं सदियों से मंदिर बना था जिसे बाबर ने विकृत कर मस्जिद का ढांचा बनवाया जो अब गिर चुका है। उसके फर्श के नीचे से प्राप्त पुरातन मूर्तियां तथा अभिलेख आदि इसके रामजन्म भूमि का पुरातन मंदिन होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं।''

नोटः मामला कोर्ट में है। कोर्ट के फैसले से पहले एक इतिहासकार के लिए ऐसा कहना और लिखना तथा ऐतिहासिक तथ्य की गलतबयानी भी गलत है। इससे कोर्ट की अवमानना की स्थिति पैदा होती है।

उक्त अंश के शब्द ढांचा और गिर चुका लेखक की चतुराई से जहर घोलने के द्योतक हैं। सच यह है कि वह ढांचा नहीं एक पवित्र मस्जिद थी जिसे ६ दिसम्बर १९९२ को जबर्दस्ती गिराया गया था यह बात दुनिया जानती है।

दहशत गर्दी का इल्ज़ाम क्योंकर लगा हमारे नाम

हीरो शीमा नागा साकी
जिसने तबाही वहां मचा दी
वेतनाम का खून बहा कर
मासूमों को जिसने सज़ा दी
तालिबान की दीनी हुकूमत
जुल्म से अपने जिसने मिटा दी
और इराक़ी पब्लिक पर
बमों की ब़स वर्षा बरसा दी
इस्राइली मक्कारो की
फ़िलिस्तीन में बस्ती बसा दी
दहशत गर्दी काम है उनका
वही हैं यां पर बड़े फसादी
दहशतगर्दी का इल्जाम
क्योंकर लगा हमारे नाम

अन्तर्राष्ट्रीय समाचार

हबीबुल्लाह आज़मी

●पश्चिमी शक्तियों की मध्यपूर्व देशों से संबंधित नीतियां आतंकवाद का मुख्य कारण

लन्दन के मेयर केनलू निकसन ने कहा है कि लन्दन धमाकों में उन पश्चिमी शक्तियों का हाथ है जिन्हों ने पहले उसामा बिन लादिन जैसे लोगों को आतंकवाद की ट्रेनिंग दी। मेयर ने कहा कि लन्दर धमाकों में पश्चिमी शक्तियों की मध्यपूर्व के बारे में नीतियों का बड़ा दख़ल है जो तेल की प्राप्ति के ए वहां हुकूमतों को बदलती हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम के उकसाने पर जो कुछ मध्यपूर्व में तीन नसलों से हो रहा है यदि वह सब कुछ हमारे यहां हो रहा होता तो मुझे विश्वास है कि हम भी कोई आत्मघाती बम्बार पैदा कर चुके होते।

लन्दन के मेयर ने कहा है कि उन्हें लन्दन बम हमलों में संबंधित लोगों से कोई सहानिभूत नहीं है लेकिन वह उन हुकूमतों की भी निन्दा करते हैं जो अपनी अन्याय पूर्ण विदेशी पालिसियों को आगे बढ़ाने के लिए लोगों का कत्लेआम करती हैं। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिमी शक्तियां पिछले अस्सी वर्षों से मध्यपूर्व में मदाख़लत न कर रहीं होतीं तो लन्दन धमाके न होते। उन्होंने कहा कि पश्चिमी ने हमेशा मध्यपूर्व में अनुचित हुकूमतों का साथ दिया है और ऐसी हुकूमतों को गिरा दिया जो हमारे विचार में पश्चिम के विरोधी थीं। बी० बी० सी० से एक इंटरव्यू में मेयर ने कहा कि मामलात उस समय अधिक ख़राब हो गये जब अमेरिका ने अस्सी के दसक में उसामा बिन लादिन को अफ़गानिस्तान में रूसियों से लड़ने के लिए भरती किया। केनलूनिकसन ने कहा कि अमेरिका ने उसामा बिन लादिन को लोगों को मारने बम बनाने और बम फोड़ने का प्रशिक्षण दिया। ऐसा करने वालों ने यह नहीं सोचा कि कल यही उसामा बिन लादिन उनके खिलाफ़ भी हो सकता है। वह पश्चिमी दोशों के लिए तेल की सप्लाई में रूकावट से इतने भयभीत थे कि उन्होंने मध्यपूर्व में हस्तक्षेप (मटाख़लत) की नीति जारी रखी। उन्होंने कहा कि यदि हम पहले महायुद्ध के बाद अरबों से किय हुए वादों पर क़ायम रहते हुए उनके मामलात में हस्तक्षेप न करते तो आज हालात ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण न होते। उन्होंने कहा कि लन्दन धमाकों के पीछे पश्चिम की दोहरी दोगली पालिसी का भी हाथ है और कहा कि पश्चिम ने पहले सद्दाम हुसैन का स्वागत किया। उन्होंने कहा नौजवान जब यह देखते हैं ग्वान्तानामोबे में क्या हो रहा है?, वह महसूस करते हैं कि पश्चिम की विदेश नीति न्याय आधारित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इसराईली सरकार केवल इस बुनियाद पर फिलिस्तीन क्षेत्रों पर बम्बारी करती है कि इस क्षेत्र से आक्रमण कारी निकल आते हैं जिन में मासूम बच्चे, औरतें और लोग मारे जाते है। केनलूनिक्सन ने कहा कि लन्दन में ७५ हजार मुसलमान रहते हैं लेकिन हमेशा तीन चार लोगों को समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर जगह मिलती है जो वहां के मुसलमानों की नुमांइदगी नहीं करते और वास्तविकता से अवगत नहीं हैं।

●कुवेत में पहली महिला ने मंत्री पद का शपथ लियाः—

कुवेत की पहली महिला ने २० जून २००५ को मंत्री पद का शपथ संसद में लिया। पुराने विचारों के संसदों ने संसद भवन में खड़े होकर शोर शराबे के साथ प्रदर्शन किया और कहा कि नियुक्ति असंवैधानिक है क्योंकि वह वोटर नहीं हैं।

शोरोगुल के बीच मासूमा रोज ने शोरगुल की चिन्ता न करते हुए अपनी सीट से खड़ी होकर शपथ ग्रहण किया। मासूमा ने इस दिन को तमाम कुवेती महिलाओं के लिए एक महान दिविस बताया। उन्होंने कहा कि वह अपने देश के हित में तमाम कानून बनाने वालों से सहयोग करेंगी।

●सबसे महंगी टैक्सी यात्रा

बगदाद को हवाई अड्डे से जोड़ने वाली १५ मील लंबी सड़क पर सुरक्षित टैक्सी यात्रा दुनिया में सबसे महंगी हो गयी है। टाइम्स के मुताबिक इस राह पर बख्तरबंद कारों में पश्चिमी सुरक्षा गार्डों के साये में यात्रा की कीमत करीब पांच हजार (करीब ढाई लाख रूपये) बैठती है। यानी प्रति मील यात्रा का खर्च ३०० डॉलर से भी ज्यादा। यह शांति के हालात में की गयी यात्रा से १५ गुनी महंगी है कदीसिया एक्सप्रेस नामक इस सड़क पर इराकी लड़ाकू हमला करते रहे हैं।

●●●